सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

औषध विभाग

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

विषय वस्तु

1. एक अवलोकन — 7

1.1 औषध उद्योग
1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग
1.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2. कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा — 15

2.1. औषध विभाग
2.2. विजन
2.3. मिशन
2.4. संगठनात्मक ढांचा
2.5. संबद्ध कार्यालय
2.6. पंजीकृत सोसायटी
2.7. स्वायत्त संस्थान
2.8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3. कार्यक्रमगत और गैर-कार्यक्रमगत कार्यकलाप — 25

3.1 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं
3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए योजना
3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध कार्यकलाप
3.4 फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन योजना
3.5 गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

4. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना — 59

4.1 योजना की पृष्ठभूमि
4.2 योजना की प्रगति
4.3 केन्द्रों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम
4.4 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां
4.5 स्वच्छता विशेष अभियान 4.0

5. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 75

5.1 पृष्ठभूमि
5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)
5.3 नाईपर कोलकाता
5.4 नाईपर रायबरेली
5.5 नाईपर हैदराबाद
5.6 नाईपर हाजीपुर
5.7 नाईपर गुवाहाटी
5.8 नाईपर अहमदाबाद

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 137

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

7. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 173

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 चिकित्सा उपकरणों का व्यापार मार्जिन युक्तिकरण
7.4 पुनरीक्षण आदेश
7.5 एनएलईएम, 2022 के तहत कैंसर रोधी औषधियों के मूल्य में संशोधन
7.6 उपभोक्ताओं को बचत
7.7 वर्ष 2020-21 से चिकित्सीय क्षेत्रों में वृद्धि
7.8 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधियों की उपलब्धता की निगरानी
7.9 दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी करना
7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यकलाप
7.11 अधिप्रभारित धनराशि की वसूली
7.12 ई-पहल

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी योजना का कार्यान्वयन
7.14 राजभाषा कार्यान्वयन
7.15 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2024
7.16 सतर्कता जागरूकता सप्ताह
7.17 राष्ट्रीय एकता दिवस
7.18 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0
7.19 एनपीपीए का द्विमासिक ई-समाचार पत्र : औषध संदेश
7.20 एनपीपीए द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना 197

8.1 संयुक्त कार्य समूह की बैठकें
8.2 जी20 बैठकें/विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकें
8.3 समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक (आईपीईएफ) समझौता
8.4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम/बैठकें
8.5 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा/औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें
8.6 वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियाँ/समझौते
8.7 विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण, क्षमता विनिर्माण और कार्यशालाओं में सहभागिता

9. राजभाषा का कार्यान्वयन 209

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग
9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति
9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2024
9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **215**

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

11. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी **217**

11.1 लोकल एरिया नेटवर्क
11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया
11.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुविधा
11.5 कार्यप्रवाह स्वचालन
11.6 ई-गवर्नेंस
11.7 साइबर सुरक्षा

12. विभाग के अन्य कार्यकलाप **227**

12.1 विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों का अवलोकन

13. अनुलग्नक **247**

अनुलग्नक - I नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां
अनुलग्नक - II-क पीएसयू की सूची
अनुलग्नक - II-ख पीएसयू के अध्यक्षों का पता और नाम
अनुलग्नक - II-ग दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची
अनुलग्नक - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 1

एक अवलोकन

1.1 औषध उद्योग

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

अध्याय 1

एक अवलोकन

1.1 औषध उद्योग

भारत का औषध उद्योग मात्रा की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए औषध का कुल वार्षिक टर्नओवर 4,17,345 करोड़ रुपये था और यह पिछले पांच वर्षों में 10.08 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 में, निर्यात किए गए औषध का कुल मूल्य 2,19,439 करोड़ रुपये था, जबकि आयात 58,440 करोड़ रुपये था (चार्ट 1.1)।

भारत का औषध उद्योग विश्व में अग्रणी है । भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत है। यह 60 चिकित्सीय श्रेणियों में लगभग 60,000 जेनेरिक ब्रांडों का निर्माण करता है। भारत से एचआईवी के लिए किफायती उपचार तक पहुंच आधुनिक चिकित्सा की महान सफलता की कहानियों में से एक है। गुणवत्ता के साथ कम कीमत के कारण, दुनिया भर में भारतीय दवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे यह देश "दुनिया की फार्मेसी" की उपाधि अर्जित करता है। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के बाहर युनाइटेड स्टेट्स फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) के अनुरूप औषध संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या है। यहां ऐसे 500 एपीआई निर्माता हैं जो विश्व में एपीआई उद्योग में लगभग 8% का योगदान देते हैं। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के वार्षिक टर्नओवर और वृद्धि का विवरण तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1
औषध क्षेत्र का वार्षिक टर्नओवर और वृद्धि

वित्त वर्ष	वर्तमान कीमतों पर टर्नओवर (₹ करोड़ में)	वृद्धि की वार्षिक दर
2019-2020	2,89,998	12.1%
2020-2021	3,28,054	13.1%
2021-2022	3,44,125	4.8%
2022-2023	3,79,450	10.2%
2023-2024	4,17,345	10%

स्रोत: फार्माट्रेक, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)

भारत विश्व में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी), बेसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) और खसरे के टीकों की आपूर्ति के लिए भारत विश्व में अग्रणी है, भारतीय विनिर्माता संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष

(यूनिसेफ) को वैक्सीनों के 60 प्रतिशत हिस्से, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की डीपीटी और बीसीजी टीकों की 40 से 70 प्रतिशत मांग तथा डब्ल्यूएचओ की खसरे के टीकों की 90 प्रतिशत मांग की आपूर्ति करते हैं।

चार्ट 1.1

औषधों का निर्यात और आयात

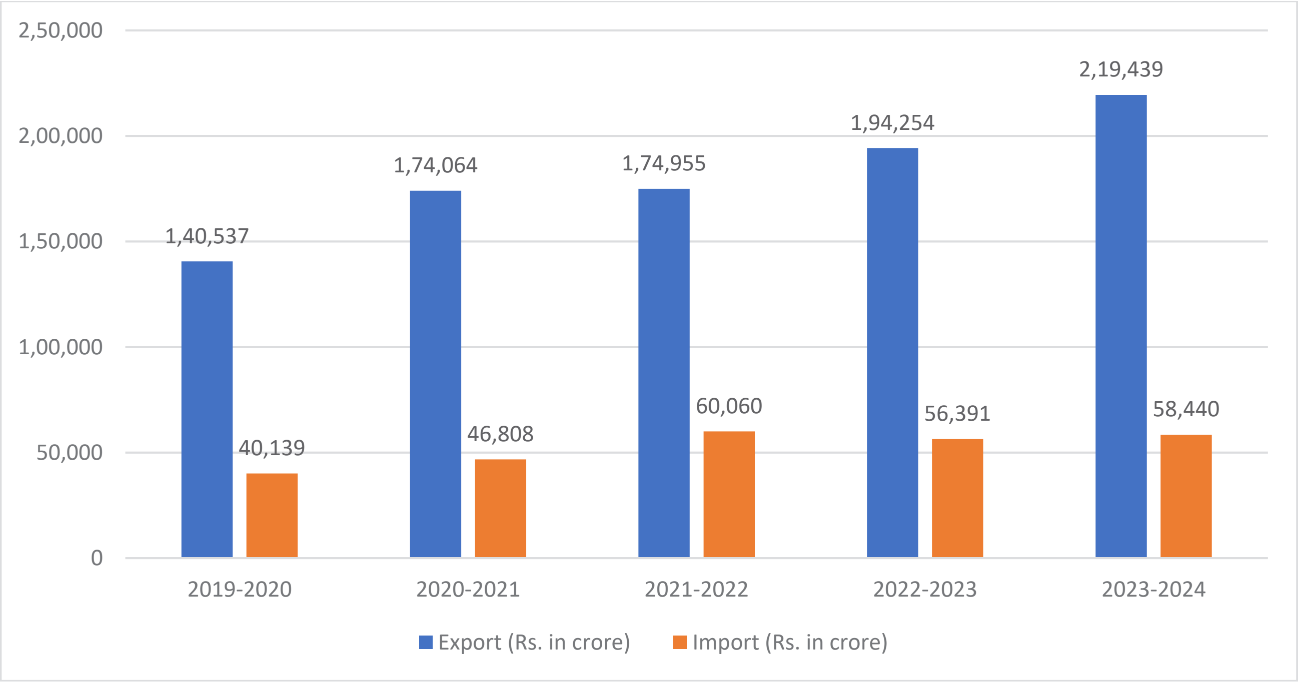

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

(नोट: डाटा में बल्क औषधि, औषधि इंटरमीडिएट, औषधि फॉर्मूलेशन, बायोलॉजिकल शामिल हैं)

1.2 चिकित्सा उपकरण उद्योग

भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र, विशेष रूप से, सभी चिकित्सा स्थितियों और अक्षमताओं की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए, भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक बहु-विषयक क्षेत्र है। इसकी घटक उपकरण श्रेणियां हैं (क) इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरण (ख) इम्प्लांट (ग) उपभोज्य और डिस्पोजेबल्स (घ) सर्जिकल उपकरण और (ङ) इन-विट्रो डायग्नोस्टिक रिएजेंट। चिकित्सा उपकरण उद्योग में कई क्षेत्र अत्यधिक पूंजी गहन हैं, जिनमें लंबी निर्माण अवधि होती है तथा नई प्रौद्योगिकियों के निरंतर समामेलित होने और क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या व्यावसायिकों के निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

चिकित्सा उपकरण उद्योग में भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है। भारत ने वेंटिलेटर, पर्सनल

प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल दस्ताने, कोरोनरी स्टेंट, रेडियो-इमेजिंग उपकरण, बॉडी इम्प्लांट आदि का निर्यात शुरू कर दिया है। पांच वित्तीय वर्षों की अवधि में चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है, जबकि श्रेणी-वार निर्यात और आयात क्रमशः तालिका 1.2 और 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

चिकित्सा उपकरणों का निर्यात और आयात

नोट : वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ें सितम्बर, 2024 तक हैं।

तालिका 1.2

चिकित्सा उपकरणों का श्रेणी-वार निर्यात

(अमरीकी मिलियन डॉलर में)

खंड	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (सितंबर 24 तक)
उपभोज्य और डिस्पोजेबल्स	1290	1378	1605	1752	917
इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरण	985	1163	1335	1472	727
इम्प्लांट	99	135	188	266	150
इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स	104	176	191	216	112
सर्जिकल उपकरण	54	71	72	79	41
कुल	**2532**	**2923**	**3391**	**3785**	**1947**

स्रोत: डीजीसीआईएस

तालिका 1.3

चिकित्सा उपकरणों का श्रेणी-वार आयात

(अमरीकी मिलियन डॉलर में)

खंड	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (सितम्बर 24 तक)
उपभोज्य और प्रयोज्य वस्तुएं	1471	1624	1091	1185	853
इलेक्ट्रो-मेडिकल उपकरण	3569	5441	4884	5408	2550
इम्प्लांट	415	423	540	586	300
इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स	527	883	767	804	430
सर्जिकल उपकरण	104	169	210	205	127
कुल	**6241**	**8540**	**7492**	**8188**	**4260**

स्रोत: डीजीसीआईएस

1.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत का औषध क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और यह क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 क्षेत्रों में से एक है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति व्यवस्था स्थापित की है। एफडीआई नीति 2020 के अनुसार, मेडिटेक कार्यकलापों में स्वचलित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है। औषध क्षेत्र में स्वचलित मार्ग के तहत, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ब्राउनफील्ड औषध परियोजनाओं में 74 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह विभाग दिनांक 17.04.2020 के प्रेस नोट 3 के तहत औषध और मेडिटेक क्षेत्रों के ऐसे सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है, जहां निवेशक या अंतिम लाभार्थी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से हैं।

औषध विभाग मौजूदा एफडीआई नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए औषध और मेडिटेक कार्यकलापों में सरकारी अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है। निवेशक एफडीआई हेतु सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर आवेदन करते हैं। एफडीआई आवेदनों की डिजिटल, फेसलेस सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए एफडीआई आवेदनों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी), जो एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत है, के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है।

यह क्षेत्र देश में विभिन्न क्षेत्रों में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 3.80 प्रतिशत योगदान प्रदान करता है। अप्रैल 2000 से सितम्बर, 2024 की अवधि के दौरान, औषध और मेडिटेक कार्यकलापों में कुल एफडीआई प्रवाह 1,65,189 करोड़ रुपए (औषध में 1,39,230 करोड़ रुपए और मेडिटेक में 25,959 करोड़ रुपए) रहा है। औषध और मेडिटेक कार्यकलापों में एफडीआई प्रवाह का वर्ष-वार और कार्यकलाप-वार ब्यौरा तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4

औषध और मेडिटेक कार्यकलापों में एफडीआई प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	औषध क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह	मेडिटेक क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह	कुल एफडीआई प्रवाह
2020-21	11,015	511	11,526
2021-22	10,552	1,545	12,097
2022-23	16,654	3,123	19,777
2023-2024	8,844	3,978	12,822
2024-2025 (सितम्बर, 2024 तक)	4349	3754	8103

इस क्षेत्र के नीतिगत हितों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रदान किए जाने वाले अनुमोदन राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में शामिल दवाओं के उत्पादन के स्तरों और निवेश के समय निवेशकर्ता कंपनी द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास व्यय के स्तरों पर निर्भर करते हैं। विभाग ने इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए एफडीआई प्रवाह की प्रगति के साथ-साथ एफडीआई लिंक्ड कम्प्लाइंस मॉनिटरिंग पोर्टल (https://fdi.pharma-dept.gov.in/) के माध्यम से मौजूदा एफडीआई नीति के तहत आवश्यक एफडीआई से जुडी कार्यनिष्पादन शर्तों के अनुपालन की निगरानी करता है।

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1. औषध विभाग

2.2. विजन

2.3. मिशन

2.4. संगठनात्मक ढांचा

2.5. संबद्ध कार्यालय

2.6. पंजीकृत सोसायटी

2.7. स्वायत्त संस्थान

2.8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय 2

कार्यकलाप एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 औषध विभाग

औषध विभाग को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और बल देना तथा दवाओं के मूल्य निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करना अपेक्षित था।

औषध विभाग को निम्नलिखित विषयों पर कार्य आबंटित किया गया है:

(क) दवा और औषध, अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मदों के अतिरिक्त।

(ख) अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दों के अलावा, संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित चिकित्सा उपकरण उद्योग के मुद्दें।

(ग) औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधानों का संवर्धन और समन्वय।

(घ) औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।

(ङ) औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना और सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।

(च) औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

(छ) औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ज) विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।

(झ) औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता।

(ञ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/ मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ट) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले।

(ठ) विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।

(ड) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

(ढ) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।

(ण) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।
(त) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड; और
(थ) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

2.2. विजन:

गुणवत्तायुक्त दवाइयों के लिए वैश्विक लीडर के रूप में भारतीय औषध का संवर्धन करना तथा देश में औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, सुगमयता तथा वहनीयता सुनिश्चित करना।

2.3. मिशन:

(क) औषध क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए निवेश
(ख) महत्वपूर्ण एपीआई एवं चिकित्सा उपकरणों में मेक इन इंडिया
(ग) उद्योग का विस्तार, कुशलता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार
(घ) स्थिर एवं प्रभावी मूल्य विनियमन; और
(ङ) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना का विस्तार करते हुए जेनेरिक दवाइयां

2.4. संगठनात्मक ढांचा:

औषध विभाग, औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योगों के नीति विनिर्माण, क्षेत्रीय नियोजन, संवर्धन और विकास के लिए नोडल विभाग है। विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण भी विभाग के पास है।

विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है जिसकी सहायता एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, दो संयुक्त सचिवों और एक आर्थिक सलाहकार द्वारा की जाती है।

2.4.1 विभाग के प्रभाग

औषध विभाग में ऐतिहासिक रूप से अधिकारियों के बीच कार्यकलाप आधारित आबंटन होता था। जिसके परिणामस्वरूप फोकस में लगातार बदलाव होता था और परिणामस्वरूप अक्षमताएं होती थीं। विभाग ने तब से विषयगत दृष्टिकोण के आधार पर विभाग में विभिन्न विंग का पुनर्गठन किया है, जिनका नेतृत्व अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र-आधारित

फोकस और तालमेल स्थापित हुआ है। पुनर्गठित विंग और प्रभागों तथा उनके अंतर्गत संचालित विषय-वस्तु निम्नानुसार है:

(क) *औषध नीति* - व्यापार और मूल्य निर्धारण को छोड़कर औषधियों और औषध नीति और संबद्ध विषयों से संबंधित उद्योग के मुद्दे; बल्क औषधियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; औषध उद्योग को सशक्त करने के लिए योजना (एसपीआई); साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता; संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (आर-पीटीयूएएस) और औषध संवर्धन और विकास योजना; बल्क औषधि पार्कों की संवर्धन योजना का कार्यान्वयन; दवा और औषध में सार्वजनिक निजी भागीदारी; औषध विपणन पद्तियों के लिए एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) से संबंधित सभी मामले।

(ख) *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)*- औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित सभी मामले।

(ग) *जन औषधि प्रभाग*- पीएमबीआई और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित सभी मामले।

(घ) मेडिटेक नीति- चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन से संबंधित सभी नीतिगत मामले; राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 पर कार्यनीति दस्तावेज; मेडिटेक क्षेत्र से संबंधित उद्योग के मुद्दे, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण और संबद्ध विषय, व्यापार और मूल्य निर्धारण को छोड़कर; मेडिटेक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं अर्थात चिकित्सा उपकरण में मानव संसाधन विकास संबंधी योजना; साझी सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सहायता (एमडी-सीएफ); चिकित्सा उपकरणों के लिए अन्य योजनाएं; चिकित्सा उपकरणों पर कानूनी मेट्रोलॉजी और मानक; चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद; चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना; चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना; मेडिटेक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी; चिकित्सा उपकरणों में विपणन पद्तियों के लिए एकसमान संहिता (यूसीएमपीएमडी)।

(ङ) *आर्थिक विनियमन*- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए से संबंधित सभी मामले, जिसमें प्रशासनिक/स्थापना बजटीय मामले/निधि जारी करना, एनपीपीए के आदेशों के विरुद्ध मामलों की समीक्षा, औषध मूल्य समतुल्यता खाता (डीपीईए) निधियों का प्रशासन, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) का प्रशासन और औषध मूल्य निर्धारण नीति तथा औषधियों के मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मुद्दे शामिल; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का प्रसंस्करण और निगरानी।

(च) *शैक्षणिक और अनुसंधान प्रभाग*- भारत और विदेशों में उच्च स्तरीय अनुसंधान और फेलोशिप प्रदान करने सहित शिक्षा और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित सभी मामलों सहित औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों पर सूचना और तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-

प्रदान; औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय, जिसमें भारत में फार्मा-मेडीटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडीटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन योजना (पीआरआईपी) शामिल है।

(छ) *आईटी और साइबर सुरक्षा प्रभाग-* सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और साइबर सुरक्षा, औषध विभाग की वेबसाइट, विभाग के विभिन्न पोर्टलों के रखरखाव के लिए एनआईसी के साथ संपर्क, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट, केंद्रीय रजिस्ट्री आदि से संबंधित सभी मामले।

(ज) *अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-* भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य सहित औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; मुक्त व्यापार समझौतों सहित विभाग द्वारा देख-रेख किए जाने वाले सभी उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता की योजना, विकास और नियंत्रण।

(झ) *संसद और समन्वय-* लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय और विभाग के बीच इंटरफेस से जुड़े सभी संसदीय मामले; आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क सहित समन्वय से संबंधित सभी मामले; केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), ई-समीक्षा और अन्य पोर्टलों के संबंध में समन्वय।

(ञ) *राजभाषा-* राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 और इसके तहत जारी आदेशों सहित भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन।

(ट) *एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) और बजट-* व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना, व्यय का युक्तिकरण सुनिश्चित करना और व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार मितव्ययिता उपायों का अनुपालन करना, जिसमें मासिक या तिमाही समीक्षा के माध्यम से व्यय की नियमित निगरानी और संबंधित को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। विभिन्न प्रभागों और व्यय विभाग के परामर्श से विभाग का बजट तैयार करना।

(ठ) *सतर्कता प्रभाग-* सतर्कता से संबंधित सभी मामले, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ बातचीत भी शामिल है।

(ड) *स्थापना प्रभाग-* स्थापना से संबंधित सभी मामले अर्थात औषध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सभी सेवा-संबंधी मामले, सहायक कर्मचारियों के लिए सेवाओं की आउटसोर्सिंग, वेतन और भत्ते आदि।

(ढ) *प्रशासन और मीडिया प्रभाग-* प्रशासन से संबंधित सभी मामले जिनमें कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दैनिक वस्तुओं की खरीद और वितरण, हाउसकीपिंग सेवाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, एयर कंडीशनर सहित कार्यालय उपकरणों का रखरखाव, वार्षिक रिपोर्ट की छपाई और अन्य कार्यक्रम-विशिष्ट बैनर, पोस्टर, स्टैंडी और आतिथ्य सेवाएं आदि शामिल हैं।

2.4.2 औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार दिनांक 1.1.2024 तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका-2.1

औषध विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार की स्थिति

समूह	पदों की कुल संख्या	कार्यरत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	दिव्यांग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
क	28	24	2	3	6	-	0
ख	47	32	6	3	8	-	0
ग	21	19	6	0	5	-	3
कुल	**96**	**75**	**14**	**6**	**19**	**-**	**3**

समूह 'क' के अधिकारियों में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और अन्य विभागों/उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी तथा पार्श्विक प्रविष्टि अधिकारी शामिल हैं। समूह ख और ग के पदों पर नियुक्तियां मुख्यतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर की जाती है।

यह विभाग इसके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी भी करता है।

2.4.3 संगठनात्मक चार्ट

विभाग का संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट पर है।

2.5 संबद्ध कार्यालय:-

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण इस विभाग का संबद्ध कार्यालय है। इसके कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मुलेशनों के मूल्यों के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के साथ-साथ उक्त आदेश के विभिन्न प्रावधानों की निगरानी एवं प्रवर्तन भी

शामिल हैं। एनपीपीए औषध नीति से संबंधित और दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और सुगमता के मुद्दों पर सरकार को इनपुट भी प्रदान करता है।

2.6. पंजीकृत सोसायटी:-

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई)- जिसे पहले भारतीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था, को दिनांक 1.12.2008 को औषध विभाग द्वारा स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य औषध विभाग द्वारा आरंभ की गई जन औषधि योजना को लागू करने हेतु केंद्रित और सशक्त संरचना प्रदान करना है।

2.7. स्वायत्त संस्थान:-

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता का संवर्धन एवं संपोषण करने के लिए स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। नाईपर, एसएएस नगर (मोहाली) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसके पश्चात् संसद के अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 द्वारा संस्थान को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई थी और इसे राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया था। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में मेंटर संस्थानों के सहयोग से छः और नाईपर आरंभ किए गए थे।

2.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:-

विभाग के पास अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। ये इस प्रकार हैं

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव, हरियाणा
(ख) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड **(**एचएएल**)**, पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र
(ग) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक
(घ) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीपीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल और
(ङ) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर, राजस्थान

परिशिष्ट

औषध विभाग - संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)

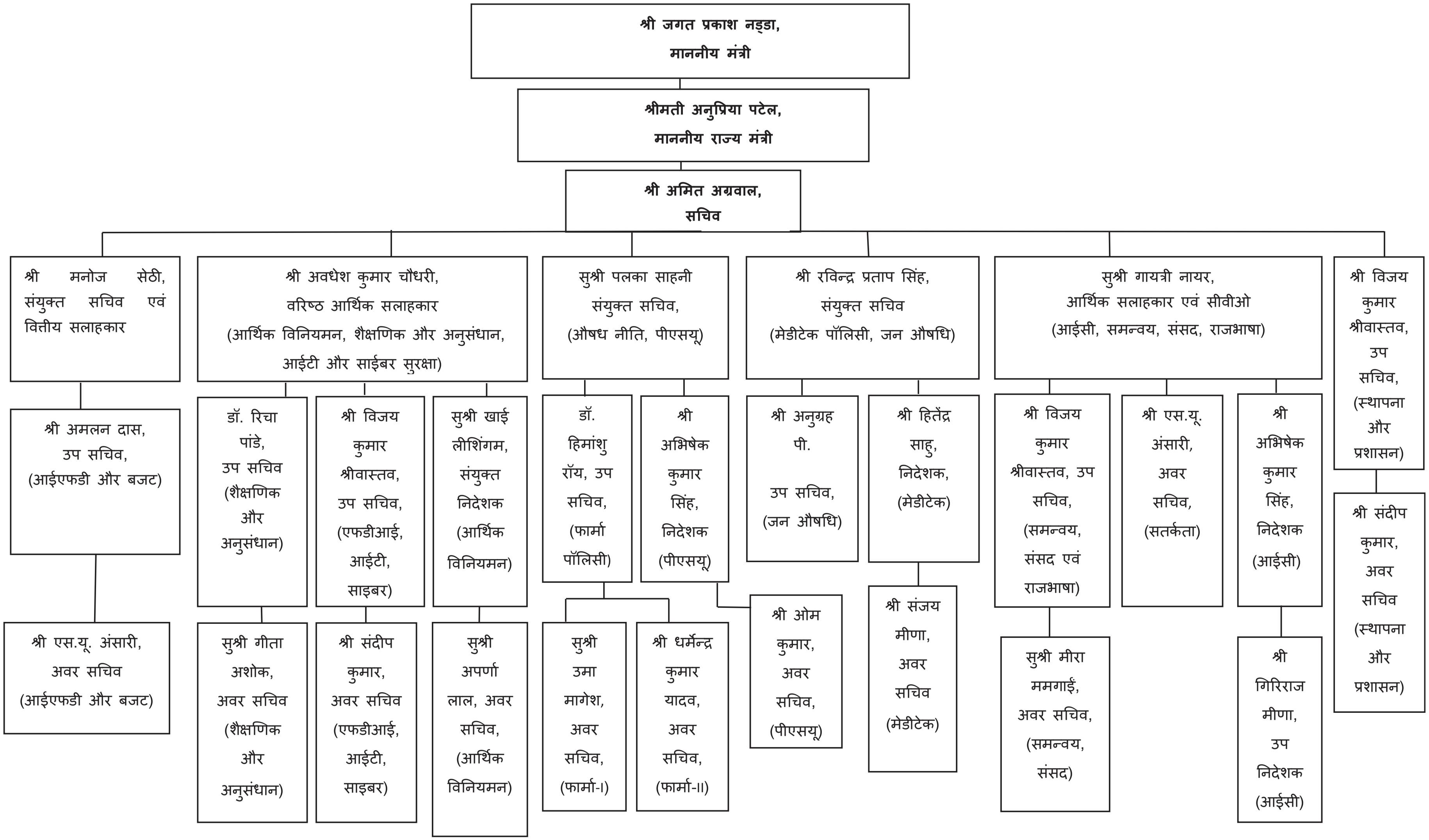

अध्याय 3

कार्यक्रमगत और गैर-कार्यक्रमगत कार्यकलाप

3.1 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए योजना

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजनाबद्ध कार्यकलाप

3.4 फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन योजना

3.5 गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप

अध्याय 3

कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप

औषध विभाग केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, ताकि वे वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा सकें और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण औषध और चिकित्सा उपकरणों की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके। योजना-वार विवरण इस प्रकार है:

3.1 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं

यह विभाग भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुल 14 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में से तीन पीएलआई योजनाओं को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में लागू करता है और वे निम्नानुसार हैं:

क) भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएमएस)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआईएस)/सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना

ख) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए पीएलआई योजना

ग) औषध के लिए पीएलआई योजना

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट https://pharma-dept.gov.in/schemes पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त सभी तीन पीएलआई योजनाओं को समय-सीमा के अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने और बल्क औषधि, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए लागू किया जा रहा है।

3.1.1 भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री/औषधि मध्यवर्ती/सक्रिय औषध सामग्री के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और महत्वपूर्ण एपीआई के संबंध में आयात पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/औषधि मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए "उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)" नाम की एक योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य, क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके पहचान किए गए केएसएम, डीआई और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और इस तरह महत्वपूर्ण एपीआई के संबंध में भारत की आयात पर निर्भरता को कम करना है। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश शुरू में

दिनांक 27.07.2020 को जारी किए गए थे। हालांकि, निवेशकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, दिशानिर्देशों को दिनांक 29.10.2020 को संशोधित किया गया था।

इस योजना में निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत 41 उत्पाद शामिल हैं-

लक्ष्य खंड I - प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
लक्ष्य खंड II - प्रमुख किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
लक्ष्य खंड III - रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती
लक्ष्य खंड IV - अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती/एपीआई

6,940 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन निम्नलिखित दरों पर छह (06) वर्षों के लिए 41 चिन्हित उत्पादों की बिक्री पर प्रदान किया जाएगा:

क. किण्वन आधारित उत्पादों के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन 20% होगा, वर्ष 2027-28 के लिए प्रोत्साहन 15% होगा और वर्ष 2028-29 के लिए प्रोत्साहन 5% होगा।

ख. रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक प्रोत्साहन 10% होगा।

इस योजना के अंतर्गत देश भर से 4 लक्षित खंडों में 41 उत्पादों के लिए कुल 249 आवेदन प्राप्त हुए।

249 आवेदनों में से 48 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 3,938.57 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश और लगभग 9,618 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है। 4,155.80 करोड़ रुपये का निवेश शुरू हो चुका है और 4241 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। प्रारंभ की गई परियोजनाओं द्वारा की गई बिक्री 1,330.82 करोड़ रुपये की है, जिसमें 403.59 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। इस योजना से आयात पर निर्भर बल्क औषधि/औषधि मध्यवर्ती के विनिर्माण की क्षमता सृजित होने की उम्मीद है।

सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1

परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	लक्ष्य खंड	कुल स्वीकृत आवेदक	सितम्बर 2024 तक कुल प्रतिबद्ध निवेश (₹ करोड़ में)	सितंबर 2024 तक वास्तविक निवेश (₹ करोड़ में)	सितम्बर 2024 तक वास्तविक रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	प्रमुख किण्वन आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती	4	2,299.17	2,428.23	2,105
2	प्रमुख किण्वन आधारित विशिष्ट केएसएम/औषधि मध्यवर्ती/ एपीआई	5	300.27	341.77	227
3	प्रमुख रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/औषधि मध्यवर्ती	5	436.90	341.32	289
4	अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/डीआई	34	902.23	1,044.48	1,620
कुल		**48**	**3,938.57**	**4,155.80**	**4,241**

कुछ प्रारंभिक परियोजनाओं की झलकियां:

उत्पाद: पेनिसिलिन-जी (एंटीबायोटिक)

प्लांट: लाइफियस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश

प्लांट: किनवन प्रा. लिमिटेड, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश

उत्पाद: क्लावुलैनिक एसिड (एंटीबायोटिक दवाओं के साथ प्रयोग किया जाने वाला बीटा-लैक्टामेज अवरोधक)

बल्क औषधि के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, पेनिसिलिन जी और क्लावुलैनिक एसिड के लिए किण्वन-आधारित परियोजनाओं का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ₹1,910 करोड़ के निवेश से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक परियोजना देश में सबसे बड़ी किण्वन-आधारित सुविधा है और इससे प्रति वर्ष ₹2,700 करोड़ का आयात प्रतिस्थापन होने की उम्मीद है। ₹450 करोड़ के निवेश से नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में स्थापित एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपयोग होने वाले बीटा-लैक्टामेज अवरोधक क्लुवैलेनिक एसिड की परियोजना से प्रति वर्ष ₹600 करोड़ का आयात प्रतिस्थापन होने की उम्मीद है।

सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 में ₹137.74 करोड़ के निवेश से एटोरवास्टेटिन उत्पाद के लिए नवांशहर, पंजाब में अपना प्लांट स्थापित किया है। एटोरवास्टेटिन स्टैटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए किया जाता है।

आंध्र ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने जुलाई 2024 में ₹30.50 करोड़ के निवेश से तीन उत्पादों ओल्मेसार्टन (उच्च रक्तचाप का इलाज), जून 2021 में ₹38.70 करोड़ के निवेश से सल्फाडायज़ीन (एंटीबायोटिक) और नवंबर 2022 में ₹40.00 करोड़ के निवेश से टेल्मिसर्टन (उच्च रक्तचाप का इलाज) के लिए श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में अपना संयंत्र स्थापित किया है।

3.1.2 चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी, निधि की उच्च लागत, सीमित डिजाइन क्षमताओं और अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास में कम निवेश के कारण, अन्य चीजों के साथ-साथ, विनिर्माण अक्षमता की अधिक लागत से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को "चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" नामक एक योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 29.10.2020 को जारी किए गए थे।

यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू होती है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। इस योजना के अंतर्गत, चयनित कंपनियों को भारत में विनिर्मित और योजना के लक्षित खंडों के अंतर्गत शामिल चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के 5% की दर से पांच साल की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 3.2
प्रोत्साहन का विवरण

आवेदक की श्रेणी	प्रोत्साहन की अवधि	प्रोत्साहन दर
श्रेणी क	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 121 करोड़ रुपये तक सीमित
श्रेणी ख	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	5% प्रति आवेदक 40 करोड़ रुपये तक सीमित

इस योजना के अंतर्गत उत्पादों को निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है -

क. कैंसर परिचर्या / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण
ख. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्युक्लिर इमेजिंग उपकरण
ग. कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण
घ. इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स

सभी चार श्रेणियों के उत्पादों में कुल 77 (श्रेणी-क: 42 और श्रेणी-ख: 35) आवेदन प्राप्त हुए। 77 आवेदनों में से 32 आवेदनों (श्रेणी-क: 19 और श्रेणी-ख: 13) को 13356.94 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश और लगभग 8,399 व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रोजगार सृजन के साथ अनुमोदित किया गया है। सितंबर तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार 1057.47 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 5,453 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। आवेदकों द्वारा की गई संचयी बिक्री 8,039.63 करोड़ रुपये की है (जिसमें 3,844.01 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है)। वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रदर्शन/बिक्री का प्रथम वर्ष था,और परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा त्रैमासिक/अर्धवार्षिक प्रोत्साहन दावों और सत्यापन के लिए पात्र मानदंडों को प्राप्त करने पर आवेदकों को 48.85 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

देश में 19 परियोजनाएं चालू की गई हैं और 44 चिकित्सा उपकरणों जैसे कि कम्प्यूटेड टोपोग्राफ़ी स्कैन (सीटी स्कैन), लीनियर एक्सेलरेटर, रोटेशनल कोबाल्ट मशीन, सी-आर्म्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई), कैथ लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी, डायलिसिस मशीन, हार्ट वाल्व, स्टेंट आदि का निर्माण शुरू हो गया है।

सितम्बर, 2024 तक परियोजनाओं की स्थिति तालिका 3.3 में दी गई है।

तालिका 3.3
परियोजनाओं की स्थिति

क्र सं.	लक्ष्य खंड	कुल स्वीकृत आवेदक		कुल प्रतिबद्ध निवेश (₹ करोड़ में)		वास्तविक निवेश (₹ करोड़ में)	वास्तविक रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	वास्तविक निर्यात (₹ करोड़ में)
		श्रेणी क	श्रेणी ख	श्रेणी क	श्रेणी ख			
1	कैंसर परिचर्या / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण	1	2	24.50	9.50	24.26	400	17.78
2	रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्युक्लिर इमेजिंग	6	4	332.14	183.57	405.45	1,216	1,767.14

	उपकरण							
3	कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी के कैथेटर और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण	6	5	300.64	151.86	315.11	1,531	615.56
4	इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स	6	2	307.83	46.90	312.65	2306	1,443.53
कुल		**19**	**13**	**965.11**	**391.83**	**1,057.47**	**5453**	**3,844.01**

शुरू की गई परियोजनाओं की कुछ झलक:

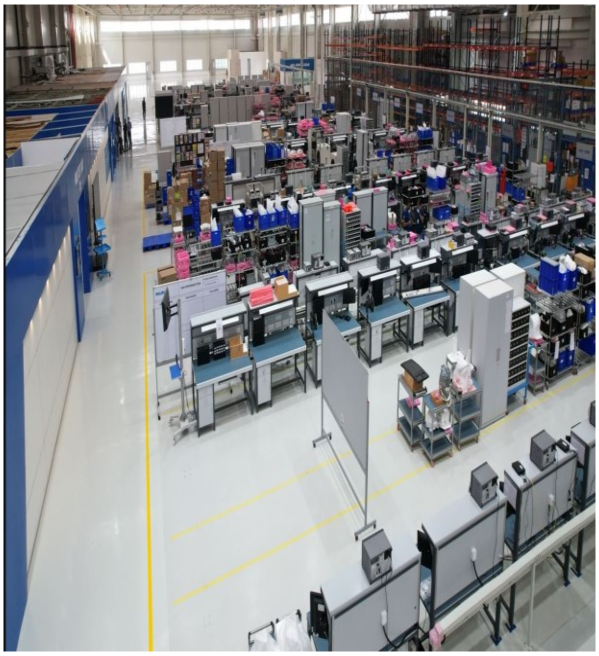

प्लांट: फिलिप्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज एलएलपी

उत्पाद: एमआरआई कॉइल्स

प्लांट: विप्रो जीई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड **उत्पाद: सीटी-स्कैन और एमआरआई**

प्लांट: सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड **उत्पाद: सीटी-स्कैन और एमआरआई**

संयंत्र और स्थान	कुल निवेश (करोड़ रु में)	अनुमोदित उत्पाद
मेरिल ग्रुप - वापी-गुजरात में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण सुविधा	1,400	हृदय वाल्व, स्टेंट, पीटीसीए बैलोन कैथेटर, हिप इम्प्लांट्स, घुटना इम्प्लांट्स और ट्रामा इम्प्लांट्स, हर्निया सर्जिकल मैश इम्प्लांट्स, एंडोकटर, लीनियर स्टेपलर, लीनियर कटर, ट्रोकार, लिटिगेशन क्लिप, हेमोस्टेट्स, इम्पेला, वैस्कुलर क्लोजर उपकरण आदि।

इस योजना के अंतर्गत 9वें आयुर्वेद दिवस अर्थात दिनांक 29.10.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन की गई परियोजनाओं की झलक:

वापी-गुजरात में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण सुविधा

सुल्तानपुर, हैदराबाद में बॉडी इम्प्लांट्स विनिर्माण सुविधा

संयंत्र और स्थान	कुल निवेश (करोड़ रु में)	स्वीकृत उत्पाद
बीपीएल टेक्नोलॉजीज - चिकित्सा उपकरण पार्क सुल्तानपुर, तेलंगाना	317	सर्जिकल एक्स-रे सी-आर्म, फिक्स्ड एलएफ और एचएफ एक्स-रे उत्पाद, एक्स-रे पैनल, अल्ट्रासाउंड उत्पाद, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, स्वचालित एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर(एईडी), ईसीजी, पेशेंट मोनिटरिंग, सिरिंज पंप, डिफिब्रिलेटर, स्ट्रेस टेस्ट सिस्टम,

3.1.3 औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

दिनांक 24.02.2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान करके भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 01.06.2021 को जारी किए गए हैं।

इस योजना में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत औषधीय वस्तुओं को शामिल किया गया है:

श्रेणी 1: बायोफार्मास्युटिकल्स; काम्पलेक्स जेनेरिक औषधियां; पेटेंट वाली औषधियां या पेटेंट की समाप्ति के करीब आने वाली औषधियां; ऑर्फ़न औषधियां; काम्प्लेक्स एक्सीपिएंट्स, आदि।

श्रेणी 2: सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई)/ प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ औषधि मध्यवर्ती (डीआई)।

श्रेणी 3: (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत शामिल न होने वाली औषधियां): दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां; ऑटो इम्यून औषधियां, कैंसर-रोधी औषधियां, डायबिटिक-रोधी औषधियां, इंफेक्टिव-रोधी औषधियां, कार्डियोवास्कुलर औषधियां, साइकोट्रोपिक औषधियां और रेट्रोवायरल-रोधी औषधियां; इन विट्रो डायग्नोस्टिक (आईवीडी) उपकरण।

इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10%, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8% और वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 6% की दर से चयनित प्रतिभागियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

तालिका 3.4

प्रोत्साहन का विवरण: औषध के लिए पीएलआई योजना

समूह	**प्रति आवेदक प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा**	**प्रति आवेदक अतिरिक्त प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा, यदि कोई हो**	**समूह के लिए कुल प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा**
क	1000 करोड़	200 करोड़	11,000 करोड़
ख	250 करोड़	50 करोड़	2,250 करोड़
ग	50 करोड़	10 करोड़	1,750 करोड़

उत्पाद श्रेणी	**प्रोत्साहन दर**	**प्रोत्साहन अवधि**
1 और 2:	10% (पहले 4 वर्ष), 8% (5वां वर्ष) और 6% (6वां वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28
3:	5% (पहले 4 वर्ष), 4% (5वां वर्ष) और 3% (6वां वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28

योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2028-29 तक है। कुल 278 आवेदन प्राप्त हुए थे और योजना के अंतर्गत 20 एमएसएमई सहित 55 आवेदकों का चयन किया गया।

(क) पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत सहायता से देश में उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने और निर्यात में मूल्य संवर्धन बढ़ने के साथ-साथ कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कर्मियों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है और इस क्षेत्र में वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुमानित 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक छह वर्षों के दौरान 2,94,000 करोड़ रुपये की कुल वृद्धिशील बिक्री का अनुमान है।

(ग) योजना के अंतर्गत 55 आवेदकों का चयन किया गया है (जिसमें 20 एमएसएमई शामिल हैं)। 87,535 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किया गया है। चयनित आवेदकों द्वारा की गई बिक्री 2,26,992 करोड़ रुपये की है, जिसमें 1,44,428 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 कार्यनिष्पादन/बिक्री का पहला वर्ष है, और त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक प्रोत्साहन दावों के लिए पात्र मानदंड प्राप्त करने और परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा सत्यापन करने पर आवेदकों को 3,384.75 करोड़ रुपये की संचयी प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

सितंबर, 2024 तक परियोजनाओं की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है।

तालिका 3.5
परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं	आवेदकों की श्रेणी	कुल स्वीकृत आवेदक	कुल प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपए में)	सितंबर 2024 तक वास्तविक निवेश (करोड़ रुपए में)	विनिर्माण स्थानों की संख्या	आर एंड डी स्थानों की संख्या	वास्तविक रोजगार
1	समूह क	11	11,000.00	19,566.31	162	14	20,405
2	समूह ख	9	2,250.00	9,032.17	71	9	38,434
3	समूह ग (गैर-एमएसएमई)	14	700.00	2,680.81	55	5	13,085
4	समूह ग (एमएसएमई)	16	3,161.10	1,848.79	67	1	13,908
5	समूह ग - आईवीडी	5	163.86	216.58	19	2	1,702
कुल		**55**	**17,274.96**	**33,344.66**	**374**	**31**	**87,535**

कुछ कार्यरत परियोजनाओं की झलक:

बायोकॉन लिमिटेड- बेंगलुरु प्लांट

सिम्बियोटेक लैब्स- इंदौर प्लांट

बायोकॉन लिमिटेड- बेंगलुरु प्लांट

सिम्बियोटेक लैब्स- इंदौर प्लांट

3.2 औषध उद्योग के विकास के लिए योजना

3.2.1 बल्क औषधि पार्क के संवर्धन के लिए योजना

देश में बल्क औषधि पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 20.3.2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "बल्क औषधि पार्क संवर्धन" योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य पार्कों में स्थित इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढाँचा सुविधाओं तक आसान पहुँच प्रदान करना है, जिससे विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और इस तरह भारत बल्क औषधि में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे घरेलू बल्क औषधि उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और साथ ही आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है - (i) पार्कों में स्थित बल्क औषधि इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, (ii) साझा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से उद्योग को कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में सहायता करना, और (iii) संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का दोहन करना।

इस योजना के अंतर्गत, साझी अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे (i) केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (iii) तूफानी जल निकासी नेटवर्क (iv) साझा विलायक भंडारण प्रणाली, विलायक पुनर्प्राप्ति और आसवन संयंत्र (v) साझा गोदाम (vi) समर्पित विद्युत उप-स्टेशन और फैक्टरी गेट पर आवश्यक ट्रांसफार्मर के साथ वितरण प्रणाली (vii) कच्चा, पीने योग्य और खनिज रहित पानी (viii) भाप उत्पादन और वितरण प्रणाली (ix) साझा शीतलन प्रणाली और वितरण नेटवर्क (x) साझा लॉजिस्टिक्स (xi) माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और स्थिरता कक्षों सहित एपीआई की जटिल परीक्षण/अनुसंधान आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र (xii) आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (xiii) सुरक्षा/खतरनाक संचालन लेखा परीक्षा केंद्र और (xiv) उत्कृष्टता केंद्र आदि।

इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹3,000 करोड़ है। योजना की विस्तारित अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक है। चयनित बल्क औषधि पार्क को वित्तीय सहायता साझी बुनियादी ढाँचा सुविधाओं की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) के

मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90 प्रतिशत है। एक बल्क औषधि पार्क के लिए योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता ₹1,000 करोड़ तक सीमित है।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को बल्क औषधि पार्क में साझी बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है।

गुजरात की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

(क) कुल परियोजना लागत: ₹2,507.02 करोड़

(ख) क्षेत्रफल: 2,015.02 एकड़

(ग) स्थान: जंबूसर (भरूच के पास), गुजरात

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा अवसंरचना सुविधाओं में भाप उत्पादन और आपूर्ति, साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), उत्कृष्टता केंद्र, विलायक पुनर्प्राप्ति सुविधा, उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाएं (टीएसडीएफ), कच्चे पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट संग्रह पाइपलाइन, सड़कों और आंतरिक नालियों का बुनियादी ढांचा, समुद्री निर्वहन का साझा बुनियादी ढांचा और बिजली बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

(क) कुल परियोजना लागत: ₹1,923 करोड़

(ख) क्षेत्रफल: 1,405.41 एकड़

(ग) स्थान: ऊना, हिमाचल प्रदेश

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा अवसंरचना सुविधाओं में जेडएलडी (शून्य तरल निर्वहन) के साथ साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी नेटवर्क, साझा विलायक भंडारण प्रणाली, विलायक पुनर्प्राप्ति और आसवन संयंत्र, साझा गोदाम, समर्पित विद्युत उप-स्टेशन, भाप उत्पादन और वितरण प्रणाली, कच्चा, पीने योग्य और खनिज रहित पानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, सुरक्षा/खतरनाक परिचालन लेखा परीक्षा केंद्र, आंतरिक सड़क नेटवर्क, उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

(क) कुल परियोजना लागत: ₹1,876.66 करोड़

(ख) क्षेत्रफल: 2,001.80 एकड़

(ग) स्थान: नक्कापल्ली, आंध्र प्रदेश

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझा अवसंरचना सुविधाओं में आंतरिक सड़कें, जल निकासी नेटवर्क, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल संवहन नेटवर्क प्रणाली (सीईटीपी), विद्युत आपूर्ति, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, भाप सह-उत्पादन संयंत्र, सामान्य विलायक पुनर्प्राप्ति प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी नेटवर्क, साझा गोदाम, उन्नत प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र आदि शामिल हैं ।

3.2.2 औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण

औषध विभाग 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण" (एसपीआई) योजना को लागू करता है। योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में मौजूदा औषध क्लस्टरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने और औषध एमएसएमई क्लस्टरों में मौजूदा बुनियादी ढाँचा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एसपीआई योजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) नियुक्त किया गया है।

यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:

(क) साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)

(ख) संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस)

(ग) औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)

(क) साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता: इस योजना का उद्देश्य मौजूदा औषध क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत करना है ताकि साझा सुविधाएं बनाकर उनका सतत विकास हो सके। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।

इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2024 तक, 7 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	**विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का नाम**	**परियोजना**	**स्थान**	**स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति** (दिनांक **31.12.2024 तक)**
1.	जीडिमेट्ला एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लिमिटेड.	साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	हैदराबाद, तेलंगाना	20.00	परियोजना जारी है। ₹11 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
2.	देवभूमि फार्मास्युटिकल टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग फाउंडेशन	परीक्षण प्रयोगशाला	हरिद्वार, उत्तराखंड	20.00	परियोजना जारी है। ₹17 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
3.	टिंडीवनम फार्मा पार्क एसोसिएशन	साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	विलुप्पुरम, तमिलनाडु	15.88	परियोजना जारी है। ₹6 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
4.	वेल्ज़ो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशाला	बद्दी, हिमाचल प्रदेश	19.53	परियोजना जारी है। ₹16.60 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
5.	तेलंगाना लाइफसाइंसेज फाउंडेशन (पूर्व में हैदराबाद फार्मा सिटी लिमिटेड)	रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर उत्कृष्टता केंद्र (एएमआरसीओई)	हैदराबाद, तेलंगाना	18.87	परियोजना जारी है। ₹4.71 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
6.	तिरुपति रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ट्रेंड)	अनुसंधान एवं विकास तथा परीक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधा के लिए साझा सुविधा केंद्र	तिरुपति, आंध्र प्रदेश	20.00	परियोजना जारी है। ₹5 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है
7.	इंडुकेयर फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन (चरण II)	साझा परीक्षण सुविधा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उन्नयन	पुणे, महाराष्ट्र	7.18	परियोजना जारी है। ₹2.15 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है।

(ख) **संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना:** इस योजना को मूल रूप से औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) के रूप में शुरू किया गया था, ताकि प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक मानकों [विश्व स्वास्थ्य संगठन-उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) या अनुसूची-ड] को पूरा करने के लिए

सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) की सुविधा मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पात्र ऋण घटक के लिए ब्याज अनुदान की ऊपरी सीमा ₹10 करोड़ तक प्रदान की गई।

पीटीयूएएस को दिनांक 11.3.2024 को संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर 'पुनर्निर्मित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना' (आरपीटीयूएएस) कर दिया गया, ताकि वैश्विक मानकों के साथ इसके संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए हमारे औषध उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और उन्नत करने में मदद मिल सके। संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 14.3.2024 को मौजूदा फार्मा इकाइयों को 'संशोधित अनुसूची-ड' और 'डब्ल्यूएचओ-जीएमपी' मानकों में अपग्रेड करने की सुविधा देने के उद्देश्य से जारी किए गए थे, जिससे हमारे देश में विनिर्मित औषध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हो सके। योजना के अंतर्गत अधिकतम प्रोत्साहन राशि को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ करके और योजना में पात्र गतिविधियों के अंतर्गत "उत्पादन उपकरण" पर किए गए व्यय को शामिल करके औषधीय इकाइयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 17.9.2024 को योजना को और उदार बनाया गया है।

आरपीटीयूएएस के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित औसत टर्नओवर मानदंड वाली औषध इकाइयों को अधिकतम ₹2.00 करोड़ के अधीन 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा:

- टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ - निवेश का 20 प्रतिशत
- टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ - निवेश का 15 प्रतिशत
- टर्नओवर 250 करोड़ से 500 करोड़ - निवेश का 10 प्रतिशत

योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आवेदन विंडो दिनांक 11.4.2024 से खोली गई थी और नवंबर 2024 तक 210 पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें से योजना संचालन समिति (एसएससी) ने दिनांक 7.11.2024, 12.11.2024 और 25.11.2024 को आयोजित अपनी बैठकों में 62 आवेदनों को पहले ही मंज़ूरी दे दी है।

(ग) **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना :** इस योजना का उद्देश्य अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डाटाबेस विनिर्माण और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाना है।

उप-योजना पीएमपीडीएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में (दिनांक 10.12.2024 की स्थिति के अनुसार) बारह (12) कार्यक्रम/कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं**।** इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 में नौ (09) अध्ययन प्रदान किए गए, जिनमें से पाँच (05) अध्ययन पूरे हो चुके हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में दो (02) नए अध्ययन प्रदान किए गए हैं।

3.3 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन हेतु योजनाबद्ध कार्यकलाप

3.3.1 चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण

चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझा बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है, इस उदेश्य से दिनांक 8.11.2024 को 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच उप-योजनाओं के साथ एक नई योजना "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" शुरू की गई है। योजना की उप-योजनाएँ नीचे दी गई हैं:

(क) *चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएँ* **:** साझी बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ बनाने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर की गुणवत्ता में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना। योजना का कुल परिव्यय ₹110 करोड़ है।

इस योजना के अंतर्गत देश में साझी सुविधाएं स्थापित करने के लिए 4 प्रस्तावों और चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 6 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(ख) *आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना* : इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों, कच्चे माल और सहायक उपकरणों के घरेलू उत्पादन का संवर्धन करना, ताकि भारतीय चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं की आयातित प्रमुख घटकों और कच्चे माल पर निर्भरता कम हो और हमारी वैल्यू चैन की गहराई बढ़ सके। योजना का कुल परिव्यय ₹180 करोड़ है।

(ग) *चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास* : इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में मौजूद अंतर को भरना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता को सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवोन्मेषी बहुविषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण समूह तैयार किया जा सके और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके। योजना का कुल परिव्यय ₹ 100 करोड़ है। इस योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:

घटक क : मौजूदा संस्थानों *अर्थात* केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमएस/एमटेक/पीजी-डिप्लोमा) संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता।

घटक ख : चिकित्सा उपकरण उद्योग के मौजूदा कार्यबल (नैदानिक तकनीशियन, विनियामक), चिकित्सा उपकरण उद्योग में काम करने के इच्छुक फार्माकोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों और निजी संस्थानों [राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित] को वित्तीय सहायता, ताकि उन्हें चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए तैयार किया जा सके।

उप-योजना के अंतर्गत घटक-क के लिए 13 प्रस्तावों और घटक-ख के लिए 5 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(घ) *चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना* : नैदानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित उपकरणों के विकास को बढ़ावा देकर और भारत में विनिर्मित उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने वाले नैदानिक डाटा के विनिर्माण द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग का समर्थन करना। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे घरेलू विनिर्माताओं की उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे। योजना का कुल परिव्यय ₹100 करोड़ है।

(ङ) *चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना* **:** चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन के लिए उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और नीति विनिर्माताओं को एक साथ लाकर इस क्षेत्र के समग्र

विकास के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना और साथ ही सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन, जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन, अध्ययन, डाटाबेस के विनिर्माण आदि के माध्यम से क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना। योजना का कुल परिव्यय ₹10 करोड़ है।

इस योजना के अंतर्गत, उप-योजनाओं-आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश, नैदानिक अध्ययन सहायता योजना और क्षमता विनिर्माण (केवल घटक ख के लिए) के लिए दिनांक 10.1.2025 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन दिनांक 23.12.2024 को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है।

योजना के शुभारंभ की झलकियां :

3.3.2 चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना

देश में चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के संवर्धन के लिए, चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने और चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण लागत को कम करने के लिए, “चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन” योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 20.3.2020 को मंजूरी दी गई थी।

(क) इस योजना में भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण की परिकल्पना की गई है। योजना में आगे परिकल्पना की गई है - (i) पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों तक विश्व स्तरीय साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सुगम पहुंच, (ii) उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत को काफी कम करने में मदद करना जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की

बेहतर उपलब्धता हो सके (iii) संसाधनों के अनुकूलन और पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का फायदा उठाना।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं (सीआईएफ) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे (i) कॉम्पोनेन्ट टेस्टिंग सेंटर/ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)/प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)/ सेंसर सुविधा (ii) इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी सेंटर (iii) बायोमटेरियल /बायोकम्पैटिबिलिटी/एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग सेंटर (iv) मेडिकल ग्रेड मोल्डिंग/मिलिंग/इंजेक्शन मोल्डिंग/मशीनिंग/टूलिंग सेंटर (v) मेडिकल ग्रेड उत्पादों के लिए 3डी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग (vi) स्टरलाइजेशन/एथिलीन ऑक्साइड(ईटीओ)/गामा सेंटर (vii) एनिमल लैब और टॉक्सिसिटी परीक्षण केंद्र (viii) विकिरण परीक्षण केंद्र (ix) रेडियोलॉजी ट्यूब / फ्लैट पैनल डिटेक्टर / एमआरआई मैग्नेट/पीजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल (x) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (xi) साझा माल-गोदाम और रसद (समाशोधन और अग्रेषण, बीमा, परिवहन, सीमा शुल्क, वेब्रिज, आदि) केंद्र (xii)आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र/सुरक्षा/खतरनाक संचालन लेखापरीक्षा केंद्र (xiii) उत्कृष्टता केंद्र/प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर/आईटीआई/प्रशिक्षण केन्द्रों के विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक है। चयनित चिकित्सा उपकरण पार्क को वित्तीय सहायता साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की परियोजना लागत का 70% है। उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) के मामले में वित्तीय सहायता परियोजना लागत का 90% होगी। योजना के अंतर्गत एक चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।

(घ) चिकित्सा उपकरण पार्क में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विनिर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का चयन किया गया था। हिमाचल प्रदेश ने इस योजना से अपना नाम वापस ले लिया है और सूचित किया है कि वह अपने स्वयं के कोष से इस पर कार्य करेगा। अन्य तीनों पार्कों, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सिविल कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है, साझा अवसंरचना सुविधा (सीआईएफ) के लिए आवास उपकरणों की अधिकांश संरचनाओं का विनिर्माण हो चुका है, जबकि उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

क. कुल परियोजना लागत - 155.63 करोड़ रुपये
ख. क्षेत्रफल: 360 एकड़
ग. स्थान - विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन
घ. योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में बायोकंपैटिबिलिटी परीक्षण सुविधा; हिस्टोपैथोलॉजी और हेमोकम्पैटिबिलिटी प्रयोगशाला; 3डी प्रिंटिंग और प्रोटोटाइपिंग सुविधा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मोल्ड के लिए टूल रूम, डाइज विनिर्माण, कंपोनेंट इंसर्शन और वेव सोल्डरिंग सहित प्रिंटिड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) विनिर्माण; एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइज़ेशन, इनक्यूबेशन हब, प्लास्टिक एवं धातु रसायन और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शामिल है

तमिलनाडु की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

क. कुल परियोजना लागत- 153.33 करोड़
ख. क्षेत्रफल: 350 एकड़
ग. स्थान - ऑर्गडम औद्योगिक क्षेत्र, कांचीपुरम
घ. योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पेटिबिलिटी (ईएमसी) केंद्र, गामा इरेडिएशन सेंटर, कैलिब्रेशन सेंटर, एक्सेलेरेटेड एजिंग टेस्टिंग सेंटर, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला, मेडिकल ग्रेड मोल्डिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मेडिकल ग्रेड उत्पादों के लिए 3 डी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग, इनोवेशन हब और टेक्नोलॉजी ब्रिजिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और मेटल फिनिशिंग सुविधा शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश की सीआईएफ परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

क. कुल परियोजना लागत- 186.63 करोड़
ख. क्षेत्रफल: 350 एकड़
ग. स्थान - सेक्टर 28, वाईईआईडीए, गौतम बुद्ध नगर
घ. योजना के तहत विकसित की जा रही प्रमुख साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं में साझी वाणिज्यिक सुविधाएं; केंद्रीय मालगोदाम, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, 3डी डिज़ाइन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और टूलिंग प्रयोगशाला, जैव सामग्री परीक्षण सुविधा; और गामा इरेडिएशन जोन शामिल हैं

3.4 फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन योजना

मंत्रिमंडल ने अनुसंधान और विकास में उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को पोषित करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए

पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28) में 5,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन (पीआरआईपी) योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना में दो घटक शामिल हैं:

घटक क : राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) में वायरल-रोधी ड्रग डिस्कवरी, चिकित्सा उपकरण, बल्क औषधि और जैविक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए सात उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए 700 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। दिनांक 29.10.2024 को, माननीय प्रधानमंत्री ने नाईपर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद और मोहाली में चार सीओई का उद्घाटन और शिलान्यास किया ।

घटक ख : उद्योगों, एमएसएमई, स्टार्टअप और शैक्षणिक अनुसंधान सहभागिता को 4,250 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए नई रासायनिक संस्थाओं, बायोसिमिलर, ऑर्फ़न औषधि और रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

पीआरआईपी योजना का उद्देश्य नाईपर में विश्व स्तरीय अनुसंधान अवसंरचना विकसित करना, उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देना और वैश्विक औषध बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों को लॉन्च करना, राजस्व में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के माध्यम से औषध क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान करके, यह योजना वहनीय और सुलभ स्वास्थ्य सेवा समाधान विकसित करने में योगदान देगी, जिससे भारत नवाचार-आधारित औषध अवसरों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सकेगा।

3.5 गैर-योजनाबद्ध हस्तक्षेप

3.5.1 औषध विपणन पद्धति संबंधी एकसमान संहिता 2024

औषध विपणन पद्धति संबंधी एकसमान (यूसीपीएमपी) संहिता 2024 को दिनांक 10.3.2024 को अधिसूचित किया गया।

इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित 'मेडिसिनल ड्रग प्रमोशन' से उद्धृत किया गया है। यह औषध कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों के बीच संवाद के लिए नैतिक मानदंड निर्धारित करती है, जो कि रोगी और स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण उद्योग है।

औषध विपणन पद्धति संबंधी आचार समिति (ईसीपीएमपी) औषध एसोसिएशन के स्तर पर है और अपील औषध विभाग के स्तर पर है। संहिता की धारा 12 के अंतर्गत, सिविल दंड के अतिरिक्त, संबंधित सरकारी एजेंसी या प्राधिकरण को क़ानून के अनुसार लाया जा सकता है। संहिता सहकारी और सहयोगी अनुपालन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है।

यूसीपीएमपी 2024 की मुख्य विशेषताएं :

(क) प्रचार गतिविधियों को विनियमित करना: औषधियों के बारे में जानकारी संतुलित और अद्यतन होनी चाहिए तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए। दवाओं का प्रत्यक्ष विज्ञापन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) दावा और तुलना तथ्यात्मक, निष्पक्ष और प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए।

(ग) पाठ्य एवं ऑडियो-विडियो प्रचार : औषधि का नाम, औषधि के प्राधिकरण धारक का नाम और पता, सक्रिय अवयवों की सूची, जेनेरिक नाम का उपयोग; अनुशंसित खुराक, उपयोग की विधि; प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं, चेतावनियां, उपयोग के लिए सावधानियां आदि का स्पष्ट प्रदर्शन।

(घ) चिकित्सा प्रतिनिधि: किसी स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए, कंपनियां चिकित्सा प्रतिनिधियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं।

(ङ) ब्रांड रिमाइंडर: प्रति आइटम ₹1,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। संहिता के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सैंपल पैक सीमित होने चाहिए; कंपनी को मुफ़्त सैंपल का विवरण बनाए रखना चाहिए।

(च) सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई): विदेशी स्थानों में सीएमई, सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) निषिद्ध है। कंपनी को अपनी वेबसाइट पर ऐसे आयोजनों, व्ययों का विवरण साझा करना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र, यादृच्छिक या जोखिम-आधारित ऑडिट के अधीन हो सकता है। ऐसे आयोजनों पर व्यय आयकर अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

(छ) स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी के साथ संबंध: कोई उपहार नहीं, किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं, देश के अंदर या बाहर यात्रा की सुविधा नहीं देनी चाहिए, जब तक कि वह व्यक्ति सीएमई या सीपीडी कार्यक्रम के लिए वक्ता न हो, आतिथ्य नहीं देना चाहिए, किसी भी स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायी या उनके परिवार के सदस्यों (तत्काल और विस्तारित दोनों) को नकद या आर्थिक अनुदान नहीं देना चाहिए।

शिकायत निवारण:

प्राथमिक स्तर पर यूसीपीएमपी कोड के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए औषध विपणन पद्धति (ईसीपीएमपी) के लिए आचार समिति, औषध एसोसिएशनों के स्तर पर हैं।

अपील निवारण:

यूसीपीएमपी संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों में औषध विभाग (डीओपी) अपीलीय प्राधिकारी है।

यदि शिकायत में शामिल कोई पक्ष, अर्थात शिकायतकर्ता या प्रतिवादी, संबंधित उद्योग संघ के ईसीपीएमपी द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत हैं, तो वे औषध विभाग की औषध विपणन पद्धति संबंधी सर्वोच्च समिति (एसीपीएमपी) में अपील कर सकते हैं ।

एसीपीएमपी का नेतृत्व सचिव, औषध विभाग करते हैं और इसमें एक संयुक्त सचिव और संबंधित विषय में विशेषज्ञता रखने वाले एक वित्त अधिकारी शामिल होते हैं।

दंड:

उल्लंघन के लिए दंड में इकाई को एसोसिएशन से निलंबित या निष्कासित करना, पूर्ण विवरण प्रकाशित करके औपचारिक फटकार लगाना, या इकाई को मूल प्रचार सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाले उसी मीडिया में सुधारात्मक बयान जारी करने की आवश्यकता शामिल हो सकती है (समिति द्वारा सामग्री, माध्यम और समय की पूर्व स्वीकृति के अधीन)। इसके अतिरिक्त, संस्था को संबंधित व्यक्तियों से संहिता के उल्लंघन में दिए गए धन या वस्तुओं की वसूली करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें वसूली की कार्रवाई का लिखित विवरण समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक, दंडात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई किसी सरकारी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आती है, समिति औषध विभाग के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें भेज सकती है।

स्व-घोषणा: यूसीपीएमपी संहिता के पैरा 14.4 के अंतर्गत, औषध कंपनियों द्वारा अपने संबंधित उद्योग संघों के समक्ष स्व-घोषणा का प्रावधान है।

डाटा प्रारूप: निःशुल्क नमूनों और सीएमई/सीपीडी/सम्मेलन आदि पर किए गए व्यय की जानकारी निरंतर आधार पर भरी जानी है।

3.5.2 चिकित्सा उपकरण विपणन पद्धति संबंधी एकसमान संहिता

चिकित्सा उपकरण विपणन पद्धति संबंधी एकसमान संहिता (यूसीएमपीएमडी) 2024 को दिनांक 6.9.2024 को लागू किया गया। इस संहिता का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण कंपनियों और स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों के बीच बातचीत के लिए नैतिक मानदंड निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण

विनिर्माताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।

यह संहिता सहकारी और सहयोगात्मक अनुपालन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है।

इन संहिताओं में दावों और तुलना के लिए नैतिक आचरण, पाठ्य और ऑडियो-विडियो प्रचार, ब्रांड रिमाइंडर, मूल्यांकन और प्रदर्शन नमूने; सतत चिकित्सा शिक्षा; अनुसंधान और परामर्श के लिए चिकित्सा चिकित्सकों के साथ उद्योग की सहभागिता तथा शिकायतों के पंजीकरण और उनके निवारण के लिए तंत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

संहिता के अंतर्गत, चिकित्सा उपकरण उद्योग संघों के स्तर पर चिकित्सा उपकरणों में विपणन पद्धतियों के लिए आचार समिति (ईसीएमपीएमडी) गठित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि औषध विभाग के स्तर पर उक्त संहिता के अंतर्गत गठित शीर्ष समिति के समक्ष अपील करने का प्रावधान किया गया है।

3.5.3 भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास और नवाचार संबंधी राष्ट्रीय नीति

संसदीय स्थायी समिति की 46वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप, विभाग ने औषध और मेडिटेक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति का गठन किया, जिसमें अकादमिक-उद्योग सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, "भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को उत्प्रेरित करने की नीति" का मसौदा तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और भारत को औषधि खोज और नवीन चिकित्सा उपकरणों में अग्रणी बनाने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

यह नीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देती है: नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला विनियामक ढांचा तैयार करना, पीआरआईपी योजना जैसे कार्यकलापों के माध्यम से राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना और नाईपर में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करके और भारतीय औषध और मेडटेक अनुसंधान परिषद (आईसीपीएमआर) की स्थापना करके पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना। अंतिम नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 25.7.2023 को मंजूरी दी थी और दिनांक 18.8.2023 को अधिसूचित किया था।

इस नीति को लागू करने के लिए, दिनांक 12.12.2023 को एक कार्य योजना परिचालित की गई थी, जिसमें प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित अनुसंधान और विकास नीति पोर्टल भी शामिल है। कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए दिनांक 26.12.2023 को एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए ₹5,000 करोड़ के बजट के साथ पीआरआईपी योजना शुरू की गई थी। उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 5.3.2024 को एक भारतीय औषध और मेडटेक अनुसंधान परिषद (आईसीपीएमआर) की स्थापना की गई थी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, उद्योग के अग्रणियों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व था। परिषद औषध विभाग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करती है, जिसमें महानिदेशक पद का सृजन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

3.5.4 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.4.2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य भारत में एक अभिनव और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योग, सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र, सुव्यवस्थित विनियामक ढांचे और गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति का विनिर्माण करके रोगियों की उभरती हुई स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को त्वरित विकास पथ पर लाना है। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणामों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले पेटेंट-केंद्रित, अभिनव और वहनीय स्वास्थ्य सेवा उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करेगा और कार्यनीतियों के छह व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतियों के एक सेट के माध्यम से अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करेगा-

(क) विनियामक सुव्यवस्थितीकरण
(ख) सक्षम बुनियादी ढांचा
(ग) अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाना
(घ) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना
(ङ) मानव संसाधन विकास
(च) ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन

उक्त कार्यनीतियों के समय पर कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभाग समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है। दिनांक 31.12.2024 तक, राष्ट्रीय चिकित्सा

उपकरण नीति, 2023 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित हितधारकों/विभागों के साथ दिनांक 15.5.2023, 27.9.2023, 22.3.2024 और 4.10.2024 को कुल 04 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी। समय-समय पर प्रगति की निगरानी और अपडेट की सुविधा के लिए विभाग द्वारा एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है।

3.5.5 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का पुनर्गठन

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) की स्थापना डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 03.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा की गई थी। चूंकि औषध विभाग के पास चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवर्धन के लिए अधिदेश है और इसने चिकित्सा उपकरण संघों के स्थायी मंच जैसे समर्पित संस्थागत तंत्र बनाए हैं, डीपीआईआईटी ने सचिव, औषध विभाग की अध्यक्षता में एनएमडीपीसी को पुनर्गठित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, दिनांक 05.08.2022 से औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) का पुनर्गठन किया गया। परिषद में सरकार और उद्योग के हितधारक शामिल हैं और यह व्यवसाय करने में सुगमता और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के संवर्धन के लिए विभिन्न विनियामक मुद्दों पर चर्चा और समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की उपस्थिति में चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ दिनांक 14.9.2022, 25.5.2023 और 21.10.2024 को कुल 03 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.5.6 चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना

चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी-एमडी) की स्थापना दिनांक 22.5.2023 को औषध विभाग के तत्वावधान में की गई थी जिसका मुख्यालय यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए), ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। परिषद का प्रशासन और प्रबंधन एक प्रशासन समिति (सीओए) के माध्यम से होता है। ईपीसी के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की गई है। परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं -

(क) भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन/भागीदारी सहित विभिन्न प्रचार गतिविधियों के माध्यम से निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करना।

(ख) परिषद विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई निर्यातकों के लिए उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती है।

3.5.7 उद्योग संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(क) मेडीटेक स्टैकथॉन 2024

औषध विभाग ने मेडिटेक स्टैकथॉन, 2024 का आयोजन दो चरणों में क्रमशः दिनांक 7.5.2024 और 29.8.2024 को किया। इस पहल का उद्देश्य चयनित चिकित्सा उपकरणों की मूल्य श्रृंखलाओं का मानचित्रण करना और भारतीय मेडिटेक क्षेत्र में विकास और नवाचार के अवसरों की पहचान करना था। स्टैकथॉन में कैंसर थेरेपी, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर और अन्य सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरण खंडों पर केंद्रित समूह चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में जाने वाले प्रमुख घटकों, कच्चे माल, सब-असेंबली आदि, उनकी शुल्क दरें और जीएसटी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, जिसके आधार पर शुल्क व्युत्क्रम जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए उपयुक्त सिफारिशें की जाएंगी। भारतीय मेडिटेक क्षेत्र के संवर्धन के लिए उद्योग द्वारा आवश्यक सहयोग और सर्वोत्तम पद्धतियों पर इनपुट भी साझा किए गए थे।

मेडिटेक स्टैकथॉन- I की झलक

मेडीटेक स्टैकथॉन-II की झलक

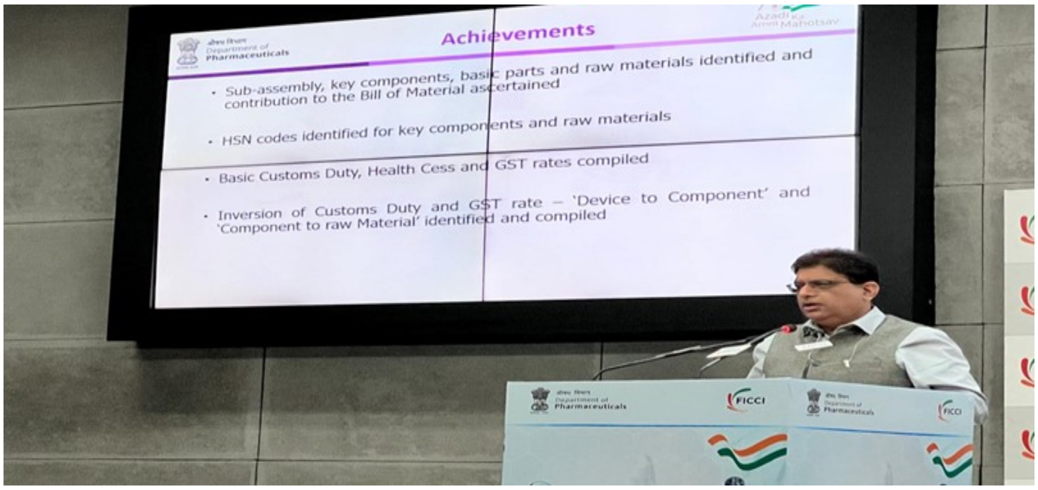

(ख) "चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना (जिसे अब चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास के रूप में जाना जाता है)" के लिए कार्यशाला

"चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना" (जिसे अब "चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण और कौशल विकास के रूप में जाना जाता है) के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) लाइफ साइंसेज स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एलएसएसडीसी) ने दिनांक 10.7.2024 को विशेष रूप से नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एनएसआईटी) सहित सभी केंद्रीय सरकारी संस्थानों के लिए "सूचना प्रसार और भविष्य की दिशा" पर एक आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की, ताकि उन्हें योजना और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके। इस कार्यशाला ने उद्योग के हितधारकों और संभावित आवेदकों - संस्थानों, एजेंसियों और संगठनों के बीच बातचीत को भी सुगम बनाया।

कार्यशाला की झलक

3.5.8 फार्मा ब्यूरो

फार्मा ब्यूरो औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेशकों को सुविधा प्रदान करता है और उनके अंतर-विभागीय समन्वय मुद्दों का समाधान प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं-

(क) औषध
(ख) चिकित्सा उपकरण
(ग) परियोजना प्रबंधन
(घ) विधि
(ङ) एफडीआई
(च) मीडिया

फार्मा ब्यूरो उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने के लिए औषध विभाग को नीतिगत सहायता भी प्रदान करता है। फार्मा ब्यूरो औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़े रहने और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग के परियोजना विकास प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करता है।

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

4.1 योजना की पृष्ठभूमि

4.2 योजना की प्रगति

4.3 केन्द्रों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

4.4 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां

4.5 स्वच्छता विशेष अभियान 4.0

अध्याय 4

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

4.1 योजना की पृष्ठभूमि

सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2008 में 'जन औषधि' योजना शुरू की गई थी। सितंबर 2015 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (पीएमजेएवाई) कर दिया गया तथा दिसंबर 2016 में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) कर दिया गया। इस योजना के तहत किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र (जेएके) के रूप में समर्पित आउटलेट खोले गए हैं।

दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 14,320 जेएके खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी अपने उत्पाद बास्केट का विस्तार कर रही है और दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 2047 प्रकार की दवाइयां और 300 सर्जिकल, मेडिकल उपभोज्य वस्तुएं और उपकरण उत्पाद बास्केट में शामिल किए गए हैं, जिनमें सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक्स, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-एलर्जिक, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल दवाएं, न्यूट्रास्युटिकल्स आदि शामिल हैं।

दिसंबर 2017 से, व्यक्तिगत उद्यमी बड़ी संख्या में पीएमबीजेपी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आगे आए हैं, सरकार द्वारा गहन मीडिया अभियानों के माध्यम से उन्हें प्रेरित करते हुए उनके सुदृढ़ीकरण के लिए और सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जन औषधि केंद्र खोलने में वर्षवार प्रगति चार्ट 4.1 में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.1

खोले गए जन औषधि केन्द्रों की वर्षवार कुल संख्या

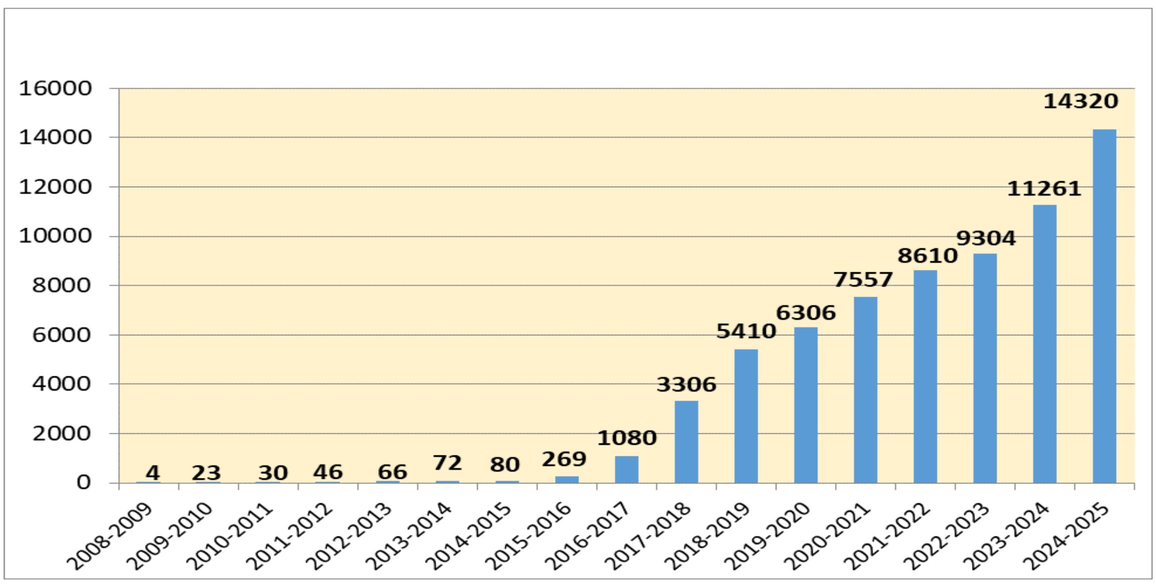

नोट: वर्ष 2024-25 के आंकड़े दिनांक 30.11.2024 तक हैं।

4.1.1 कार्यान्वयन एजेंसी

यह योजना भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा लागू की गई है, जिसे पहले भारतीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के रूप में जाना जाता था। ब्यूरो के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। पीएमबीआई के नीतिगत निर्णय शासी परिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसे औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में स्थापित किया जाता है।

4.1.2 उद्देश्य

(क) आबादी के सभी वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

(ख) शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इस धारणा का मुकाबला किया जा सके कि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय है।

(ग) जन औषधि केंद्र खोलने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार सृजन करना।

4.1.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत प्रोत्साहन निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है: -

सामान्य प्रोत्साहन: सभी उद्यमियों द्वारा संचालित केन्द्र, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े हैं, कुछ शर्तों, जैसे विनिर्दिष्ट दवाओं के स्टॉक को बनाए रखने के आधार पर मासिक खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति माह तक है।

अतिरिक्त प्रोत्साहन:- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा परिभाषित आकांक्षी जिलों में खोले गए जन औषधि केंद्रों या महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा खोले गए जन औषधि केंद्रों को 2.00 लाख रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (फर्नीचर और फिक्सचर आदि हेतु सहायता के रूप में) प्रदान की जाती है।

4.1.4 अब तक की यात्रा

वर्ष 2020 से 2025 तक की पंचवर्षीय योजना के आधार पर, 10,500 पीएमबीजेके के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसे दिनांक 31.12.2023 तक 10,000 पीएमबीजेके में संशोधित किया गया। भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने समय से पहले लक्ष्य हासिल किया। इसके अलावा, मार्च, 2025 तक 15000 केंद्र खोलने के लक्ष्य की तुलना में; दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार कुल 14,320 केंद्र खोले जा चुके हैं। योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां चार्ट 4.2 में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 4.2

योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

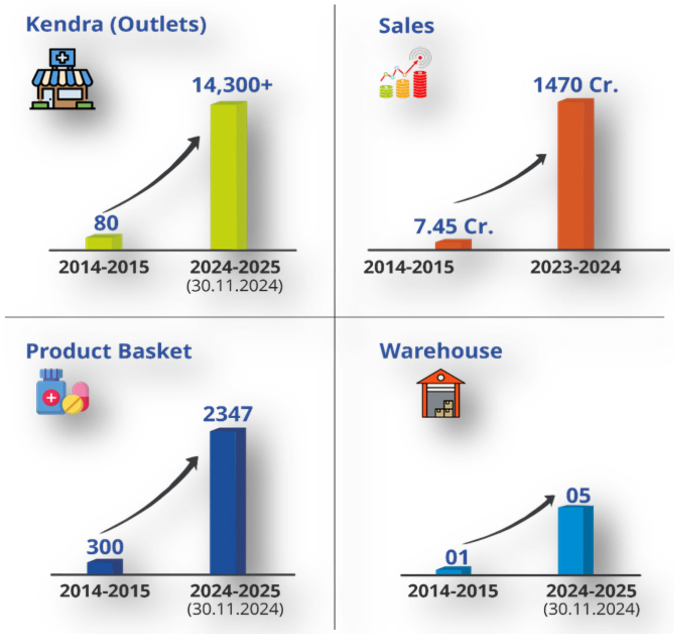

4.1.5 आम जनता के लिए बचत

(क) यह योजना अपनी टैगलाइन "जनऔषधि - सेवा भी, रोज़गार भी" के साथ न्याय कर रही है।

(ख) पीएमबीजेपी की किफायती स्वास्थ्य परिचर्या पहल ने स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले व्यय को काफी कम कर दिया है, जिससे पर्याप्त बचत हुई है।

पीएमबीजेपी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अनुमानित बचत चार्ट 4.3 में दर्शाई गयी है:

चार्ट 4.3

पीएमबीजेपी के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बचत (करोड़ रुपये में)

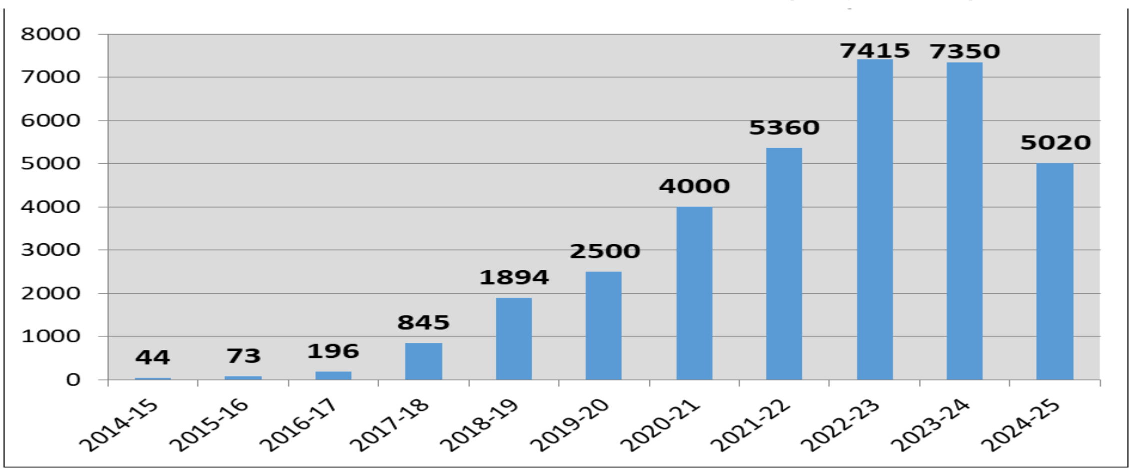

नोट: वर्ष 2024-25 के आंकड़े दिनांक 30.11.2024 तक हैं।

4.1.6 औषधियों की खरीद: -

उत्पाद टोकरी के अंतर्गत उपलब्ध दवाओं की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन - उत्तम विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है ताकि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने के बाद ही दवाएं जन औषधि केंद्रों को भेजी जाती हैं।

4.1.7 आईटी सक्षम मालगोदाम / आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का कार्यान्वयन

सुचारू आपूर्ति और उत्पादों की उपलब्धता के लिए, एक 360 डिग्री आईटी-सक्षम परिपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली लागू की गई है।

(क) इसमें गुरुग्राम में एक केंद्रीय मालगोदाम और चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी और सूरत में चार क्षेत्रीय मालगोदाम शामिल हैं।

(ख) इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और मालगोदाम खोलने की योजना बनाई गई है।

(ग) आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 36 वितरकों की भी नियुक्ति की गई है।

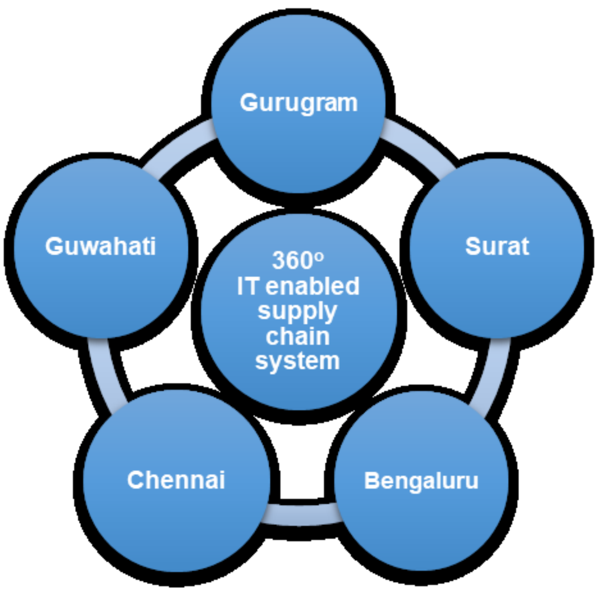

4.1.8 सिस्टम एप्लीकेशनों और उत्पाद तथा प्वाइंट ऑफ सेल प्रणालियों का कार्यान्वयन:

प्रक्रिया में हर कदम पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एकल आईटी सक्षम प्रणाली (एसएपी)/पीओएस के साथ सभी बिलिंग और ऑर्डरिंग क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। सभी जेएके को सुचारू और पारदर्शी ऑर्डरिंग और बिलिंग प्रक्रिया के लिए यह सॉफ्टवेयर प्रदान किया गया है।

4.1.9 जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप

एक मोबाइल एप्लिकेशन "जन औषधि सुगम" आम जनता के लिए एक सुविधा है जो कई उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवाओं जैसे - पास के जेएके (गूगल मैप्स के माध्यम से दिशा निर्देशित) का पता लगाना, जन औषधि दवाओं की खोज, एमआरपी बचत के रूप में जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवा की उत्पाद तुलना आदि का लाभ उठाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

प्रक्रिया प्रवाह इस प्रकार है:

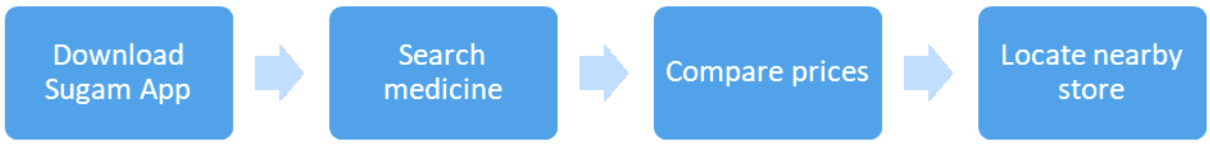

4.1.10 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के साथ महिला सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत विभाग ने हमेशा महिलाओं को जन औषधि केंद्र खोलने और आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष अवसर देकर उन्हें प्राथमिकता दी है। पीएमबीजेपी के तहत दिनांक 30.11.2024 तक 14,320 जन औषधि केंद्रों में से 5,576 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

इसके अलावा, महिलाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा और मासिक धर्म स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिनों की बिक्री जन औषधि केंद्रों द्वारा केवल 1 रुपये प्रति सैनिटरी पैड की दर से की जाती है। जनऔषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि ये पैड अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स के अनुरूप ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री (एएसटीएम) डी-6954 (बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट) मानकों का अनुपालन करने वाली ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाए जाते हैं। पिछले चार वर्षों में, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 64.50 करोड़ रूपये से अधिक के जनऔषधि सुविधा सैनिटरी पैड की बिक्री की गई है।

4.2 योजना की प्रगति

तालिका 4.1

योजना की प्रगति

वित्तीय वर्ष	पीएमबीजेपी केंद्रों की संख्या कार्यरत		एमआरपी पर बिक्री (मूल्य करोड़ में)
	शुद्ध वार्षिक योग	संचयी	
2016-17	811	1080	32.66
2017-18	2226	3306	140.84
2018-19	1834	5140	315.28
2019-20	1166	6306	433.63
2020-21	1251	7557	665.83
2021-22	1053	8610	893.57
2022-23	694	9304	1235.95
2023-24	1957	11,261	1470
2024-25 (दिनांक 30.11.2024 तक)	3059	14,320	1255

4.3 केन्द्रों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

(क) उत्पाद श्रृंखला का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि लगभग सभी पुरानी और तीक्ष्ण रोग स्थितियों को कवर करने वाली दवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) राज्य के स्वास्थ्य विभागों और संबद्ध सरकारी प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जन औषधि स्टोर खोलने के लिए किराया मुक्त स्थान उपलब्ध कराएं।

(ग) आम लोगों के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रिंट, आउटडोर, रेडियो और सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पीएमबीजेपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपना रही है। पूरे भारत में स्टोरों के मालिकों, डॉक्टरों और विभिन्न महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रचार कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए औषध विभाग ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। दिनांक 30.11.2024 तक पीएसीएस और अन्य सहकारी समितियों द्वारा 687 केंद्र खोले जा चुके हैं।

(ङ) बेहतर उपलब्धता के लिए जन औषधि केंद्रों को प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु पात्रता शर्त के रूप में तेजी से बिकने वाली 200 दवाओं के भंडारण के साथ न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया गया है।

4.4 पिछले एक वर्ष के दौरान उपलब्धियां

4.4.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नया विभाग:

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएमबीजेपी के लाभों का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, पीएमबीआई ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान मित्र देशों को वितरण के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) को दवाओं की आपूर्ति करके परोपकारी क्रियाकलाप शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हुए, पीएमबीआई में एक नया विभाग अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग स्थापित किया गया है। दूसरे देशों को जन औषधि की किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

पीएमबीआई ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से सूरीनाम, सऊदी अरब (जेद्दाह हज), पलाऊ, साओ टोम और प्रिंसिपे, मलावी, अफगानिस्तान, यूक्रेन और ग्वाटेमाला सहित कई विदेशी देशों को दान के आधार पर जन औषधि दवाओं की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है।

मॉरीशस में पहले अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक है, जिसका उद्घाटन दिनांक 17.07.2024 को माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम श्री प्रविंद कुमार जगुनौथ द्वारा किया गया था। हृदयवाहिका, एन्लजैस्टिक, नेत्र संबंधी और एलर्जी रोधी जैसी चिकित्सीय श्रेणियों को कवर करते हुए 13.59 लाख रुपये की लागत वाली 10 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ने इस अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत की।

पीएमबीआई ने बुर्किना फासो, फिजी और सेंट किट्स एंड नेविस जैसे कई देशों के साथ चर्चा की, जिनके प्रतिनिधियों ने हाल ही में पीएमबीआई के मुख्यालय, केंद्रीय मालगोदाम और जन औषधि केंद्र का दौरा किया, ताकि वे अपने-अपने देशों में योजना या मॉडल को लागू करने के तरीकों को समझ सकें, सीख सकें और उनकी खोज कर सकें। इच्छुक देशों को जन औषधि दवाओं की आपूर्ति के लिए भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार करना एक पूर्व शर्त है।

मॉरीशस में जन औषधि केंद्र

4.4.2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जन औषधि केन्द्रों का उद्घाटन

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 19.10.2024 को एम्स नई दिल्ली, एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और एम्स कल्याणी (पश्चिम बंगाल) के परिसरों में नए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया, जिससे अधिक एम्स पीएमबीजेपी के कवरेज के अंतर्गत आ गए और बड़ी संख्या में एम्स में आने वाले मरीज लाभान्वित हुए।

एम्स, नई दिल्ली में जन औषधि केंद्र

4.4.3 भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में 18 नए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन

माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में 18 नए जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। अब तक 69 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इन 18

नए केंद्रों का उद्घाटन जन औषधि परियोजना की सफलता को दर्शाता है, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को वहनीय कीमतों पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेंगी।

तिरुचिरापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, तमिलनाडु में जन औषधि केंद्र

4.4.4 भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), दिल्ली ने नई दिल्ली स्थित पीएमबीआई मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और आईआरसीएस दिल्ली शाखा के मानद सचिव श्री अजय गुप्ता और पीएमबीआई के सीईओ श्री रवि दधीच के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईआरसीएस दिल्ली अस्पताल को उच्च गुणवत्ता वाली जन औषधि दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने नई दिल्ली में पीएमबीआई मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कोल इंडिया परिसर में जन औषधि केंद्रों की स्थापना के माध्यम से कोल इंडिया से जुड़े कर्मचारियों और समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।

कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने नई दिल्ली में पीएमबीआई मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ईएसआईसी अस्पतालों और औषधालयों को उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है, जिससे लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार हो।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पीएमबीजेपी ने दिनांक 29.11.2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स (सीएपीएफएस, एनएसजी और एआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सीएपीएफ, एनएसजी और एआर (एमएचए) अस्पतालों और अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में जन औषधि दवाओं को लाकर स्वास्थ्य परिचर्या पहुंच को बढ़ाया जा सके।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

4.4.5 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2024 में भागीदारी

पीएमबीआई ने 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2024 में भाग लिया और दिनांक 14 - 27.11.2024 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हॉल नंबर 4, स्टॉल नंबर 4एच-01-बी में जन औषधि मॉडल शॉप का प्रदर्शन किया। आम जनता को जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया और केंद्रों में सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के बारे में जागरूक किया गया।

43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2024 में पीएमबीआई का स्टॉल

4.4.6 औषधि विनियामक प्राधिकरण के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

पीएमबीआई ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के बारे में 150 प्रतिभागी देशों के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा 14 से 15 अक्टूबर तक नई दिल्ली, यशोभूमि, भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी केंद्र (आईसीसी) में आयोजित औषधि विनियामक प्राधिकरण (आईसीडीआरए) के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने पीएमबीजेपी मॉक-अप स्टॉल का उद्घाटन किया और सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के उल्लेखनीय कार्य के लिए जनऔषधि को शुभकामनाएं प्रदान की।

माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री औषधि विनियामक प्राधिकरण के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरए) में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

औषधि विनियामक प्राधिकरण के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरए) में पीएमबीआई की भागीदारी

4.5 स्वच्छता विशेष अभियान 4.0 का उत्सव

स्वस्थ जीवन के आवश्यक स्तंभों के रूप में स्वच्छता और सफाई के प्रति प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने अक्टूबर 2024 का महीना "स्वच्छता विशेष अभियान 4.0" को समर्पित किया। दिनांक 07.10.2024 को पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों के मालिकों और अन्य हितधारकों द्वारा जन औषधि केंद्रों में और आसपास सभी लोगों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ स्थानों संबंधी विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा, सफाई और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता के तहत दिनांक 09.10.2024 को कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में

स्वच्छता प्रोटोकॉल लागू करते हुए, पीएमबीआई मुख्यालय दिल्ली में एक विशेष सफाई अभियान भी सक्रिय रूप से संचालित किया गया।

पहले

बाद में

पहले

बाद में

विशेष अभियान के दौरान किया गया स्वच्छता कार्य

अध्याय 5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

5.1 पृष्ठभूमि

5.2 नाईपर एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

5.3 नाईपर कोलकाता

5.4 नाईपर रायबरेली

5.5 नाईपर हैदराबाद

5.6 नाईपर हाजीपुर

5.7 नाईपर गुवाहाटी

5.8 नाईपर अहमदाबाद

अध्याय 5

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

5.1 पृष्ठभूमि

भारतीय फार्मा उद्योग जेनेरिक दवाओं में विश्व में अग्रणी रहा है। दवाओं की खोज और विकास में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए और सम्मिश्रणों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखने के लिए सरकार ने स्वीकार किया कि मानव संसाधन/प्रतिभा पूल बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल संसाधनों को संपोषित करने और उन्हें औषध और मेडटेक क्षेत्र को प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की गई। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में एसएएस नगर, मोहाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना की गई और इसे संसद के एक अधिनियम, नाईपर अधिनियम, 1998 के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई तथा इसे राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया।

वर्ष 2007 में अधिनियम में संशोधन के बाद अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में छह और नाईपर स्थापित किए गए। सात मौजूदा नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के निर्माण की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

नाईपरों के लिए भूमि आवंटन और परिसरों के निर्माण की स्थिति:

तालिका 5.1
नाईपरों के भूमि आवंटन और परिसरों के निर्माण की स्थिति

नाईपर का नाम	स्थापना	भूमि आबंटन और निर्माण की स्थिति
अहमदाबाद	2007	नाईपर अहमदाबाद के लिए गांधीनगर, गुजरात में लगभग 60 एकड भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। माननीय गृह मंत्री ने दिनांक 30.09.2023 को नाईपर, अहमदाबाद के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया।
गुवाहाटी	2008	नाईपर, गुवाहाटी को ग्राम सिला, चंगसारी जिला, कामरूप में 66.02 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में चुना गया है। परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसने अपने नए परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस संस्थान को दिनांक 12.01.2024 को देश को समर्पित किया गया।

हाजीपुर	2007	नाईपर, हाजीपुर के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में लगभग 12.5 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। नाईपर हाजीपुर में परिसर के निर्माण का कार्य परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मैसर्स त्रिबेनी कन्सट्रक्शन लिमिटेड को सौंपा गया है।
हैदराबाद	2007	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की लगभग 50 एकड़ भूमि नाईपर-हैदराबाद को स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आबंटित की गई है। स्थायी परिसर के निर्माण के लिए मैसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया है। नाईपर हैदराबाद में परिसर के निर्माण का कार्य एनपीसीसी द्वारा मैसर्स एनजेआर कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। आधारशिला समारोह 12 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था।
कोलकाता	2007	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मौजा गोपालपुर, पुलिस स्टेशन कल्याणी, जिला नाडिया में लगभग 10 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। इसके अलावा विभाग ने नाईपर, कोलकाता के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड़ (बीसीपीएल) संयंत्र की 20.55 एकड़ भूमि को आबंटित किया है। परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। नाईपर कोलकाता के परिसर के निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा मैसर्स जुपिटर इन्टरनेशनल को सौंपा गया है। माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने दिनांक 25.08.2023 को परिसर की आधारशिला रखी।
रायबरेली	2008	नाईपर, रायबरेली के लिए ग्राम विनायकपुर, परगना, बछरावन, तहसील महाराजगंज, रायबरेली में लगभग 49 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। नाईपर रायबरेली के परिसर के निर्माण का कार्य परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) अर्थात् सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मैसर्स आर.के. द एल्युमीनियम पीपल को सौंपा गया है। नाईपर, रायबरेली का आधारशिला समारोह 12 जनवरी, 2024 को आयोजित किया गया था।

5.1.1 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के शासी मंडल के अध्यक्ष और निदेशक

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) के शासी मंडल (बीओजी) के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिक 5.2

नाईपरों के शासी मंडल के अध्यक्षों और निदेशकों का ब्यौरा

नाईपर	अध्यक्ष, शासी मंडल	निदेशक
अहमदाबाद	नामित किया जाना है	डॉ. शैलेंद्र सराफ
गुवाहाटी	नामित किया जाना है	डॉ यूएसएन मूर्ति
मोहाली	नामित किया जाना है	डॉ. दुलाल पांडा
हाजीपुर	प्रो समित चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष प्रोफेसर, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बीआईटीएस-पिलानी), गोवा कैम्पस	डॉ. शुभिनी ए. सराफ (अतिरिक्त प्रभार)
रायबरेली	डॉ.मधु दीक्षित, पूर्व निदेशक, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई)	डॉ. शुभिनी ए. सराफ
कोलकाता	प्रोफेसर पी बलराम, पूर्व निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु	डॉ यूएसएन मूर्ति (अतिरिक्त प्रभार)
हैदराबाद	डॉ. सत्यनारायण चावा, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, लौरस लैब्स, हैदराबाद	डॉ. शैलेंद्र सराफ (अतिरिक्त प्रभार)

5.1.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

नाईपर के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न निम्नानुसार हैं:-

(क) औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बनाए रखना एवं उनका संवर्धन करना;

(ख) औषध शिक्षा में मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट पाठयक्रमों के लिए ध्यान केंद्रित करना;

(ग) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां प्रदान करना;

(घ) मानद पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करना;

(ङ) शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना जिनका उद्देश्य पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से उन संस्थानों के समान है और संकाय सदस्यों और विद्वानों का आदान-प्रदान आम तौर से इस प्रकार करना जो उनके समान उद्देश्य के अनुकूल हो।

(च) शिक्षक, औषधि प्रौद्योगिकी, समुदाय और अस्पताल फार्मासिस्ट और अन्य व्यवसायों के लिए पाठयक्रम का आयोजन;

(छ) औषध और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्व साहित्य को एकत्र करना और रख रखाव करना ताकि देश और विकासशील विश्व में अन्य संस्थानों के लिए अपनी तरह के सूचना केंद्र को विकसित किया जा सके;

(ज) संस्थान के अंदर और बाहर अनुसंधान द्वारा औषध उपकरण और उपयोग के लिए विश्लेषण का केंद्रीय संकाय बनाना;

(झ) कला या विज्ञान या औषध शिक्षण में प्रयोग और नई खोज एवं शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र की स्थापना करना;

(ञ) राष्ट्रीय, शैक्षणिक, व्यवसाय और औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान देने के साथ औषधि क्षेत्रों में मौजूदा जानकारी के प्रसार और नए ज्ञान के सृजन के लिए एक विश्व स्तर का केंद्र विकसित करना;

(ट) अनुसंधान और औषधीय जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु बहु-विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि शैक्षणिक व्यवसाय और औषध उद्योग के व्यापक हितों की बेहतर तरीके से देख-रेख की जा सके और औषधीय कार्य-संस्कृति विकसित की जा सके जो कि औषधीय शिक्षा और अनुसंधान के बदलते वैश्विक परिदृश्य और पद्धति के अनुसार हो;

(ठ) औषध शिक्षा के चयनित क्षेत्रों में समय-समय पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करना;

(ड) विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं के लिए पाठयक्रम प्रदान करने हेतु प्रबंध करना;

(ढ) संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित अनुसंधान के साथ ही साथ परामर्शी परियोजनाओं को आरंभ करना और संस्थान एवं उद्योग और संस्थान के बीच वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी स्टाफ के आदान-प्रदान द्वारा शैक्षणिक और उद्योग के बीच बातचीत के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

(ण) देश में सामाजिक-आर्थिक पहुँच पर ध्यान रखते हुए दवाओं के वितरण एवं ग्रामीण जनता द्वारा दवाओं के उपयोग पर अध्ययनों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

5.1.3 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 'फार्मेसी' श्रेणी के तहत नाईपर देश में सर्वोच्च फार्मेसी संस्थानों के बीच बने हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

तालिका 5.3

नाईपरों की वर्षवार एनआईआरएफ रैंकिंग का वर्ष-वार ब्यौरा

नाईपर	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
मोहाली	पहला	तीसरा	तीसरा	चौथा	चौथा	छठा	नौवां
हैदराबाद	छठा	छठा	पांचवां	छठा	दूसरा	पहला	दूसरा
अहमदाबाद	चौदहवां	नौवां	आठवां	दसवां	दसवां	तेरहवां	पंद्रहवां
गुवाहाटी	-	-	ग्यारहवां	उन्नसीवां	तेरहवां	बारहवां	बारहवां
रायबरेली	-	-	अठारहवां	तेरहवां	सत्ताइसवां	चौदहवां	चौदहवां
कोलकाता	-	-	सत्ताइसवां	तैंतीसवां	-	बत्तीसवां	चौबीसवां
हाजीपुर	-	-	-	-	पच्हत्तरवां	चौवालिसवां	तैंतीसवां

5.1.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां:

पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है

तालिका-5.4

पिछले 5 वर्षों के दौरान नाईपरों को जारी की गई निधियां

(रुपए करोड़ में)

नाईपर	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
मोहाली	60.55	51.00	84.05	58.00	30.00	283.60
अहमदाबाद	60.50	54.00	76.10	33.42	19.00	243.02
गुवाहाटी	79.45	59.45	106.49	22.88	14.00	282.27
हाजीपुर	26.00	41.00	37.00	18.00	12.25	134.25
हैदराबाद	44.50	72.91	69.54	34.00	16.00	236.95
कोलकाता	34.82	47.64	45.45	43.50	18.00	189.41
रायबरेली	28.00	46.00	32.50	19.00	25.00	150.50
कुल	333.82	372.00	451.13	228.80	134.25*	1520.00

* जारी निधि अक्टूबर 2024 तक। वित्त वर्ष 2024-25 में आबांटित निधि 242.00 करोड़ है।

5.1.5 प्रवेश प्रक्रिया और फैलोशिप

एमएस/पीएचडी में विभिन्न शाखाओं में हर साल जून/जुलाई के महीने में आयोजित एक सामान्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपीएटी) उत्तीर्ण करने वाले आवेदक सामान्य जेईई परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। जेईई के सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग के जरिए नाईपर में प्रवेश मिलता है। सभी छात्र निम्नानुसार फैलोशिप प्राप्त करते हैं:

एमएस (फार्मा) : 12,400/- रुपये प्रति माह

पीएचडी : 37,000- 42,000/- रुपये प्रति माह

5.1.6 नाईपर अधिनियम का संशोधन

नाईपर, अधिनियम, 1998 में हाल ही में कुछ संशोधन (नाईपर संशोधन अधिनियम, 2021) किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) यह स्पष्ट करना कि मौजूदा नाईपर और बाद में स्थापित इसी तरह के संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे;

(ख) 23 सदस्यों से 12 सदस्य करते हुए व्यक्तिगत नाईपरों के बीओजी की शक्ति को युक्तिसंगत बनाना;

(ग) स्नातक, एकीकृत पाठ्यक्रम और अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रम आदि को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रमों की प्रकृति और दायरे को विकसित करना;

(घ) माननीय मंत्री के अधीन एक नाईपर परिषद की स्थापना करना और इसकी संरचना, शक्ति और कार्यों आदि की व्याख्या करना; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के प्रावधान को शामिल करना।

इसके अनुसरण में, माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में नाईपर परिषद का गठन किया गया है। नाईपर परिषद की पहली बैठक का आयोजन दिनांक 28.02.2023 को माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में हुआ था।

5.2 नाईपर, एस.ए.एस. नगर (मोहाली)

नाईपर, एस.ए.एस. नगर की स्थापना "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में नाईपर अधिनियम, 1998 के माध्यम से की गई थी। इस संस्थान को न केवल देश में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों में भी औषध विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अवधारित, योजित तथा स्थापित किया गया है। यह संस्थान अपने अच्छे परिणामों-नामत: अच्छी तरह से प्रशिक्षित और संकेंद्रित मानव संसाधन (छात्र/अनुसंधानकर्ता) अपने द्वारा चयनित कार्यों के क्षेत्रों में औद्योगिक प्रांसगिकता के उच्च प्रभाव तथा नवीन प्रक्रियाओं/आउटपुट का प्रकाशन संबंधी कार्यों के कारण यह बहुत अधिक सम्मानित है।

नाईपर, मोहाली में एक परिसर है जो अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है इसमें 472 की दाखिला क्षमता के साथ छात्रों के तीन छात्रवास और 220 की दाखिला क्षमता के साथ छात्राओं के लिए एक छात्रवास, 18 की दाखिला क्षमता के साथ विवाहितों के लिए छात्रावास और नाईपर स्टाफ के लिए 133 क्वार्टर हैं (टाइप-II-12, टाइप-III-36, टाइप-IV-30, टाइप-V-42, टाइप-VI-12, निदेशक का बंगला-1)। इस कार्यचालन की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। नाईपर 17 विषयों में मास्टर्स, एकीकृत मास्टर-पीएचडी और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है और औषध उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.2.1 उपलब्धियां-

शैक्षणिक उत्कृष्टता : वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.10.2024 तक संस्थान ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 119 लेख प्रकाशित किए हैं। संस्थान ने 243 पेटेंट आवेदन दायर किए जिनमें से 134 पेटेंट स्वीकृत किए गए हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत से 4876 छात्र (मास्टर्स 3623, एमबीए 825 और पीएच.डी. में 428) उत्तीर्ण हुए हैं।

5.2.2 नाईपर मोहाली में अनुसंधान क्षेत्र-

(क) एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल औषधि खोज और विकास: औषध विभाग के फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन (पीआरआईपी) योजना के तहत नाईपर, मोहाली अनुसंधान के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल औषधि खोज और विकास (सीओई-एबीएवीडी 3) के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है:

(क) एंटी-बैक्टीरियल और एंटीवायरल (एबी-एवी) में अपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए दवा का पुन: उपयोग और नए फॉर्मूलेशन

(ख) एबी-एवी सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई) का लागत प्रभावी संश्लेषण।

(ग) एबी-एवी के लिए कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग (सीएडीडी)/ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल) टूल्स का उपयोग करके नई रासायनिक इकाई (एनसीई) की रूपरेखा और उसका संश्लेषण।

(घ) नई रासायनिक इकाई (एनसीई)/ एक्सट्रैक्ट्स/ प्राकृतिक उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगात्मक मॉडल का विकास।

(ङ) एंटी-बैक्टीरियल-एंटीवायरल (एबी-एवी) के लिए किफायती डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म का विकास।

(च) एंटीबैक्टीरियल-एंटीवायरल (एबी-एवी) के लिए अस्पताल में होने वाले संक्रमण के लिए वैक्सीन प्रतिकारक का विकास।

(ख) उपेक्षित बीमारियां

लीशमेनियासिस, तपेदिक, और मलेरिया के क्षेत्रों में शोध किए गए। नए अणु संश्लेषित किए जा रहे हैं और उनके कार्रवाई तंत्र बनाए जा रहे हैं।

(ग) अन्य रोग

इंफ्लेमेशन, संक्रमण, कैंसर, मधुमेह, मोटापन, पार्किंसंस रोग, न्यूरोडिजेनेरेशन जैसी बीमारियों में उपापचयी मार्ग से काम किया जा रहा है। माइटोकोन्ड्रियल डिस्फंक्शन और रोगों के पैथोफिजियोलोजी में इसका शामिल होना, डायोबेटिक नेफ्रोपैथी/एंड स्टेज रीनल डिजीज (ईएसआरडी) के लिए नए ड्रगेबल लक्ष्य खोजना, कीमोथेरेपी-इन्ड्यूस्ड न्यूरोपैथिक दर्द को कम करना।

(घ) औषध विकास और सम्मिश्रण -

(क) मौखिक जैव उपलब्धता में सुधार, सिनरजिस्टिक कैंसर-रोधी प्रभावकारिता और दवाओं की कम विषाक्तता का प्रयास किया गया है।

(ख) नए सम्मिश्रण और नवीन औषधि प्रदानगी प्रणाली (एनडीडीएस)

(ग) सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई), मुख्य प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) और मध्यवर्ती सामग्रियों का हरित सतत संश्लेषण

(घ) हर्बल औषधियों और सम्मिश्रणों का मानकीकरण

(ङ) घरेलू रूप से विकसित अणुओं और उद्योग से प्राप्त अणुओं का टोक्सीकोलोजिकल अध्ययन

(ङ) अन्य क्षेत्र

(क) जैव औषध (बायो फार्मास्यूटिकल्स)

(ख) हर्बल दवा और न्यूट्रास्यूटिकल्स

(ग) एपिजेनेटिक

(घ) दवाओं के केमो -एंजायमेटिक संश्लेषण

(ङ) हर्बल्स पर मोनोग्राफ विकसित किया जा रहा है

(च) मिसफोल्डिड प्रोटीनस के स्थैतीकरण पर आरएनए एप्टामर्स के प्रभाव का अध्ययन

(छ) न्यूरोपैथिक दर्द निदान करने के लिए एक उचित और विश्वसनीय विधि का आकलन

(ज) कृत्रिम आसूचना, मशीन जानकारी, विस्तृत डाटा विश्लेषण

(झ) विशेष जनसंख्याओं में दवा के फार्माकोकाइनेटिक के अनुमान में फिजियोलोजी आधारित फार्माकोकाइनेटिक (पीबीपीके) मोडलिंग की उपयोगिता और दवा के फार्माकोकाइनेटिक पर खाने के प्रभाव का अध्ययन

(ञ) हैल्थ इकोनोमिक्स एवं आउटकम रिसर्च (एचईओआर) और फार्माकोविजिलेंस

(ट) कैंसर इम्यूनोलोजी इम्यूनोथेरेपी

5.2.3 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ

तालिका 5.5

शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ की स्थिति

जन-शक्ति	वर्तमान स्थिति
शैक्षणिक	30*+1 (निदेशक)
गैर-शैक्षणिक	118

*भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

5.2.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधियां

तालिका 5.6

पिछले 5 वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का ब्योरा

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल निर्मुक्ति
2020-21	41	60.55	60.55
2021-22	43	51	51
2022-23	74.05	84.05	84.05
2023-24	126	58	58
2024-25	43	51.20	30*

5.2.5 छात्र

पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रम और पेश किए गए विषयों के साथ वर्तमान में नामांकित छात्रों की वर्ष-वार स्थिति:

तालिका 5.7

पेश किए गए डिग्री/ कार्यक्रमों का वर्ष-वार ब्यौरा

डिग्री/ कार्यक्रम	विषय	वर्ष				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25

मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	औषधीय रसायन शास्त्र				29	22
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	6	13	9	2
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	-
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्माको-इन्फोर्मेटिक्स				18	17
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी					1	
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	5	4	5	3
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	प्राकृतिक उत्पाद				21	18
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	7	6	9	
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	पारंपरिक औषध				5	5
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्मास्यूटिकल विश्लेषण				11	10
डॉक्टोरल	पीएचडी		0	0	5	3	
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्माकोलोजी और टॉक्सीकोलोजी				30	25
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	5	10	11	1
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	1	
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	रेगुलेटरी टॉक्सीकोलोजी				10	9
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	-	
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मुलेशन्स)				9	8

मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (प्रोसेस केमिस्ट्री)				17	9
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	4	3	6	
मास्टर्स	एम.टेक (फार्म.)	फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)				12	11
डॉक्टोरल	पीएचडी						
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	फार्मास्युटिक्स				24	22
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	7	8	9	
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	1	
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म.)	जैव प्रौद्योगिकी				26	20 एम.टेक
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	8	7	14	3
-	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	1	
मास्टर्स	एम. फार्म.	फार्मेसी अभ्यास				8	10
-		नैदानिक अनुसंधान				8	8
डॉक्टोरल	पीएचडी	फार्मेसी अभ्यास	1	4	4	4	3
मास्टर्स + पीएचडी	इंटीग्रेटिड पीएचडी		-	-	-	1	
मास्टर्स	एम.टेक	चिकित्सा उपकरण				9	10
डॉक्टोरल	पीएचडी						
मास्टर्स	एम.टेक	जैव-औषध	-	-	-	11	-
मास्टर्स	एम.बी.ए.	फार्मा प्रबंधन				47	52
डॉक्टोरल	पीएचडी		1	2	0		

वर्तमान में कुल नामांकित

पीएचडी	202
मास्टर्स (2023+2024)	451
एमबीए (2023+2024)	99
मास्टर्स+पीएचडी	6
कुल	**758**

5.2.6 संकाय-छात्र अनुपात

तालिका 5.8

संकाय-छात्र अनुपात

पाठ्यक्रम	कुल अनुपात (छात्र : संकाय)
पीएच.डी.	202/28=7.21:1
मास्टर्स (विज्ञान)	451/26=17.34:1
एमबीए (फार्म)	99/2=49.5:1
कुल	**758/28=27.07:1**

5.2.7 नियोजन:

तालिका 5.9

नियोजन की स्थिति - कैंपस में / कैंपस से बाहर

शैक्षणिक वर्ष	कुल छात्र	इच्छुक छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रों की संख्या	नियोजित छात्रोंं का %	औसत पैकेज लाख में
2017-19	242	232	155	66.81%	4.73
2018-20	224	188	153	81.38%	5.65
2019-21	248	218	158	72.47%	5.54
2020-22	252	243	200	82.30%	7.26
2021-23	268	254	213	83.86%	7.16
2022-24	283	262	235	89.69%	6.66

अधिकांश छात्र, जो इच्छुक होते हैं, उद्योग में नियोजन प्राप्त करते हैं। कुछ स्नातकोत्तर छात्र देश के भीतर या देश के बाहर पीएचडी में प्रवेश लेने के प्राथमिकता देते हैं। कुछ अन्य छात्र अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि रखते हैं।

5.2.8 नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

(क) पेटेंट और व्यावसायीकरण: स्थापना के बाद से 237 दायर/131 स्वीकृत/07 लाइसेंस प्राप्त

(ख) सृजित कुल राजस्व वित्त वर्ष 2023-24 में : 13.03 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में: 9.27 करोड़ रुपये (21.11.2024 तक वास्तविक) और वित्त वर्ष 2024-25 में: 12.40 करोड़ रुपये

(ग) एच इंडेक्स- 139

(घ) नाईपर मोहाली के लिए प्रति संकाय एच इंडेक्स और प्रशस्ति पत्र भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

(ङ) 10 वर्तमान संकाय सदस्य और 5 भूतपूर्व संकाय सदस्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वर्ष 2024 की सर्वोच्च 2% की सूची में सूचीबद्ध हैं।

5.2.9 नाईपर का प्रभाव:

(क) नाईपर, मोहाली की सफलता ने भारत सरकार को औषध क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश भर में और अधिक नाईपर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। नाईपर मोहाली को फार्मेसी और फार्माकोलॉजी श्रेणी में 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में पहला, एशिया में 11वां और दुनिया में 64वां स्थान मिला और शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 9वां स्थान मिला।

(ख) नाईपर मोहाली ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक निगम (आईटीईसी) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (विश्व बैंक प्रायोजित) और लघु और मध्यम औषध उद्योग केंद्र (एसएमपीआईसी) के तहत भारत और विदेश के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।

(ग) संस्थान और ग्रैन्यूल्स इंडिया के बीच परिसर में अभिनव और सतत दवा विकास हेतु चिगुरुपति उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और हाल ही में उत्कृष्टता केंद्र में अनुसंधान शुरू करने के लिए अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अनुसंधान केंद्र अन्य बातों के अलावा पॉलिमर मुक्त दवा फॉर्मूलेशन और संसाधन- और ऊर्जा-कुशल औषध के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(घ) नाईपर, मोहाली ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना पर एक विशेष क्षमता निर्माण भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम आयोजित किया ताकि दुनिया भर में आम लोगों को सस्ती दवाओं के लिए पीएमबीजेपी के कामकाजी मॉडल के बारे में आईटीईसी देशों को समझाया जा सके। औषध क्षेत्र में भारत की ताकत और औषध में वैश्विक गुणवत्ता प्रबंधन को उजागर करने के लिए औषधों के परीक्षण के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों पर एक आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता की प्रतिभागियों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय द्वारा भी काफी सराहना की गई है तथा संस्थान प्रत्येक वर्ष ऐसे 2-3 अंतर्राष्ट्रीय आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(ङ) औषध उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं के लिए पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (पीएससीएसटी) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत कौशल विज्ञान कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई।

(च) लघु और मध्यम स्तर के उद्यमों (एसएमई) : एसएमई के लिए एक केंद्र की स्थापना को प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान की गईं।

(छ) 'अन्वेषणात्मक नई औषधि' (आईएनडी) आवेदनों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ) आदि का मूल्यांकन अथवा निगरानी करने वाली समिति के सदस्य।

(ज) नाईपर मोहाली चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना के लिए उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के लिए ज्ञान भागीदार है।

(झ) यह संस्थान हिमाचल प्रदेश में बल्क औषधि पार्क स्थापित करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेन्सी (एसआईए) के भाग के रूप में उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ काम कर रहा है।

(ञ) भारतीय फार्माकोपिया को संशोधित करने वाली समिति का सदस्य

(ट) भारत के आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ का योगदान

नाईपर, मोहाली में 2024-25 में आयोजित हुए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ और ब्यौरा

दिनांक 25.10.2024 को नाईपर, मोहाली के 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन

(ठ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्विवार्षिक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की कार्य योजना के तहत “भारत में जेनेरिक दवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ औषधों की कीमतों पर ट्रेड-रिलेटिड ऐस्पेक्ट्स ऑफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) के प्रभाव” पर अध्ययन किया गया।

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान को एक साथ लाने तथा स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और नाईपर, मोहाली के बीच 09-11-2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5.3 नाईपर, कोलकाता

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता (नाईपर-कोलकाता) की स्थापना 2007 में नाईपर अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी और यह औषध शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शिक्षण, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से भारत में औषध उद्योग के विकास में योगदान देने के लिए काम कर रहा है। इस समय, यह संस्थान चुनीलाल भवन, 168-मनिकतला मेन रोड़, कोलकाता स्थित अपने अंतरिम परिसर से कार्य कर रहा है। यह संस्थान औषध शिक्षा और संबद्ध अनुसंधान के लिए एक प्रीमियम संस्थान के रूप में काम करने और भारत में औषध विकास के एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा रखता है। इस समय, नाईपर कोलकाता आठ विशिष्टताएं प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें से बायोटेक्नोलोजी (एम.टेक कार्यक्रम) का नया विषय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू किया गया था।

5.3.1 उपलब्धियां:

शैक्षणिक

(क) वर्ष 2024 में कुल 90 छात्रों ने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(ख) वर्ष 2024 में कुल 7 शोध विद्वानों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 2024 में कुल 96 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री, 9 शोध विद्वानों को पीएचडी में प्रवेश दिया गया।

(घ) जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है।

(ङ) एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में नाईपर कोलकाता फार्मेसी श्रेणी में 24वें स्थान पर रहा।

5.3.2 संकाय-छात्र अनुपात: 1:15

(क) संस्थान के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यकलापों को शिक्षण और अनुसंधान में उच्चतम स्तर की दक्षता वाले संकाय द्वारा सुदृढ़ किया जाता है।

(ख) संस्थान के संकाय सदस्यों ने व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य किया।

5.3.3 नियोजन के आंकड़ें:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 88 स्नातकोत्तर छात्रों में से 37 छात्रों (42%) को प्लेसमेंट मिला और 19 छात्रों (22%) ने जून, 2024 में आगे के उच्चत्तर अध्ययन का विकल्प चुना।

5.3.4 नियमित संकाय और कर्मचारियों की भर्ती

दिसम्बर 2024 की स्थिति के अनुसार, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की संख्या इस प्रकार है:

(क) नियमित संकाय : 15
(ख) नियमित गैर-शिक्षण कर्मचारी : 18
(ग) संविदा संकाय : 03
(घ) डीएसटी इंस्पायर संकाय* : 01
(ङ) संविदात्मक अनुसंधान कर्मचारी : 03
(च) संविदात्मक गैर-शिक्षण कर्मचारी : 01

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवाचार (इन्स्पायर)।**

5.3.5 परिसर विकास:

अवसंरचनात्मक ढांचाः

(क) औषध विभाग (डीओपी) द्वारा पानीहाटी, पश्चिम बंगाल में 20.55 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, और नाईपर कोलकाता के स्थायी परिसर (10972 वर्ग मीटर) की स्थापना के लिए 78.56 करोड़ रुपये मंजूर और स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) पानीहाटी, कोलकाता में नाईपर-कोलकाता के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अक्तूबर, 2024 तक 47% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) संस्थान ने पानीहाटी में दिन-प्रतिदिन की निर्माण गतिविधियों की देखरेख के लिए एक आंतरिक भवन समिति का गठन किया है।

5.3.6 पुरस्कार और सम्मान:

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा किए गए नवीनतम प्रोफ़ाइल समीक्षा के अनुसार, डॉ. वी. रविचन्द्रन, निदेशक, नाईपर कोलकाता और डॉ. पल्लब दत्ता, सहायक प्रोफेसर, नाईपर कोलकाता को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

5.3.7 प्रमुख आयोजन

तालिका 5.10

अप्रैल, 2024 से अक्तूबर, 2024 तक नाईपर, कोलकाता द्वारा आयोजित किए गए आयोजन की सूची

तारीख	आयोजन का शीर्षक
15.4.2024	उन्नत स्वास्थ्य सेवा सिमुलेशन के लिए एन्सिस सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन पर आमंत्रित वार्ता
15.4.2024	निम्बस ऑनलाइन लाइब्रेरी सॉल्यूशन (निम्बस लाइब्रेरी डेमो) पर एक डेमो सत्र
18.4.2024	नाईपर के लिए रीएक्सिस एक्सेस टू साइंस डायरेक्ट जर्नल्स पर प्रशिक्षण सत्र
3.5.2024	नए चिरल उत्प्रेरकों के डिजाइन और संश्लेषण पर आमंत्रित वार्ता जो चिरल ड्रग अणुओं को एनेंटियोसेलेक्टिव बनाती है।
9.5.2024	मास स्पेक्ट्रोमेट्री सहित अत्याधुनिक विधियों का उपयोग करके मेटाबोलोमिक्स विज्ञान पर

	आमंत्रित वार्ता
16.5.2024	संस्थान द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर
6.6.2024 से 7.6.2024	ठोस चरण पेप्टाइड संश्लेषण और हाई परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) विश्लेषण में बुनियादी तकनीकों पर दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण
6.6.2024 से 8.6.2024	"जीन एडिटिंग और अगली पीढ़ी की अनुक्रमण तकनीकों में हालिया प्रगति" पर संगोष्ठी सह कार्यशाला
20.6.2024	"स्वयं और समाज के लिए योग" पर विशेष आमंत्रित वार्ता
21.6.2024	10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
31.7.2024	नाईपर कोलकाता का 12वां दीक्षांत समारोह
2.8.2024	आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का 163वां जन्मदिवस समारोह
8.8.2024	नवप्रवेशित छात्रों और विद्वानों का अभिमुखीकरण कार्यक्रम
12.8.2024	नशा मुक्त भारत अभियान "विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र"
15.8.2024	भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव
19.8.2024 और 20.8.2024	द्वितीय अनुसंधान परिषद की बैठक
1.9.2024	स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का पालन
6.9.2024	पानीहाटी स्थायी परिसर में नए भवन में कार्यालय वार्मिंग (चरण-I)
16.9.2024 से 30.9.2024	हिंदी पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन
21.9.2024	गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्यों के लिए क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम
25.9.024	विश्व फार्मासिस्ट दिवस
3.10.2024 से 4.10.2024	दवा वितरण प्रणाली पर संगोष्ठी
28.10.2024	अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (एसीएस) द्वारा वैज्ञानिक लेखन पर कार्यशाला
29.10.2024	औषध विश्लेषण विभाग द्वारा आयोजित "दवा खोज में फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइलिंग के लिए फार्मास्युटिकल बायोएनालिसिस" पर विशेष आमंत्रित व्याख्यान
20.10.2024	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर एक संगोष्ठी

5.3.8 वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाएं:

तालिका 5.11

वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	नाम	स्वीकृत अनुसंधान अनुदान	परियोजना की अवधि	शोध परियोजना के विषय
1	डॉ पल्लब दत्ता, डॉ उत्पल मोहन	₹45,36,400	3 वर्ष	एंटीबायोफिल्म पेप्टाइड-फंक्शनलाइज्ड टाइटेनियम इम्प्लांट्स
2	उत्पल मोहन और डॉ. देवेन्द्र धाकड़	₹50,85,990	3 वर्ष	स्तन कैंसर को लक्षित करने के लिए माइक्रो-आरएनए (एमआईआरएनए) उत्तरदायी जीन एक्सप्रैशन प्लेटफ़ॉर्म का विकास
3	डॉ. शुभेंदु भौमिक	₹46,00,000	3 वर्ष	संभावित वायरल आरडीआरपी अवरोधक गतिविधि के साथ नवीन कार्बोलाइन-न्यूक्लियोसाइड्स का डिजाइन और संश्लेषण: आरएनए वायरस के विरुद्ध व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल का विकास
4	प्रो. वी. रविचंदिरन, डॉ सुभेंदु भौमिक	₹3,50,00,000	3 वर्ष	प्रचलित दुर्लभ रोग दवाओं के लिए कुशल प्रक्रिया विकास रणनीतियाँ
5	डॉ. साहनवाज अहमद	₹1,10,00,000	5 वर्ष	उभरती हुई नरम सामग्री के रूप में पेप्टाइड आधारित अपव्यय संयोजन का निर्माण
6	डॉ. सोमसुंदरम अरुमुगम	₹15,00,800	1 वर्ष	सूजन आंत्र रोग के लिए संभावित चिकित्सा के रूप में कोंडुरांगो की होम्योपैथिक तैयारी और इसकी क्षमता का मूल्यांकन
7	डॉ. दीपांजन घोष	₹80,00,000	3 वर्ष	दवा प्रतिरोधी ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया में सीआरआईएसपीआर-सीएएस प्रणाली की विशेषता और बैक्टीरिया में क्षैतिज जीन स्थानांतरण को रोकने में इसका अनुप्रयोग

8	डॉ. सुब्रमण्यम नटेसन	₹36,55,000	3 वर्ष	बायोएवेलेबिलिटी स्प्रे ड्राइड आर्गो-प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट नैनो कैल्शियम चेलेट्स का उत्पादन और बेहतर बोन हैल्थ के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पर इसके प्रभाव
9	डॉ. वी. रविचंदिरन, डॉ. एस. पी. स्वैन	₹30 करोड़ (डीएसटी: ₹15 करोड़ और डीओपी: ₹15 करोड़)	5 वर्ष	समुद्री स्रोतों से महंगी, जटिल दवा अणुओं का किफायती संश्लेषण
10	डॉ. वी. रविचंदिरन (प्रधान अन्वेषक) और परियोजना के समन्वयक) डॉ. सुभेंदु भौमिक (सह-प्रधान अन्वेषक और परियोजना के सह-समन्वयक) डॉ. एस. पी. स्वैन सह-प्रधान अन्वेषक) अन्य सहभागी संस्थान: नाईपर हाजीपुर, नाईपर गुवाहाटी, भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (आईएसीएस-कोलकाता)	₹3,47,19,780 (नाईपर कोलकाता का हिस्सा: ₹1,41,75,960)	3 वर्ष	प्रचलित “दुर्लभ रोग” दवाओं के लिए कुशल प्रक्रिया विकास रणनीतियाँ
11	डॉ. एन. सतीश कुमार (प्रधान अन्वेषक); डॉ. सोमसुंदरम ए. (सह-प्रधान अन्वेषक)	₹42,00,000	3 वर्ष	दवा-हर्बल आहार पूरक फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन के प्रभाव को समझना: प्रमुख चयापचय, मार्ग और सुरक्षा मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए एकीकृत ट्रांसक्रिप्टोमिक्स विश्लेषण

12	डॉ. एन. सतीश कुमार	₹1.3 करोड़ स्वीकृत अंतिम स्वीकृत धनराशि प्रतीक्षित	3 वर्ष	वन हेल्थ सर्वेक्षण के माध्यम से इन्डिस्क्रिमिनेट फ्लोरोक्विनोलोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए साक्ष्य सृजन - प्रमुख जीवाणु और तपेदिक आइसोलेट्स में उपभोग, अवशेष और उभरते प्रतिरोध
13	डॉ. एन.सतीश कुमार (प्रधान अन्वेषक) डॉ सोमसुंदरम अरुमुगम और श्री शरथ बाबू (सह-प्रधान अन्वेषक)	₹51,70,000	7 माह	साइटोक्रोम पी450 के विरुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों की अवरोध क्षमता का मूल्यांकन: औषधि-दवा परस्पर क्रिया के निहितार्थ
14	डॉ गोविंदा कपुसेट्टी	₹42,00,000	3 वर्ष	घाव बंद करने के लिए बायोअब्ज़ॉर्बेबल और एंटीबायोटिक सर्जिकल स्टेपल के निर्माण के लिए फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉली (l-लैक्टिक एसिड)
15	डॉ सोमसुंदरम अरुमुगम (प्रधान अन्वेषक) डॉ. सतीशकुमार नंजप्पन और श्री शरथ बाबू (सह-प्रधान अन्वेषक)	₹64,60,120	1.5 वर्ष	म्यूरिन मॉडल में नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) और नॉन-अल्कोहोलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (एनएएसएच) के विरुद्ध आयुष-64 का प्रीक्लिनिकल मूल्यांकन और आणविक तंत्र
16	डॉ. कौशिक कपाट (प्रधान अन्वेषक) डॉ. वी. रविचंदिरन और डॉ. एस.के. नंदी (सह-प्रधान अन्वेषक)	₹52,96,580 (अंतिम स्वीकृत धनराशि प्रतीक्षित)	3 वर्ष	रैबिट मॉडल में श्वासनली पुनर्निर्माण के लिए बायोएक्टिव पेप्टाइड्स के साथ स्थिर छिद्रपूर्ण सतह वाले प्रीफैब्रिकेटेड सिलिकॉन ग्राफ्ट
17	डॉ दीपांजन घोष (सह-प्रधान अन्वेषक)	₹37,00,000	3 वर्ष	मौखिक कैंसर स्टेम कोशिकाओं में स्टेमनेस बनाए रखने के लिए पीएएक्स9 का ऑटोफैजिक विघटन

5.3.9 अनुसंधान:

(क) इस संस्थान को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली से 15 करोड़ रुपये की निधि के साथ ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) जैसे एक्सोन्डिस51, एलिग्लस्टैट और टेजाकैफ्टर का निदान करने हेतु प्रचलित "दुर्लभ रोग" दवाओं के लिए कुशल प्रक्रिया विकास रणनीतियों के लिए एक परियोजना प्राप्त हुई है।

(ख) इस संस्थान ने 2024-2025 के दौरान 52 समकक्ष-समीक्षित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। 52 प्रकाशनों में से 32 शोधपत्रों के प्रभाव कारक 3 से अधिक थे।

(ग) अभी तक 12 पेटेंट दायर किए गए हैं और 2 पेटेंट स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) यह संस्थान नाईपर के साझे अनुसंधान कार्यक्रम (सीआरपी) का समन्वय कर रहा है और नाईपर कोलकाता द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) - **जैविक विज्ञान**

(क) टर्मिनलिया चेबुला का उपयोग करके इन्फ्लेमेटरी बॉवल रोग (आईबीडी) और कोलन दर्द के लिए फाइटोफार्मास्युटिकल उत्पाद का विकास।

(ख) *एस. ऑरियस* और *ई. फेकेलिस* संक्रमण से निपटने के लिए एंटीबायोफिल्म और एंटीमाइक्रोबियल अणुओं (बढ़े हुए प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक क्वांटम डॉट्स) का विकास

(ग) वर्तमान में उपलब्ध एंटीवेनिन के साथ एक सहायक चिकित्सा के रूप में साँप के चार प्रमुख जहरों के खिलाफ एंटी-स्नेक वेनम एंटीबॉडी का विकास, जो साँप के काटने के अधिकांश मामलों में शामिल होती हैं।

सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) - **फॉर्मूलेशन विकास**

- आंत के बाद के हिस्से में पहुंचाने के लिए विलंबित-रिलीज़ मेटफ़ॉर्मिन टैबलेट का विकास, ताकि किडनी के रोगियों में प्रभावकारिता में सुधार हो और विषाक्तता कम हो।

सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) - **सक्रीय औषधीय घटक (एपीआई) / प्रक्रिया रसायन विज्ञान**

- ओ-टोलिलबेन्जोनाईट्रिल (ओटीबीएन), क्लोपिडोग्रेल, टैवाबोरोल, ऑक्सकार्बाज़ेपाइन जैसे एपीआई/केएसएम (प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री) के लिए प्रक्रिया विकास

चल रहे अनुसंधान:

(क) नई दवा वितरण प्रणाली और 3डी बायोप्रिंटिंग

(ख) चिकित्सा उपकरणों के लिए जैव सामग्री अनुकूलन

(ग) बायोसेंसर विकास

(घ) खुराक रूपों का उन्नत निर्माण

(ङ) चिकित्सीय एजेंट के रूप में न्यूक्लियोसाइड
(च) स्फिंगोसिन अवरोधकों का विकास
(छ) सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) संश्लेषण के लिए ग्रीन केमिस्ट्री और फ्लो केमिस्ट्री
(ज) बायोफिल्म और कोरम संवेदन को लक्षित करना।
(झ) डीएनए आधारित चिकित्सीय और नैदानिक उपकरणों का विकास।
(ञ) संरचनात्मक जैव सूचना विज्ञान: संक्रामक रोगों और चयापचय संबंधी विकारों के लिए नई दवा की खोज/पुनर्प्रयोजन
(ट) एंटी-माइक्रोबियल एजेंटों की कम्प्यूटेशनल डिजाइनिंग।
(ठ) छोटे अणुओं के उत्पादन के लिए मेटाबोलिक बायो-इंजीनियरिंग
(ड) फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल फॉर्मूलेशन की ट्रांसक्रिप्टॉमिक्स और प्रोटिओमिक प्रोफाइलिंग
(ढ) मधुमेह मध्यस्थता गैर-मादक स्टीटोहेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा: औषधीय और जैव रासायनिक लक्षण वर्णन।
(ण) मधुमेह से जुड़ी तंत्रिका संबंधी जटिलताएं
(त) प्रतिरक्षा जैव प्रौद्योगिकी में जीनोम संपादन
(थ) पादप रसायन; रसायन परिवर्तन: हर्बल उत्पाद विश्लेषण
(द) श्वसन रोगों में हर्बल दवाओं का नेटवर्क औषध विज्ञान
(ध) फाइटोफार्मास्युटिकल्स विकास
(न) प्राकृतिक उत्पादों का मानकीकरण और फिंगरप्रिंटिंग
(प) मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग, हर्बल दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक्स और हर्ब-ड्रग इन्टैक्शन्स अध्ययन
(फ) विधि विकास और सत्यापन (विश्लेषणात्मक और जैवविश्लेषणात्मक)

अनुसंधान पहलें:

(क) नाईपर कोलकाता अनुसंधान परिषद:
इस संस्थान ने रोडमैप प्रदान करने और संकाय अनुसंधान कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ एक अनुसंधान परिषद की स्थापना की है।

(ख) फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण संस्थान में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण में सीओई की स्थापना की प्रक्रिया में है, ताकि अनुसंधान किया जा सके और फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण को अपनाने में छोटी और बड़ी दवा कंपनियों के लिए विशेषज्ञता, तकनीकी परामर्श, कुशल कार्मिक और उत्पाद प्रबंधन प्रौद्योगिकी प्रदान की जा सके।
(ग) एंटी-एजिंग और एंटी-कैंसर एजेंट का विकास: यूरोलिथिन ए
(घ) डेंगू के लिए एंटीबॉडी विकास
(ङ) पोल्ट्री फार्मों में साल्मोनेला संक्रमण के लिए वैक्सीन विकास
(च) मोटापा-रोधी छोटे अणु विकास
(छ) ऑर्गेनॉइड विकास

5.3.10 दाखिले की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्रियां/कार्यक्रम और विषय

तलिका 5.12

दाखिले की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्रियां/कार्यक्रम और विषय

मास्टर / डॉक्टोरल	पाठ्यक्रम	विषय	2024-25 में दाखिल छात्रों की संख्या
मास्टर्स	एम.एस. (फार्म)/ एम. टेक	औषधीय रसायन विज्ञान	17
		प्राकृतिक उत्पाद	10
		फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स	10
		फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी	17
		फार्मास्युटिक्स	15
		फार्मास्युटिकल विश्लेषण	10
		चिकित्सा उपकरण	08
		बायोटेक्नोलोजी	09
		कुल	**96**
डॉक्टरेट	पीएचडी	औषधीय रसायन विज्ञान	02
		प्राकृतिक उत्पाद	00
		फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स	01
		फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी	00
		फार्मास्युटिक्स	02
		फार्मास्युटिकल विश्लेषण	02
		चिकित्सा उपकरण	02
		कुल	**09**
कुल योग			**105**

5.3.11 पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि

तालिका 5.13

पिछले 5 वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन ब.अ.	आबंटन सं.अ.	कुल निर्मुक्ति
2020-21	23.00	34.82	34.82
2021-22	27.64	47.64	47.64
2022-23	50.45	50.45	45.45
2023-24	69.00	43.50	43.50
2024-25	37.00	---	18.00*

**धनराशि अक्तूबर, 2024 तक जारी।*

5.3.12 नाईपर, कोलकाता द्वारा हस्ताक्षरित नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण/समझौता ज्ञापन/सहमति ज्ञापन

तालिका 5.14

हस्ताक्षरित नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण/समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहमति ज्ञापन (एमओए) का विवरण

क्र.सं.	संस्थान	हस्ताक्षर की तिथि	प्रयोजन
1	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) हैदराबाद	15.5.2024	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डीबी/डीबी चूहों में नाईपर के923 की मोटापा-रोधी गतिविधि का मूल्यांकन करना है
2	उपेक्षित रोगों के लिए औषधि पहल (डीएनडीआई) जिनेवा, स्विटजरलैंड	22.5.2024	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक सहभागिता में शामिल होना है, जिसमें उपेक्षित रोगों के लिए औषधि पहल (डीएनडीआई) में रसायन विज्ञान परियोजना के लिए छात्र क्राउड-सोर्सिंग मॉडल के कार्यान्वयन पर विचार करके ओपन-सोर्स दवा खोज की अवधारणा की खोज की जा रही है। यह परियोजना उपेक्षित ट्रोपिकल और वायरल रोगों के उपचार के लिए नई दवाओं के विकास में सहायता करेगी जिससे अंततः सामाजिक लाभ होगा।
3	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता	30.5.2024	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता में मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं के भीतर संक्रामक रोगों के खिलाफ टीका विकास के क्षेत्र में नाईपर कोलकाता द्वारा आईआईएसईआर, कोलकाता के साथ एक परामर्श अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना है।
4	योनसेई विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया	03.6.2024	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चयनित गतिविधियों में अनुसंधान प्रयासों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा समान क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायियों के बीच संपर्क और सहभागिता स्थापित करना है। इसमें दक्षता मूल्यांकन अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण शामिल है।
5	सरोजिनी नायडू	16.7.2024	इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान प्रयासों में

	महिला महाविद्यालय, कोलकाता		सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा एक ही क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायियों के बीच संपर्क और सहभागिता स्थापित करना है। इसमें वैज्ञानिक कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण, वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का आदान-प्रदान, संयुक्त संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और सम्मेलन, तथा संयुक्त परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण शामिल है।

5.3.13 नाईपर कोलकाता का संस्थान नेतृत्व प्रभाव

नाईपर कोलकाता विभिन्न शोध परियोजनाओं पर विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। संक्रामक रोगों, चयापचय संबंधी विकारों और न्यूरोडीजेनेरेटिव विकारों के उपचार के लिए नई रणनीतियाँ इस समय संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की जा रही हैं।

वर्ष 2024-25 में नाईपर, कोलकाता में आयोजित कार्यक्रमों की फोटो और विवरण

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर सेमिनार

"मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके क्लिनिकल बायोमार्कर के रूप में स्माल मॉलीक्यूल मेटाबोलाइट्स की खोज" पर आमंत्रित व्याख्यान

नाईपर कोलकाता का 12वां दीक्षांत समारोह

5.4 नाईपर रायबरेली

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। यह संस्थान औषधीय रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एवं बायोटेक्नोलोजी में डॉक्टोरल एवं मास्टर्स कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रदान करता है और इस समय इस संस्थान में 302 छात्र नामांकित हैं। वर्तमान में यह संस्थान लखनऊ स्थित अपने ट्रांजिट परिसर से कार्य कर रहा है जिसके परिसर के भीतर एक विश्व स्तरीय केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा केन्द्र और पूर्व नैदानिक अध्ययन करने के लिए एक पशु घर विद्यमान है।

5.4.1. उपलब्धियां:-

(क) नाईपर-रायबरेली में फार्मास्यूटिक्स प्रभाग ने मनोविकार रोधी और क्षयरोग रोधी दवाओं के बेहतर वितरण हेतु नैनो-आधारित दवा-वितरण प्रणाली के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

(ख) इस संस्थान ने वर्ष 2023-24 में 9 पेटेंट दायर किए है।

(ग) संस्थान के विषयगत क्षेत्रों में शोध के लिए संस्थान को लगभग 1.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शोध अनुदान प्राप्त हुआ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में 376 से अधिक प्रकाशन हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में प्रकाशन तथा प्रतिष्ठित प्रकाशनों में 113 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

(ङ) नाईपर-रायबरेली में सेल कल्चर सुविधा, सैन्ट्रल एनीमल फैसिलिटी, इमेजिंग सुविधा (फोरियर ट्रांसफोर्म इनफ्रारेड (फटी-आईआर) स्पेक्ट्रोमीटर, कैरी एक्लिप्स, 12-सेल कैरी 100 यूवी और मल्टी-मोड प्लेट रीडर) और सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा जैसी विभिन्न केंद्रीकृत अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

5.4.2. अनुसंधान क्षेत्र

(क) सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र:

- (i) न्यूरोडिजनरेटिव रोग
- (ii) भारी धातु विषाक्तता अध्ययन
- (iii) जापानी एन्सेफेलाइटिस
- (iv) क्षयरोग
- (v) नैनो सम्मिश्रणों का प्रयोग करके औषधों का विकास एवं मूल्यांकन

(ख) हरित एवं पर्यावरण-हितैषी सिंथेटिक तरीकों का विकास

(ग) परियोजनाएं-चल रही : 21 लगभग 7.17 करोड़ रुपये के मूल्य की।

5.4.3 शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टाफ:-

प्रशासनिक स्टाफ : 17

शैक्षणिक स्टाफ:

एसोसिएट प्रोफेसर : 05

सहायक प्रोफेसर : 10
रिसर्च एसोसिएट : 04
तकनीकी स्टाफ : 07
मल्टी-टास्क स्टाफ : 00

5.4.4 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधि:-

तालिका 5.15

पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित कुल निधि

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन बजट अनुमान	आबंटन संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2020-21	22.00	28.00	28.00
2021-22	26.00	26.00	17.00
2022-23	46.00	46.00	14.50
2023-24	75.00	69.00	19.00
2024-25	35.00	35.00	25.00*

**निधियां अक्तूबर, 2024 तक जारी*

5.4.5 दाखिले की स्थिति के साथ वर्ष-वार पेश की गई डिग्री/कार्यक्रम और विषय

तालिका 5.16

दाखिले की स्थिति के साथ पेश की गई डिग्री/कार्यक्रम और विषय

वर्ष	एमएस (फार्मा)		पीएचडी		एकीकृत पीएचडी (सत्र 2022-27 में शुरू)	
	दाखिला	समाप्ति	दाखिला	समाप्ति	दाखिला	समाप्ति
2020-22	74	74	04	पढ़ रहे हैं	-	-
2021-23	87	87	18	पढ़ रहे हैं	-	-
2022-24	108	107	28	पढ़ रहे हैं	03	पढ़ रहे हैं
2023-25	110	पढ़ रहे हैं	26	पढ़ रहे हैं	01	पढ़ रहे हैं
2024-26	99	पढ़ रहे हैं	14	पढ़ रहे हैं	-	-
वर्तमान स्थिति	**478**	**268**	**90**		**04**	

5.4.6 शिक्षकः छात्र अनुपात – 1:16

5.4.7 नियोजन की स्थिति:-

तालिका 5.17

नाईपर-रायबरेली की वर्ष-वार नियोजन की स्थिति

वर्ष	एम.एस. (फार्मा)	
	छात्रों की संख्या	नियोजन (% में)
2017-2019	36	98
2018-2020	58	90
2019-2021	60	90
2020-2022	73	92
2021-2023	54	90

5.4.8 पुरस्कार/शिक्षक:-

तालिका-5.18

नाईपर रायबरेली के शिक्षकों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	विषय	मान्यता
1	डॉ संजय तिवारी	एसोसिएट प्रोफेसर	विश्व भर में औषध विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध।
2	डॉ जी एल खटीक	सहायक प्रोफेसर	विश्व भर में औषध विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध।
3	डॉ कीर्ति जैन	सहायक प्रोफेसर	विश्व भर में औषध विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध।
4	डॉ राहुल शुक्ला	सहायक प्रोफेसर	विश्व भर में औषध विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध।
5	डॉ सबा नकवी	सहायक प्रोफेसर	आईआईटी रुड़की में नैनोथेरानोस्टिक्स पर भारत-जापान संगोष्ठी में वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता पुरस्कार।
6	डॉ.सौरभ अवस्थी	रामलिंगास्वामी फैलो	फिलाडेल्फिया, अमेरिका में आयोजित "अल्जाइमर एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस" में भाग लेने के लिए डीबीटी-इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड।

5.4.9 नाईपर का प्रभाव

नाईपर-रायबरेली विशेष रूप से मध्य भारत में आधुनिक प्रयोगशालाओं और उच्च परिष्कृत उपकरणों के साथ शिक्षा और अनुसंधान दोनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है। फार्मा उद्योगों ने छात्रों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा संस्थान के साथ सहभागिता करने में रुचि दिखाई है।

इस संस्थान ने जापानी इंसेफेलाइटिस, तपेदिक और न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों जैसे तत्काल महत्व के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं। औषधि खोज के लिए निर्बाध नमूना विश्लेषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। यह संस्थान भारतीय औषध उद्योग के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन भी प्रदान करता है।

वर्ष 2024-25 में नाईपर, रायबरेली में आयोजित कार्यक्रमों की फोटों और विवरण

दिनांक 23.9.2024 को 8वां वार्षिक दीक्षांत समारोह

स्वच्छता की शक्ति को अपनाते हुए, नाईपर रायबरेली ने दिनांक 1-15.9.2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।

9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

दिनांक 25.9.2024 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया

5.5 नाईपर हैदराबाद

नाईपर हैदराबाद एक स्वायत्त निकाय है जिसे औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान में औषध विज्ञान में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस संस्थान को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया है। भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, नाईपर हैदराबाद ने सितंबर **2007** में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), अनुसंधान एवं विकास केंद्र, बालानगर, हैदराबाद के परिसर में छह नए नाईपरों में से एक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह संस्थान स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम संचालित करके उत्कृष्टता के साथ मानव संसाधन विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। सभी नाईपरों के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों का चयन किया जाता है।

नाईपर हैदराबाद औषधीय रसायन विज्ञान, औषधीय विश्लेषण, फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी, फार्मास्युटिक्स, रेगुलेटरी टोक्सीकोलोजी, प्राकृतिक उत्पाद, विनियामक कार्य, फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स में एम.एस.(फार्मा.) और एम.टेक (प्रक्रिया रसायन विज्ञान, चिकित्सा उपकरण) तथा एमबीए (औषधीय प्रबंधन) पेश करता है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2023 में, नाईपर हैदराबाद ने फार्मेसी श्रेणी में प्रथम रैंक हासिल किया है। वर्ष 2024 के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग में, नाईपर हैदराबाद ने फार्मेसी श्रेणी में द्वितीय रैंक हासिल किया है।

इस संस्थान में अनुभवी संकाय, विशाल, हवादार और अच्छी तरह से सुसज्जित कक्षाएं तथा आधुनिक प्रयोगशालाएं, सेमिनार/सम्मेलन के लिए एक उत्कृष्ट सभागार और परिसर के भीतर एक व्यापक पुस्तकालय है। छात्रों के आवास के लिए सुसज्जित छात्रावास के कमरे उपलब्ध हैं। छात्रों के लाभ के लिए संबंधित विशिष्टताओं में विशेष विषयों पर प्रख्यात अतिथि संकाय द्वारा व्याख्यान की भी व्यवस्था की जाती है। छात्रों और शिक्षकों को औषध विज्ञान में नवीनतम प्रगति से परिचित कराने के लिए कई सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। व्यवसायिक निकायों द्वारा आयोजित सेमिनारों में छात्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में शोधकर्ताओं के साथ बातचीत बढ़ सके।

5.5.1 उपलब्धियां:

उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र	1731
पाठ्यक्रम करने वाले स्नातकोत्तर छात्र	410
पीएचडी पाठ्यक्रम के छात्र	184
डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित	119
पेटेंट (दायर)	17
अनुसंधान प्रकाशन	294
स्वीकृत बाह्य अनुसंधान परियोजना	चल रही परियोजनाएं: 44

5.5.2 संकाय एवं स्टाफ का ब्यौरा:

(i)	नियमित संकाय	:	19
(ii)	नियमित स्टाफ	:	22
(iii)	संविदात्मक प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ	:	01

5.5.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका-5.19

नाईपर, हैदराबाद को निधियों का आबंटन

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटन बजट अनुमान	आबंटन संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2020-21	30.50	44.50	44.50
2021-22	38.00	72.91	72.91
2022-23	72.50	72.50	69.54
2023-24	90.00	34.00	34.00
2024-25	44.00	---	16.00*

**निधियां अक्तूबर, 2024 तक जारी।*

5.5.4. शिक्षक-छात्र का अनुपात: 1:13

5.5.5. नियोजनीयता/नियोजन की स्थिति:

प्रति वर्ष छात्रों को डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, फाइजर, जेनपैक्ट, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स, सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेटेरो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, नोवार्टिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, अरागेन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा, जोडस फार्मा, ज़ाइडस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, स्ट्राइकर, सन फार्मा, आईक्यूवीआईए, एमक्योर, टेक महिंद्रा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में नियोजन प्राप्त होता है।

तालिका 5.20
नियोजन की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
परिसर में नियोजन (%)	88	85	82	82	80	83	100	99	90	100	100	100	100

5.5.6. शिक्षक

नाईपर हैदराबाद में प्रतिभाशाली और समर्पित संकाय हैं जो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से आए हैं और जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में विदेश में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संकाय के कार्यनिष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन छात्र फीडबैक, शोध कार्यकलापों से आउटपुट और विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित संस्थागत विकास में योगदान पर आधारित है।

5.5.7 कोर अनुसंधान क्षेत्र

(क) एकीकृत औषध खोज एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम
(ख) कैंसर, सूजन और प्रजनन-शील संबंधित रोग
(ग) मधुमेह और अन्य उपापचय संबंधी विकार
(घ) न्यूरोडिजेनेरेटिव रोग
(ङ) संक्रामक रोग
(च) सोरायसिस
(छ) इन-विट्रो और इन-विवो स्क्रीनिंग
(ज) नई रसायनिक एंटिटी, बल्क ड्रग्स और मध्यवर्ती के लिए नवीन प्रक्रिया का विकास
(झ) विश्लेषणात्मक तरीकों का विकास, अशुद्धता प्रोफाइलिंग और स्थिरता अध्ययन
(ञ) ठोस अवस्था की विशेषताएं
(ट) लक्षित औषधि प्रदानगी प्रणाली

5.5.8. नवाचार/ज्ञान हस्तांतरण

पेटेंट और व्यावसायिकरण: कैंसर दवा की खोज, फार्मूलेशन विकास तथा विश्लेषणात्मक विधि विकास में 5 पेटेंट दायर किए गए और 5 स्वीकृत किए गए।

5.5.9. नाईपर का प्रभाव:

औषधीय विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके मानव संसाधन के सृजन से औषध उद्योग को सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संस्थान ने औषध उद्योग के लिए औषध विज्ञान में कुशल मानव संसाधन का विकास करने में सहयोग किया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक शोध संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान ने फार्मा क्षेत्र में कुछ प्रमुख मुद्दों और देश में औषध उद्योग की जरूरतों को संबोधित करने के लिए शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद की है।

5.5.10 सहयोग/समझौता ज्ञापन

नाईपर हैदराबाद ने अनुसंधान क्षेत्रों और बहुआयामी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख सहयोगी निम्नानुसार हैं:

(क) दिनांक 12.11.2024 को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी) हैदराबाद और नाईपर हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

(ख) दिनांक 19.1.2024 को आयुष मंत्रालय के लेह स्थित राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

(ग) दिनांक 14.12.2023 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीसीआरयूएम) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

(घ) दिनांक 10.4.2023 को सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत, गुजरात, भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

वर्ष 2024-25 में नाईपर, हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रमों की फोटों और विवरण

नाईपर हैदराबाद में बल्क औषधियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला

9-10 अगस्त, 2024 के दौरान औषधि खोज, वितरण और निदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडी-4)

5.6 नाईपर हाजीपुर

नाईपर हाजीपुर की स्थापना 2007 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के तत्वावधान में की गई थी। प्रारंभ में, यह संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)-राजेंद्र मेमोरियल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआईएमएस), पटना की मेंटरशिप में था और 31 अक्टूबर 2018 तक इसी मेंटरशिप में चलता रहा। 1 नवंबर 2018 को, एक नियमित निदेशक ने कार्यभार संभाला, जिसने शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की दिशा में इसके विकास और प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ा। वर्ष 2021 में, नाइपर हाजीपुर ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त किया। इसका प्राथमिक मिशन औषधीय शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करना और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान करना है। नाइपर हाजीपुर औषधीय विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और अत्याधुनिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भारत और विश्व स्तर पर औषध क्षेत्र का संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संस्थान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर 33वां स्थान प्राप्त किया है।

यह संस्थान फार्मेसी में स्नातकोत्तर (एमएस/एम. फार्म.) शिक्षा और विभिन्न विशेषज्ञताओं में डॉक्टरेट (पीएचडी) कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, निम्नलिखित कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं:

(क) फार्मेसी प्रैक्टिस में एम. फार्म और पीएचडी
(ख) फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में एम.एस. और पीएचडी
(ग) फार्मास्युटिकल एनालाइसिस में एम.एस. और पीएचडी
(घ) फार्मास्यूटिक्स में एम.एस. और पीएचडी

तालिका 5.21
विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश का विवरण

क्रमांक	विभाग	पीजी	पीएच.डी.	कुल प्रवेश
1	फार्मेसी प्रैक्टिस	10	-	10
2	फार्माकोलॉजी एण्ड टॉक्सिकॉलोजी	18	3	21
3	फार्मास्युटिकल एनालाइसिस	12	1	13
4	फार्मास्यूटिक्स	20	6	26

5.6.1 उपलब्धियां

स्थापना के बाद से, अभी तक कुल 678 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं (एम.फार्मा-655 और पीएचडी- 23), 381 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और अब तक 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें से दो समझौता ज्ञापनों पर इस शैक्षणिक वर्ष (2024-25) के दौरान हस्ताक्षर किए गए है। कुल 13 पेटेंट दायर किए गए हैं जिनमें से एक पेटेंट वर्ष 2024-25 में दायर किया गया है।

5.6.2 संकाय एवं कर्मचारियों का विवरण

शैक्षणिक : निदेशक और 14 (जिनमें अल्पकालिक अनुबंध पर एक पद शामिल है)
गैर-शैक्षणिक : 21 (नियमित)

5.6.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आवंटित कुल धनराशि

तालिका 5.22
सरकार द्वारा निधि आबंटन का विवरण

वर्ष	अनुमानित बजट	संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि (रुपए करोड़ में)
2020-21	15.00	26.00	26.00
2021-22	21.00	41.00	41.00
2022-23	43.00	43.00	37.00
2023-24	63.00	63.00	18.00
2024-25	30.80	30.80	12.25*

** निधियां अक्तूबर, 2024 तक जारी*

5.6.4 छात्रों का विवरण

तालिका 5.23

छात्रों का विवरण

छात्र	पुरुष	महिला	कुल
पीजी-II (वर्तमान) (बैच 2023-25)	66	41	107
पीजी-I (वर्तमान) (बैच 2024-26)	33	21	54
आई.पी.एच.डी. (ऑन रोल)	4	3	7
पीएचडी (ऑन रोल)	36	29	65

5.6.5 शिक्षक-छात्र अनुपात : 1:17

5.6.6 प्लेसमेंट

नाईपर-हाजीपुर ने उद्योग/भर्तीकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों/शोध विद्वानों को उचित करियर/प्लेसमेंट, आवश्यक ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति हेतु वर्ष 2021 में "प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल" की स्थापना की। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल के पास भर्ती, इंटर्नशिप और प्रशिक्षण पर सुपरिभाषित उद्देश्य और नीतियां हैं। यह सेल छात्रों/विद्वानों के डेटाबेस और समय-समय पर फीडबैक तंत्र को बनाए रखने के माध्यम से गुणवत्ता प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए उत्तरदायी है।

प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल के उद्देश्य

(क) इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से विद्वानों को अपना करियर चुनने में सहायता करना।

(ख) करियर मार्गदर्शन/परामर्श सत्र और उपयुक्त संसाधनों से व्यक्तित्व विकास सत्र की व्यवस्था करना।

(ग) मॉक साक्षात्कार, साक्षात्कार स्किल्स, सॉफ्ट-स्किल्स, संवाद स्किल्स पर मार्गदर्शन के माध्यम से ऑन/ऑफ कैंपस भर्ती के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करना।

(घ) पूर्व छात्र इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से वर्तमान छात्रों/विद्वानों का पूर्व छात्रों से संपर्क करवाना।

(ङ) विभाग प्रभारी के साथ समन्वय करके पाठ्यक्रम आवश्यकता/विशिष्ट कौशल आवश्यकता के भाग के रूप में प्रशिक्षण के लिए छात्रों/विद्वानों को रखने के लिए उद्योग संपर्क स्थापित करना।

(च) इंटरैक्टिव सत्रों/कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, अतिथि व्याख्यानों और सम्मेलनों में उद्योग विशेषज्ञों/कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(छ) विनियामक प्रस्तुतियाँ और रैंकिंग के लिए आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट डेटाबेस बनाए रखना।

तालिका 5.24

स्नातक स्तर पर कैंपस प्लेसमेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड विवरण

वर्ष	कुल स्नातक	कुल नियोजित	नियोजित %
2019-20	36	13	36.11

2020-21	44	32	72.72
2021-22	51	43	84.31
2022-23	71	63	88.73
2023-24	91	75	82.41

भर्ती करने वालों में नोवार्टिस, अरबिंदो, फ्रायर सॉल्यूशंस, आईक्यूवीआईए, इंडिजीन, ताज फार्मा, जॉन्सन एंड जॉन्सन, आईसीएमआर- राजेंद्र मेमोरियल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआईएमएस), जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ), एम्स जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ), पैनेसिया बायोटेक, मैनकाइंड फार्मा, टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसिज, जीनेसिस, कॉग्निजेंट, डेल्वेनसाइट, कैडिला और पैरेक्सेल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं ।

5.6.7 विभागों का अनुसंधान संकेन्द्रण

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(क) फंगल, परजीवी और यकृत रोगों के लिए नैनो-मेडिसिन आधारित ड्रग डिलीवरी

(ख) दवा जांच में पशु मॉडल के प्रतिस्थापन के लिए 3डी ऑर्गन डेवलपमेंट

(ग) ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस-मीडियेटीड रोगों के खिलाफ बायोमेडिकल एप्लिकेशन के लिए नैनोजाइम विकास

(घ) रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए क्वांटम डॉट्स-आधारित दवा वितरण

(ङ) रिजेनेरेटिव चिकित्सा (टिश्यू इंजीनियरिंग) और स्टेम कोशिकाओं की नैनो-इंजीनियरिंग के लिए नवीन दृष्टिकोण

(च) एंजाइम परख और एंटीबॉडी विकास के लिए जीवाणु और पिचिया पास्टोरिस एक्सप्रेशन प्रणाली का उपयोग करते हुए पुनः संयोजक डिओक्सीरबोन्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप: फार्मेसी पद्धति विभाग

(क) फार्माकोविजिलेंस और मेटेरियोविजिलेंस

(ख) रोगी द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणाम माप (पीआरओएम) और जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) अध्ययन

(ग) औषध सुरक्षा, औषधि उपयोगिता समीक्षा, वहनीयता एवं पहुँच

(घ) इन्फेक्शियस रोग, एंटीमाइक्रोबियल रेसिसटेंट (एएमआर), ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरसिस (एचआईवी) और क्षयरोग (टीबी)

(ङ) क्लिनिकल प्रभावकारिता एवं सुरक्षा अध्ययन

(च) पर्सनलाईजड मेडिसन और बायोमार्कर स्टडीज

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : फार्माकोलॉजी एवं टोक्सिकोलॉजी विभाग और रेगुलेटरी टोक्सिकोलॉजी

(क) मनोदशा को उलटने और कॉग्निटिव डेफिसिट एजिंग, अल्जाइमर रोग, और कैंसर या कीमोथेरेपी-प्रेरित मस्तिष्क विकारों के लिए फार्माकोलॉजिकल, आनुवंशिक और स्टेम सेल-आधारित हस्तक्षेपों का विकास करना।

(ख) न्यूरोलोजिकल विकारों, कैंसर, मधुमेह और संक्रामक रोगों का पता लगाने, रोग का निदान करने और चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए सरल, किफ़ायती और उपयोग में आसान बायोमार्कर की पहचान करना।

(ग) हर्बल, सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की एब्जोर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन और टोक्सीसिटी (एडीएमईटी) प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका फार्माकोकाइनेटिक आधारित अध्ययन।

(घ) प्लांट आधारित सिंथेटिक और बायोलोजिकल उत्पादों की सुरक्षा प्रोफाइल स्थापित करने के लिए इनका टोक्सिकोलॉजिकल अध्ययन।

विभागीय अनुसंधान कार्यकलाप : फार्मास्यूटिक्स विभाग

(क) पारंपरिक, संशोधित-रिलीज, साइट-स्पेसिफिक और लक्षित दवा प्रदानगी प्रणाली।

(ख) नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित फार्मुलेशनों का विकास।

(ग) पुअर वाटर सोल्युबल दवाओं की पार्टिकल इंजीनियरिंग और सोल्युबिलिटी एन्हैंस्मेंट।

(घ) फॉर्मुलेशन विकास में क्वालिटी बाई डिजाइन (क्यूबीडी) / डिजाइन ऑफ एक्सपेरीमेंट (डीओई) और कंप्यूटर एडेड एप्रोच को एकीकृत करना।

(ङ) सक्रीय औषधीय घटकों और फॉर्मुलेशनों का इन-विट्रो और एक्स-विवो / इन-विवो लक्षण वर्णन।

औषध विश्लेषण विभाग

विभाग के वर्तमान शोध क्षेत्र इस प्रकार है-

(क) माइक्रोबियल, पशु ऊतक और मानव सीरम की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर (एलसी-एचआरएमएस)-आधारित प्रोटिओमिक्स प्रोफाइलिंग;

(ख) सी.एलेजंस का मेटाबोलॉमिक्स डेटाबेस विकास;

(ग) प्राकृतिक उत्पाद प्रोफाइलिंग/पहचान द्वितीयक मेटाबोलाइट (नाईपर-गुवाहाटी के साथ सामान्य अनुसंधान योजना)

(घ) औषध उत्पादों में नाइट्रोसामाइन नियंत्रण (नाईपर-कोलकाता के साथ साझा अनुसंधान योजना)

(ङ) प्रोटिओमिक्स-आधारित लक्ष्य पहचान, और माइक्रोबियल/कैंसर दवा प्रतिरोधक का तंत्र अध्ययन

(च) कैंसर चिकित्सा विज्ञान में खाद्य-ओमिक्स,

(छ) एनैलिटिकल क्वालिटी बाई डिजाइन (एचपीएलसी बाईएक्यूबीडी)/ क्वान्टिटेटिव स्ट्रक्चर रिटेंशन रिलेशनशिप (क्यूएसआरआर)/इन्टरनैशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाईजेशन क्यू14 दिशानिर्देश द्वारा

एलसी-एचआरएमएस, प्रीपेरेटिव पाई परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी/प्रैप.) / प्रीपेरेटिव पाई परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हुए उद्योग-संबंधित विश्लेषणात्मक पद्धित का विकास।

बायोफार्मास्युटिकल्स विभाग

(क) बैक्टीरियल, फंगल और बैकुलोवायरस एक्सप्रेशन प्रणालियों से प्रोटीन की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और शुद्धिकरण

(ख) फेग डिस्प्ले, यीस्ट सरफेस डिस्प्ले और एंटीबॉडी इंजीनियरिंग

(ग) जैव रासायनिक इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन प्रौद्योगिकी, और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण

(घ) मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का विकास

5.6.8 नाईपर हाजीपुर का प्रभाव

(क) यह संस्थान एनआईआरएफ रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2024 में नाईपर हाजीपुर को 33वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

(ख) स्थापना के बाद से, 655 स्नातकोत्तर डिग्री और 23 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हैं।

(ग) 381 प्रकाशन, 23 समझौता ज्ञापन और 12 पेटेंट का अनुसंधान परिणाम दर्ज किया गया है।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)-विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), डीएसटी (दुर्लभ रोग), उपेक्षित रोगों संबंधी औषधइयों (डीएनडीआई) आदि सहित विभिन्न वित्त पोषण निकायों द्वारा संकाय को कुल 8 वित्त पोषित बाह्य अनुसंधान अनुदान स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) हाल ही में, संस्थान ने एनिमल हाउस, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा, सेल कल्चर सुविधा और पायलट फॉर्मूलेशन यूनिट सहित कई अत्याधुनिक शोध सुविधाएं विकसित की हैं। ये अतिरिक्त सुविधाएं शोध उत्कृष्टता और अकादमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचित की गई हैं।

(च) इसके अतिरिक्त, संस्थान की शोध क्षमता और सहायता को और बढ़ाने के लिए नए भवनों के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है।

(छ) छात्रों की सुविधा के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास के साथ-साथ पीएचडी विद्वानों के लिए समर्पित आवास स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक परिसर चिकित्सा सुविधा सृजित की गई है।

वर्ष 2024-25 में नाईपर, हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रमों की फोटों और विवरण

6वां दीक्षांत समारोह दिनांक 06.7.2024 को आयोजित किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा 2024 और एससीडीपीएम 4.0

दिनांक 21.6.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

5.7 नाईपर गुवाहाटी

नाईपर गुवाहाटी ने वर्ष 2008 से अपना कार्य शुरू करते हुए मेंटर संस्थान, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, के अंतर्गत जुलाई, 2017 तक कार्य किया। पहले नियमित निदेशक ने 3 नवम्बर, 2016 को संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला। नाईपर गुवाहाटी जनवरी, 2020 से चांगसेरी, कामरूप (ग्रामीण), उत्तरी गुवाहाटी, असम स्थित अपने स्थायी परिसर से कार्य कर रहा है। संस्थान को 12.01.2024 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस संस्थान के पास भारत सरकार के प्रीमियम वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा पहचाने गए दस (10) राष्ट्रीय केंद्र हैं अर्थात्

(क) प्रौद्योगिकी विकास हस्तांतरण बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय फार्माकोइन्जिनियरिंग केंद्र;

(ख) बायोइनक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रिन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलोजीज (बायोनेस्ट) इन्क्यूबेशन सेंटर, जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)

(ग) जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मंत्रालय से जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल उत्कृष्टता केंद्र

(घ) उत्तम विनिर्माण पद्धति (जीएमपी) मान्यता प्राप्त पायलट स्केल-अप निष्कर्षण सुविधाकेंद्र जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)

(ङ) ट्रेड इन्फ्रास्ट्रकचर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस), वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हर्बल उद्योग के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यवर्धन केंद्र

(च) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से उत्तम प्रयोगशाला पद्धति (जीएलपी) मान्यता प्राप्त पशु घर सुविधा केन्द्र।

(छ) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से औषध डिजाइन के लिए उन्नत केंद्र

(ज) भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी), गाजियाबाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से फार्माकोविजिलेंस सेंटर

(झ) अटल-इन्क्यूबेशन सेंटर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, और

(ञ) फाइटो-फार्मास्युटिकल्स पर उत्कृष्टता केंद्र

5.7.1 उपलब्धियां

(क) पीएच.डी. – 170 (नामांकित), डिग्री से सम्मानित – 40 (संस्थान के प्रारंभ से),

(ख) कुल एमएस (फार्मा.) / एम.फार्मा / एम.टेक (संस्थान के प्रारंभ से),

पंजीकृत छात्रों की संख्या	: 1217
स्नातक	: 823

वर्तमान में 349 छात्र पीजी कार्यक्रम और 28 छात्र एकीकृत पीजी पीएचडी कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) प्रकाशन: समकक्ष समीक्षित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 630 लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 187 लेख वर्ष 2023-24 में प्रकाशित हुए हैं और अतिरिक्त 47 समकक्ष समीक्षित लेख भी अक्तूबर (2023-24) तक प्रकाशित हुए हैं।

(घ) संस्थान के पास कुल 27 पेटेंट हैं जिनमें 04 डिज़ाइन पेटेंट, 02 कॉपीराइट और 03 प्रक्रिया पेटेंट शामिल हैं।

5.7.2. संकाय और स्टाफ का ब्यौरा

(क)	प्रशासनिक स्टाफ	:	29
(ख)	शैक्षणिक स्टाफ	:	27
(i)	प्रोफेसर	:	04

(ii) एसोसिएट प्रोफेसर : 05

(iii) सहायक प्रोफेसर : 18 (2 तदर्थ)

(ग) परियोजना फैलो (अनुसंधान सहयोगी सहित) : 11

(घ) तकनीकी स्टाफ : 16

(ङ) बहुकार्य स्टाफ : 36

(च) रामलिंगास्वामी फेलो : 01

5.7.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किया गया कुल आबंटन

तालिका 5.25

पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटन का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित बजट अनुमान	आबंटित संशोधित अनुमान	कुल जारी राशि
2020-21	34.45	79.45	79.45
2021-22	38.70	59.45	59.45
2022-23	35.00	103.53	106.49
2023-24	50.00	22.88	22.88
2024-25	24.20	-	14.00*

**निधि अक्तूबर, 2024 तक जारी।*

5.7.4 छात्र

वर्षवार पेश की गई डिग्रियों/ कार्यक्रमों और विषयों का विवरण

तालिक 5.26

विभिन्न विषयों में दाखिले की स्थिति

स्तर- मास्टर्स/ डॉक्टोरल	डिग्री एमएस/ एमबीए/ एम.टेक/ पीएचड़ी	विषय	वर्ष				
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	15	18	19	24	22
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.) / एम.टेक.	जैव प्रौद्योगिकी	10	10	15	17	20**

मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	19	25	26	29	27
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	फार्मास्यूटिक्स	18	20	24	28	23
मास्टर्स	एमएस (फार्मा.)	औषधीय रसायन शास्त्र	11	12	15	19	26
मास्टर्स	एम. फार्म.	फार्मेसी प्रैक्टिस	10	12	14	20	17
मास्टर्स	एम. फार्म.	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	11	12	14	22	17
मास्टर्स	एम.टेक.	चिकित्सा उपकरण	9	16	16	18	12
मास्टर्स	एम.टेक.	बायोफार्मास्यूटिकल्स	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	12	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मेसी प्रैक्टिस	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	5	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	जैव प्रौद्योगिकी	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्यूटिक्स	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	3	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	औषधीय रसायन शास्त्र	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	01	4	शून्य
एकीकृत पीजी-पीएचडी	एकीकृत पीजी-पीएचडी	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	1	शून्य
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	फार्मेसी प्रैक्टिस	1+1*	3	1+1 #	1	शून्य
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	फार्माकोलोजी और	2	3	7	3	3+1*

		टॉक्सिकोलोजी					
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	जैव प्रौद्योगिकी	2	3	6+1*	1	2
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	फार्मास्युटिकल विश्लेषण	2+1*	5	6	5+1*	3+1*
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	फार्मास्यूटिक्स	4+1*	7	8	3+2*	4+1*
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	औषधीय रसायन शास्त्र	2	4	4	2	
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	चिकित्सा उपकरण	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	4	1
डॉक्टरेट	पी.एच.डी.	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	शुरू नहीं हुआ	3	2+1*

*पीएचडी परियोजना सीटें

#पीएचडी डीएसटी इन्सपायर फैलो

** 2024-25 से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एम.टेक. जैव प्रौद्योगिकी विषय पेश पेशकश किया गया है।

5.7.5 शिक्षक-छात्र अनुपात (मास्टर्स और इंटीग्रेटिड पीएचडी (आईपीएचडी) छात्र)

फार्मेसी प्रैक्टिस	: 1:20
फार्माकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी	: 1:13
बायोटेक्नोलॉजी	: 1:13
फार्मास्यूटिक्स	: 1:14
औषध विश्लेषण	: 1:12
फार्मास्युटिकल टेक्नोलोजी(फार्मुलेशन)	: 1:14
औषधीय रसायन विज्ञान	: 1:12
चिकित्सा उपकरण	: 1:16
जैव प्रौद्योगिकी	: 1:12

5.7.6 रोजगार/ नियोजन की स्थिति :

वर्ष 2023-24 में 143 छात्रों में से 84 छात्रों की ऑन अथवा ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट के दौरान प्रतिष्ठित दवा उद्योगों में नियुक्ति हुई है। इनमें से कुछ कंपनियों का नाम उल्लेखनीय है - डॉ. रेड्डीज, फाइजर, वियाट्रिस, पिनेकल लाइफ साइंसेज, म्यू सिग्मा, ग्लैंड फार्मा, मैकलियोड्स, एरागेन, साई लाइफसाइंसेज, सिंजीन, मोलिक्यूलर कनैक्शन्स (एमसी) एनालिटिक्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मावेन प्रोफकॉन

सर्विसेज और आन्ध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड)। शेष 42 छात्रों ने उच्च शिक्षा का विकल्प चुना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पीएचडी के लिए दाखिला लिया।

5.7.7 अनुसंधान

जैव प्रौद्योगिकी:

(क) कैंसर और कार्डियोमेटाबोलिक विकार में लक्ष्य-आधारित और फेनोटाइप-आधारित औषधि खोज
(ख) चिकित्सीय हस्तक्षेप के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया
(ग) नवीन लक्ष्यों की पहचान करना और एक परख प्रणाली विकसित करना
(घ) फार्माकोजेनेटिक्स और वैयक्तिकृत चिकित्सा
(ङ) रोग तंत्र : इन्फ्लेमेशन और ऊर्जा मेटाबोलिज्म
(च) विकासात्मक दोष और कार्डियक रिप्रोग्रामिंग
(छ) स्तन कैंसर जीव विज्ञान और दवा प्रतिरोध तंत्र
(ज) ओवेरियन कैंसर के लिए नवीन पेप्टाइड आधारित एंटीकैंसर लक्षित चिकित्सा विज्ञान
(झ) कैंसर प्रोरीग्रेशन में क्लोनल इवोल्यूशन का जीव विज्ञान
(ञ) बेसिक बायोलॉजी- स्टेम सेल बायोलोजी और सिग्नल ट्रांस्डक्शन
(ट) बायोफार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी- चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण प्रोटीन और पेप्टाइड्स
(ठ) छोटे अणुओं और पौधों से प्राप्त उत्पादों की जांच करना

फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी :

(क) कैंसर और इसकी जटिलताएँ
(ख) ज्वलनशील स्थितियां : रह्यूमैटायड आर्थराइटिस, अलसेरेटिव कोलाइटिस और सोरायसिस
(ग) श्वसन रोग: दमा, क्रोनिक ओब्सट्रक्टिव पल्मोनेरी रोग (सीओपीडी) और लंग फाइब्रोसिस
(घ) न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग: अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग, मिर्गी आदि।
(ङ) रीनल फाइब्रोसिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस जैसे फाइब्रोटिक विकार
(च) कार्डियो-रीनल फार्माकोलोजी
(छ) मधुमेह और इसकी जटिलताएं, मुख्य रूप से नेफ्रोपैथी, कार्डियोमायोपैथी और न्यूरोपैथी
(ज) संक्रामक रोग: मलेरिया
(झ) ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक को-ओपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) दिशानिर्देशों के अनुसार विषविज्ञान संबंधी अध्ययन
(ञ) थेरानोस्टिक एप्रोच

फार्मेसी प्रैक्टिस:

(क) क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च
(ख) बायोमार्कर डिस्कवरी

(ग) फार्माकोजेनोमिक्स
(घ) रोग प्रबंधन कार्यक्रम के लिए नैदानिक अध्ययन
(ङ) दवा उपयोगिता मूल्यांकन
(च) दवा सुरक्षा मूल्यांकन
(छ) जनजातीय जनसंख्या स्वास्थ्य परिणाम मूल्यांकन
(ज) स्वास्थ्य अर्थशास्त्र और परिणाम अनुसंधान
(झ) साक्ष्य संश्लेषण

फार्मास्यूटिक्स:

(क) बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम (बीसीएस)-II एवं III दवाओं के लिए खुराक प्रपत्र डिजाइन, विकास, अनुकूलन और मूल्यांकन
(ख) घातक रोगों और अन्य जानलेवा बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सूक्ष्म और नैनोथेराग्नोसिस अवधारणाएं
(ग) मानव शरीर में प्रत्यारोपित या सम्मिलित चिकित्सा उपकरणों की सतहों से बायोफिल्म - उत्पादक सूक्ष्मजीवों का उन्मूलन
(घ) लिगैंड एंक्ररेड लिपिड/बहुलक-मध्यस्थ नैनोआर्किटेक्टोनिक्स
(ङ) उपेक्षित रोगों से लड़ने के लिए फार्माकोइंजीनियरिंग एप्रोच
(च) फार्मास्युटिकल एक्टिव मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/3डी-4डी प्रिंटिंग टेक्नोलोजी
(छ) गहन मोलिक्यूलर इनसाइट के साथ अंग/ लिम्फैटिक डिलीवरी के लिए नैनोमेडिसिन
(ज) फ्यूज्ड-फिलामेंट्स अनुप्रयोगों के लिए एक्सट्रूज़न आधारित फिलामेंट्स प्रोसेसिंग
(झ) ट्रांसलेशनल अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास

औषधीय विश्लेषण:

(क) विभिन्न कैंसर, हृदय और मेटाबोलिक संबंधी विकारों के मेटाबोलोमिक्स और लिपिडोमिक प्रोफाइलिंग
(ख) चिरल क्रोमैटोग्राफी तकनीक का उपयोग करके चिरल फार्मास्युटिकल यौगिकों का एनैन्टीओमेरिक पृथक्करण
(ग) एंटीयोमेरिक स्थिरता, फार्माकोकाइनेटिक्स और चिरल दवाओं की मेटाबोलिक प्रोफाइलिंग
(घ) लिक्विड क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एलसी-एमएस) और गैस क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी/एमएस) का उपयोग करके मानव जोखिम को चिह्नित करने के लिए अंतःस्रावी व्यवधानों और अन्य उभरते पर्यावरणीय प्रदूषकों की बायोमोनिटरिंग
(ङ) फार्मास्यूटिकल्स की स्थिरता पर बिगड़े हुए पर्यावरण का प्रभाव
(च) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से पौधे का फाइटो-मेटाबोलोमिक्स अध्ययन
(छ) विश्लेषणात्मक और जैवविश्लेषणात्मक विधि विकास और सत्यापन
(ज) दवाओं और मेटाबोलाइट्स के फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन
(झ) ड्रग मेटाबोलाइट्स की पहचान और लक्षण वर्णन।
(ञ) ठोस अवस्था लक्षण वर्णन - संदर्भ सामग्री विकास
(ट) नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद विकास

औषधीय रसायन शास्त्र

(क) सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई)/प्रमुख प्रारम्भिक सामग्री (केएसएम)/मध्यवर्ती सामग्री संश्लेषण

(ख) सतत विकास: जैव-सक्रिय यौगिकों और न्यू कैमिकल एंटिटीज (एनसीई) तक पहुंचने के लिए अणु-कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल नए सिंथेटिक मार्ग

(ग) कार्बोहाइड्रेट रसायन, विषमचक्रीय रसायन और बहुचरण संश्लेषण

(घ) दवा संश्लेषण के लिए ओर्गेनिक इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री के अनुप्रयोग

(ङ) प्राकृतिक उत्पाद सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) निष्कर्षण, आइसोलेशन, शुद्धिकरण और लक्षण वर्णन

(च) ड्रग डिस्कवरी चिकित्सीय लक्ष्य: सूक्ष्मजीव (हेपेटाइटिस सी वायरस और बैक्टीरिया, कैंसर {2-हाइड्रोक्सीसर्वोनिक एसिड (एचसीए)}, एमआरएनए बाइंडिंग प्रोटीन-ह्यूमन एंटीजन आर (एचयूआर), हिस्टोन डिएक्टीलेसेस (एचडीएसी), तंत्रिका संबंधी विकार (मिर्गी और अल्जाइमर रोग), अल्सरोजेनिक घाव भरना आदि।

(छ) आर्टिफिशन इंटेलिजेंस गाइडिड ड्रग डिजाइन एवं ड्रग मेटाबोलिज्म

फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मुलेशन)

(क) प्रीफॉर्मुलेशन स्क्रीनिंग

(ख) प्राकृतिक बायो-एक्टिव्स सहित बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम (बीसीएस) वर्ग II और IV मोलीक्यूल्स की बेहतर सुपुर्दगी के लिए प्रोटोटाइप फॉर्मूलेशन विकसित करना।

(ग) क्वालिटी बाई डिजाइन (क्यूबीडी) सिद्धांतों के आधार पर खुराक स्वरूपों का अनुकूलन

(घ) एमॉर्फस दवा वितरण प्रौद्योगिकी (एमॉर्फस ठोस फैलाव, सह-एमॉर्फस प्रणाली)

(ङ) जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए उत्पाद के निर्माण की रिवर्स इंजीनियरिंग

(च) हर्बल उत्पाद विकास

(छ) ऑसमेटिक दवा वितरण प्रणाली

(ज) बहु–कणीय दवा वितरण प्रणाली

चिकित्सा उपकरण:

(क) बायोसेंसर

(ख) अल्ट्राथिन सेंसर पेपर आधारित डायग्नोस्टिक्स

(ग) नेनोबायोटेक्नोलॉजी

(घ) माइक्रोफ्लुइडिक्स उपकरण

(ङ) कैंसर बायोमार्कर का मल्टीप्लेक्स्ड डिटेक्शन

(च) स्कैफोल्ड आधारित टिश्यू इंजीनियरिंग

(छ) बायोमटेरियल, 3डी स्फेरोइड्स

(ज) बायोरिएक्टरों का डिजाइन और विनिर्माण

(झ) हाइपोडर्मिक सुइयों, एकल उपयोग सिरिंजों, कैथेटरों और वर्ग क एवं ख चिकित्सा उपकरणों का यांत्रिक लक्षण वर्णन

(ञ) अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) और नियामक मानकों के अनुसार चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अंशांकन और कार्यनिष्पादन मापन।

बायोफार्मास्युटिकल्स:

(क) पुनः संयोजक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए सेल लाइन विकास और इंजीनियरिंग
(ख) बायोथेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए प्रक्रिया विकास - स्केल-अप और स्केल-डाउन दृष्टिकोण
(ग) बायोथेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण
(घ) मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एमएस) के माध्यम से बायोथेरेप्यूटिक्स का पोस्ट-ट्रांसलेशनल संशोधन लक्षण वर्णन
(ङ) बायोथेरेप्यूटिक्स के उच्च क्रम संरचना विश्लेषण के लिए फोरियर ट्रांस्फोर्म इन्फ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी (एफटीआईआर)
(च) बायोथेरेप्यूटिक्स के लिए प्रख्यापन विकास

5.7.8 विद्यार्थी का नामांकन

पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या : 118

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी-18; बायोटेक्नोलॉजी-15; फार्मेसी प्रैक्टिस-07; फार्मास्युटिक्स-28; फार्मास्युटिकल एनालिसिस-22; मेडिसिनल केमिस्ट्री-17; मेडिकल डिवाइस-05 और फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)-06.

मास्टर्स छात्रों की वर्तमान संख्या : 349

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी-46; बायोटेक्नोलॉजी-37; फार्मेसी प्रैक्टिस-37; फार्मास्यूटिक्स-49; फार्मास्युटिकल एनालिसिस - 54; मेडिसिनल केमिस्ट्री - 45; फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)-39; मेडिकल डिवाइस-30 और बायोफार्मास्यूटिकल्स-12)

एकीकृत पीजी पीएचडी छात्रों की वर्तमान संख्या : 28

(फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी- 05; बायोटेक्नोलॉजी- 03; फार्मेसी प्रैक्टिस- 03; फार्मास्युटिक्स -03; फार्मास्युटिकल एनालिसिस- 04; मेडिसिनल केमिस्ट्री- 04; फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी (फॉर्मूलेशन)- 05 और मेडिकल डिवाइस- 01)

तालिका 5.27

नामांकित छात्रों और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्ष-वार स्थिति

क्रम सं.	बैच	नामांकित छात्रों की संख्या	डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
1	2018-20	65	65
2	2019-21	72	70
3	2020-22	103	100
4	2021-23	125	120
5	2022-24	147*	144
	कुल	**512**	**499**

*आईपीएचडी सहित

5.7.9 पेटेंट और व्यवसायीकरण

संस्थान के पास कुल 27 पेटेंट हैं जिनमें 04 डिज़ाइन पेटेंट, 02 कॉपीराइट और 03 प्रक्रिया पेटेंट शामिल हैं।

5.7.10 सहभागिता

नाईपर, गुवाहाटी ने अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में 43 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, नाईपर गुवाहाटी ने आसियान-भारत नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज (एआईएनयू), एकेडेमिया गोर्निक्ज़ो-हुत्निज़ा (एजीएच) विश्वविद्यालय (पोलैंड), डाबर इंडिया, फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट केंद्र (एफएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)-गुवाहाटी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल)-नई दिल्ली, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई) लखनऊ, एम्स गुवाहाटी, शंकरदेव नेत्रालय, गुवाहाटी, असम, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, एम्स बीबीनगर, तेलंगाना, भारतीय फार्माकोपिया मिशन, भारत विकास समूह (बीवीजी) जीवन विज्ञान आदि जैसे अग्रणी संस्थानों/संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया है। ।

5.7.11 नाईपर का प्रभाव

(क) भारत के संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला और अग्रणी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और उसका संपोषण करना।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न राज्यों के स्थानीय पारंपरिक चिकित्सकों और संभावित उद्यमियों को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर तक बढ़ावा देना।

(घ) संस्थान विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित नियमित 09 विभागों के अलावा 10 राष्ट्रीय केंद्र संचालित कर रहा है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) जैसे वित्त पोषण निकायों से कई बाह्य वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा है।

(ङ) वर्ष 2024 की भारत एनआईआरएफ रैंकिंग में संस्थान ने फार्मेसी श्रेणी के तहत 12वां स्थान हासिल किया।

(च) संस्थान उत्तर पूर्व के 10 पारंपरिक चिकित्सकों को उनकी पारंपरिक दवाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2024-25 में नाईपर, गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रमों की फोटों और विवरण

माननीय प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर, 2024 को नाईपर, गुवाहाटी में फाइटोफार्मास्युटिकल्स और हर्बल औषधियों पर उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

5.8 नाईपर अहमदाबाद

नाईपर अहमदाबाद की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी और यह वर्तमान में गांधीनगर में स्थित है। संस्थान 07 विषयों (फार्मास्युटिक्स, औषध विश्लेषण, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक उत्पाद, औषधीय रसायन विज्ञान और चिकित्सा उपकरण) में एमएस (फार्मा.), एमबीए (फार्मा.), इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। संस्थान का स्थान औषध एवं चिकित्सा उपकरण उद्योगों, अस्पतालों और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ एक सहजीवी संबंध सुनिश्चित करता है। संस्थान का लक्ष्य फार्मा क्षेत्र में समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना तथा देश को वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराना है।

नाईपर अहमदाबाद के नए भवन का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 30 सितंबर, 2023 को डॉ. मनसुख मंडाविया, माननीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

5.8.1 उपलब्धियां:

राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क-2024 (एनआईआरएफ):- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ 2024 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग में नाईपर अहमदाबाद को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रकाशन - संस्थान ने कुल 21940 उद्धरणों (स्कोपस डाटाबेस के अनुसार) के साथ प्रतिष्ठित समकक्ष समीक्षा पत्रिकाओं में 1167 लेख प्रकाशित किए हैं।

पेटेंट - संस्थान ने अब तक 35 पेटेंट दायर किए हैं, जिनमें नाईपर अहमदाबाद के संकाय या छात्र आविष्कारक हैं।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन- संस्थान ने अब तक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ 32 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मास्टर कार्यक्रम में छात्र

(क) 1170 मास्टर छात्रों ने नाईपर अहमदाबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वे भारत और विदेशों में विभिन्न फार्मा उद्योगों में सुनियोजित हैं।

(ख) वर्तमान में, 345 छात्र 8 विषयों में एम.एस. (फार्म), एम.टेक, इंटीग्रेटेड पीजी-पीएचडी और एमबीए (फार्म) पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं।

पीएचडी कार्यक्रम में छात्र

(क) अब तक 45 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

(ख) 127 छात्रों ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी हुई हैं।

छात्रों का प्लेसमेंट - इच्छुक छात्र 100% प्लेसमेंट प्राप्त कर चुके हैं।

5.8.2 संकाय और स्टाफ का विवरण:

निदेशक के पद के अलावा, निम्नलिखित पद भरे गए हैं:

पद	नियमित
संकाय पद	23
गैर-संकाय पद	20

5.8.3 पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कुल आबंटन

तालिका 5.28

नाईपर, अहमदाबाद को वर्षवार निधि आवंटन

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	ब.अ. आबंटन	सं.अ. आबंटन	कुल जारी
2020-21	60.50	60.50	60.50
2021-22	54.00	54.00	54.00
2022-23	74.00	74.00	76.10
2023-24	78.00	---	33.42
2024-25	28.00	---	19.00*

**निधि अक्तूबर, 2024 तक जारी।*

5.8.4 छात्र

तालिका 5.29

प्रवेश स्थिति के साथ पेश किए गए डिग्री/कार्यक्रम और विषय (वर्ष सहित)

मास्टर्स/डॉक्टरेट	एमएस/पीएचडी	विषय	दाखिल छात्रों की संख्या			
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-26
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	जैव प्रौद्योगिकी	15	15	16	-
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	2	-
एम.टेक			-	-	-	21
डॉक्टरेट	पीएचडी		4	3	4	3
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधीय रसायन शास्त्र	22	22	24	20
एकीकृत पीजी-			-	-	4	-

पीएचडी						
एम.टेक						8
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	9	3	-
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	चिकित्सा उपकरण	15	15	15	-
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	1	-
एम.टेक						18
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	3	2	-
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	प्राकृतिक उत्पाद	12	16	17	20
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	4	-
डॉक्टरेट	पीएचडी		3	1	9	1
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	औषधि विश्लेषण	22	24	27	21
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	3	-
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	8	5	-
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्माकोलॉजी और टोक्सीकोलोजी	22	22	24	21
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	5	-
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	8	0	-
मास्टर्स	एमएस (फार्मा)	फार्मास्यूटिक्स	22	25	25	21
एकीकृत पीजी-पीएचडी			-	-	3	-
डॉक्टरेट	पीएचडी		5	7	12	-
एमबीए (फार्मा)	एमबीए (फार्मा)		25	26	30	-
			185	**204**	**235**	**154**

5.8.5 शिक्षक-छात्र अनुपात:

1:20 (22 संकाय: 470 छात्र)

5.8.6 नियोजनीयता/प्लेसमेंट स्थिति:

पिछले 3 वर्षों की प्लेसमेंट स्थिति: कैम्पस में/कैम्पस के बाहर

बैच	छात्रों की कुल संख्या	प्लेस किए गए छात्रों की कुल संख्या
2020-22	142	116
2021-23	151	124
2022-24	164	145

5.8.7 शिक्षक: अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग

नाईपर अहमदाबाद ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बोस्टन, यूएसए, मियामी विश्वविद्यालय, यूएसए, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, डेनमार्क, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सिएटल, यूएसए; न्यूकैसल विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड फार्मेसी, ऑस्ट्रेलिया; मिसिसिपी विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ फार्मेसी, यूएसए; वेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूज-इंस्पायर्ड बायोमटेरियल्स एंड इंटीग्रेटेड नैनो डिलीवरी सिस्टम्स लेबोरेटरी, यूएसए; और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, गैलवे, आयरलैंड के संकायों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग स्थापित किया है। इस पहल के तहत, इन विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अनुसंधान संकायों ने नाईपर अहमदाबाद के संकाय सदस्यों के साथ भावी अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक साझेदारी स्थापित करने की सहमति की है।

5.8.8 वर्ष 2024-25 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए संस्थान:

(i) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत, गुजरात

(ii) डॉ. हरि सिंह गौर (डीएचएसजी)-विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश

5.8.9 अनुसंधान क्षेत्र:

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(क) ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में नए चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान के लिए विंगलेस-रिलेटेड इंटीग्रेशन साइट (डब्ल्यूएनटी) पाथवे और लंबे नॉन-कोडिंग आरएनए (एलएनसीआरएनएएस) इंटरैक्शन को समझना

(ख) ग्लियोब्लास्टोमा में लंबे नॉन-कोडिंग आरएनए (एलएनसीआरएनएएस) की भागीदारी के आणविक तंत्र को उजागर करना

(ग) ओवेरियन कैंसर में क्लस्टर्ड नियमित रूप से इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स/क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 (क्रिस्पर/कैस9) द्वारा पी53 विनियमित लंबे गैर-कोडिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड (एलएनसीआरएनएएस) की भूमिका की पहचान करना।

(घ) रोगाणुरोधी प्रतिरोध

(ङ) ट्रांसक्रिप्टोम विश्लेषण के माध्यम से ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (ओएससीसी) रोगियों की आनुवंशिक प्रोफ़ाइल और बायोमार्कर पहचान

औषधीय रसायन विज्ञान विभाग

(क) औषधि खोज और बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए पेप्टाइड, पेप्टिडोमिमेटिक्स और न्यूक्लियोबेस की खोज

(ख) जलीय कार्बनिक प्रतिक्रियाओं का डिजाइन और विकास

(ग) ड्यूअल (डिस्टल) सी-एच बॉन्ड एक्टीवेशन रिले के माध्यम से मौखिक कैंसर के लिए नवीन चिकित्सीय क्विनाज़ोलोन-टेथर्ड बेंजोफुलवेन्स की खोज

(घ) एंटीकैंसर एजेंट प्राप्त करने के लिए ट्यूमर पाइरूवेट किनेज एम2 (पीकेएम 2) का मॉड्यूलेशन

चिकित्सा उपकरण विभागः

(क) इंटरवर्टेब्रल डिस्क रिपेयर के लिए बायोइंजीनियर्ड त्रि-आयामी संरेखित स्काफोल्ड

(ख) रीढ़ की हड्डी के उत्थान के लिए पॉलिमरिक कंडिट

(ग) चिकित्सा उपकरणों और जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास के लिए बायोमटेरियल प्लेटफॉर्म

(घ) मौखिक और यकृत कैंसर का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास

(ङ) मानसिक स्थिति निर्धारण का पता लगाने के लिए बायोसेंसर का विकास

(च) कैंसर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बायोइंजीनियर्ड 3डी रोग मॉडल का विकास

प्राकृतिक उत्पाद विभागः-

(क) पादप स्रोतों से नए जैव सक्रिय प्राकृतिक उत्पादों के अलगाव के लिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एलसी-एमएस) आधारित डेरेप्लीकेशन कार्यनीति

(ख) नोवल बायोएक्टिव स्कैफल्ड की खोज के लिए एंडोलिकेनिक कवक की जैव-पूर्वेक्षण

(ग) ग्लूकागोन-लाइक पेप्टाइड-1 रिसेप्टर (जीएलपी-1आर) एगोनिस्ट गतिविधि रखने वाले पौधे-व्युत्पन्न प्राकृतिक उत्पादों की पहचान

(घ) प्राकृतिक उत्पादों के बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण/संवर्द्धन के लिए प्रक्रिया अनुकूलन

(ङ) प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण और/या अर्ध-संश्लेषण के लिए सी-एच सक्रियण कार्यनीति

(च) ग्लाइकोस्मिस पेंटाफिला से अवर्णित एल्कलॉइड का पृथक्करण, लक्षण-वर्णन

(छ) संभावित कैंसर रोधी एजेंट के रूप में 20एस प्रोटिएसोम अवरोधक।

(ज) मूल्यवान पादप-आधारित रसायनों के स्थायी उत्पादक के रूप में एंडोफाइटिक कवक।

(झ) प्राकृतिक उत्पाद और कैंसर अनुसंधान के लिए मेटाबोलोमिक प्रौद्योगिकी की स्थापना।

औषध विश्लेषण विभागः

(क) ड्रग-एक्सीपिएंट संगतता अध्ययन

(ख) उच्च परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी), लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एलसी-एमएस) और क्वांटिटेटिव न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस (क्यूएनएमआर) का उपयोग करके सक्रिय औषधीय घटक (एपीआई) और नई रासायनिक संस्थाओं (एनसीई) के फोर्स्ड डिग्रेडेशन अध्ययन।

(ग) बायोएनालिसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म और फार्माकोकाइनेटिक्स

(घ) पॉलिमर लक्षण वर्णन के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

(ङ) सिंथेटिक पेप्टाइड लक्षण विवरण

(च) जीनोटॉक्सिक और नाइट्रोसामाइन अशुद्धियों के परिमाणीकरण के लिए विश्लेषणात्मक विधि विकास

(छ) दवा उत्पाद का निष्कर्षण और निक्षालन योग्य अध्ययन

(ज) बायोसिमिलर लक्षण विवरण

फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी विभाग

(क) इस्केमिक स्ट्रोक में माइटोकॉन्ड्रियल सुरक्षा के लिए ग्रोथ हार्मोन-रिलीजिंग हार्मोन (जीआरएच) रिसेप्टर्स को लक्षित करने के आधार पर चिकित्सीय कार्यनीति

(ख) क्रोनिक किडनी रोग में स्ट्रोक पैथोलॉजी के बढ़ने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तनाव और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के प्रभाव की खोज

(ग) स्ट्रोक के लिए स्टैटिन: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया की समामेलन को समझना

(घ) फॉस्फेटिडिलिनोसिटोल 3-किनेज (पीI3के)/प्रोटीन किनेज बी (एकेटी) मार्ग के माध्यम से सेरेब्रल इस्केमिया में इनोसिन की भूमिका की जांच करना

(ङ) स्ट्रोक के बाद अवसाद में एपेलिन-13 की न्यूरोप्रोटेक्टिव भूमिका

(च) गर्भावस्था में स्ट्रोक

(छ) स्ट्रोक के बाद व्हाइट मैटर इन्ज्यूरी में क्लेमास्टीन की भूमिका

(ज) सेल थेरेपी के बाद स्ट्रोक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गतिशीलता के विनियमन की दिशा में कैल्शियम के परिवर्तनों की भूमिका को समझना

(झ) एस्ट्रोसाइटिक सिग्नलिंग के विनियमन की खोज करके स्ट्रोक न्यूरोप्रोटेक्शन के लिए सेल थेरेपी

(ञ) इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव के दौरान एक्वापोरिन के कार्य और विनियमन की जांच करना: हाइपरोस्मोलर थेरेपी के लिए नए प्रतिमान की खोज

(ट) स्ट्रोक के बाद सैकेन्डरी न्यूरोडीजेनेरेशन में लिपिड राफ्ट की भागीदारी

(ठ) स्ट्रोक के बाद अस्थि मज्जा-व्युत्पन्न मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं (बीएम-एमएससी) से माइटोकॉन्ड्रियल स्थानांतरण।

(ड) स्ट्रोक के बाद की स्थिति में अस्थि मज्जा-व्युत्पन्न मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं (बीएम-एमएससीएस) से माइटोकॉन्ड्रियल स्थानांतरण में लाइसोसोम की भागीदारी

(ढ) इस्कीमिक स्ट्रोक में इम्युनोग्लोबुलिन की चिकित्सीय क्षमता की खोज

(ण) सेरोटोनर्जिक प्रणाली और स्ट्रोक के बाद द्वितीयक न्यूरो डिजनरेशन

(त) स्ट्रोक के बाद की स्थिति में अस्थि मज्जा-व्युत्पन्न मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं (बीएम-एमएससीएस) से माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांस्पोर्ट में गॉल्गी की भूमिका की खोज

(थ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सीएनएस) और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी (एससीआई)

(द) तंत्रिका संबंधी विकार

(ध) इंट्रावर्टेब्रल डिस्क डिजनरेशन (आईवीडीडी):

(न) दर्द तंत्र और राहत

औषध विज्ञान विभाग:

(क) कैंसर-रोधी बायोएक्टिव के प्रभावी साइटोसोलिक वितरण के लिए नवीन पॉलिमरिक नैनोमटेरियल का विकास

(ख) ग्राफीन ऑक्साइड लिपटे पॉलीमेरिक नैनोकणों का उपयोग करके ट्रिपल-नकारात्मक स्तन कैंसर (टीएनबीसी) के उपचार के लिए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण

(ग) सर्जरी के बाद ट्यूमर के दोबारा उभरने की रोकथाम के लिए नियर इन्फ्रारेड (एनआईआर) लेजर एक्टिवेटेबल नैनोसीड्स

(घ) इलेक्ट्रोस्प्रेइंग बनाम लियोफिलाइजेशन: ड्रग नैनोसस्पेंशन के सॉलिड-स्टेट गुणों पर प्रभाव

(ङ) जैव-संवर्द्धन के लिए खराब घुलनशील दवाओं को पारंपरिक खुराक रूपों में तैयार करना

(च) पेनिट्रेशन बढ़ाने वाले पदार्थों का उपयोग करके मैक्रोमोलेक्यूलर थैरेप्यूटिक्स के वितरण के लिए मौखिक मार्ग का लाभ उठाना

(छ) कोलन कैंसर के लक्ष्यीकरण, एपोप्टोसिस प्रेरण और उपचार के लिए नैनोकणों को समाहित करने वाले मिनीकैप्सूल

(ज) मौखिक और पैरेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए पारंपरिक फॉर्मूलेशन का विकास और नेत्र एड्मिनिस्ट्रेशन के लिए इंसर्ट विकसित करना

(झ) विकास, अनुकूलन {गुणवत्ता द्वारा डिजाइन (क्यूबीडी) आधारित} और गैर-आक्रामक नैनो-फॉर्मूलेशन का लक्षण वर्णन

(ञ) घुलनशीलता, पारगम्यता मुद्दे को संबोधित करने, साइड इफेक्ट को कम करने और कार्रवाई के स्थल पर दवा अणु की समग्र जैव उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नैनोकैरियर फॉर्मूलेशन का विकास।

(ट) पॉलिमर के संश्लेषण को तैयार करना और लक्षित वितरण के लिए फॉर्मूलेशन विकास के लिए संश्लेषित पॉलिमर का उपयोग करना

(ठ) त्वचा रोगों, नेत्र रोग, कैंसर और उम्र बढ़ने और विभिन्न जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के कारण होने वाली बीमारियों में अपूरित जरूरतों को पूरा करने के लिए टॉपिकल, हाइड्रोजेल फॉर्मूलेशन, माइक्रोपार्टिकल्स और वेसिकुलर कैरियर आदि का विकास।

(ड) पूर्व-निर्माण मूल्यांकन, दवा के अंश संगतता अध्ययन, प्रक्रिया पैरामीटर, स्थिरता अध्ययन और दवा पदार्थ गुण जैसे कण आकार, दवा भौतिक रासायनिक गुण, दवा पदार्थ की ठोस अवस्था विशेषता, सक्रिय दवा घटक (एपीआई) और बेहतर चिकित्सीय प्रभावकारिता, स्थिरता और उत्पाद विकास के लिए उनके रूप की जांच करना।

(ढ) विकसित फॉर्मूलेशन का बायोफार्मास्युटिकल जोखिम मूल्यांकन।

5.8.10 नाईपर का प्रभाव:

नाईपर अहमदाबाद देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन का निर्माण करने और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में 'मेक इन इंडिया' पहल में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने स्वयं को देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी फार्मेसी अनुसंधान संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है, जिसमें अनुसंधान सहयोग विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग है। इसने उद्योग जगत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है और साथ ही कई उद्योगों और अग्रणी संस्थानों के साथ अनुसंधान, संकाय दौरे, पाठ्यक्रम उन्नयन और नियामक सुधारों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और मलेशिया के सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहभागिता स्थापित की है। इस संस्थान ने विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, चर्चाओं का आयोजन किया है जिसमें मास्टर्स, पीएचडी के छात्रों, पोस्ट डॉक्स और शिक्षा-जगत एवं उद्योग के शोधकर्ताओं ने भाग लिया था।

5.8.11 पुरस्कार/उपलब्धि

(क) राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2024: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एनआईआरएफ 2024 के अनुसार भारत में सभी फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में नाईपर अहमदाबाद को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है।

(ख) शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक: डॉ. राकेश के. टेकाडे को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक सूची में शीर्ष 2% विश्व वैज्ञानिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

(ग) डॉ आकांछा जैन और डॉ देराजराम बेनीवाल के मार्गदर्शन में फार्मास्यूटिक्स विभाग की छात्रा सुश्री डिंपल सुथर, सुश्री रितु पटेल और सुश्री वनिता प्रजापति ने दिनांक 26.4.2024 को अरिहंत स्कूल ऑफ फार्मेसी में आयोजित पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

(घ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री मेधा भट्टाचार्य को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिया दिवस: कनेक्ट एंड कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "एंटीनियोप्लास्टिक एंटिटीज की स्क्रीनिंग के लिए कोलन कैंसर मिमिकिंग बायोरिएक्टर मॉडल।"

(ङ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री बिजयानी घोष को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिया दिवस: कनेक्ट एंड कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "सिरटुइन-1 तीव्र इस्केमिक स्ट्रोक में एंडोवैस्कुलर स्टेम सेल थेरेपी के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक्वापोरिन-4 एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है।"

(च) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री सौम्या कपूर को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिक दिवस: कनेक्ट और कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "क्विनोक्सालाइन डेरिवेटिव्स को ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के लक्षित अवरोधकों के रूप में पाइरीमिडीन से जोड़ा गया।"

(छ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री ध्वनी राणा को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिक दिवस: कनेक्ट और कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "ड्राई आई सिंड्रोम प्रबंधन के लिए एक नई चिकित्सीय संरचना की जांच: इन विट्रो और इन विवो अध्ययन।"

(ज) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री बागुल हर्षाली को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिया दिवस: कनेक्ट और कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "रीढ़ की हड्डी की चोट की मरम्मत के लिए हयालूरोनिक एसिड आधारित इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल।"

(झ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री पिल्लई मेघा को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिया दिवस: कनेक्ट और कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "आरएलडी और जेनेरिक फॉर्मूलेशनों में इन विट्रो ड्रग रिलीज पर एक्सिपिएंट प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए ऑर्थोगोनल विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करके डिफॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज।"

(ञ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री शमाना राजेश गोंडालिया को दिनांक 21.9.2024 को उद्योग-अकादमिया दिवस: कनेक्ट और कोलैबोरेट मीट में सर्वश्रेष्ठ शोध प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित

किया गया। उनकी प्रस्तुति का शीर्षक था "स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्रोमैटोग्राफिक तकनीकों द्वारा चयनित फार्मास्युटिकल एक्सीपिएंट्स के साथ स्वर्टियामारिन की संगतता का आकलन।"

(ट) नाईपर-ए के पीएचडी स्कॉलर श्री ज्ञानोदय त्रिपाठी को दिनांक 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए)-2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ठ) नाईपर-ए के पीएचडी स्कॉलर श्री नासिर खान को दिनांक 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए)-2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ड) नाईपर-ए के पीएचडी स्कॉलर श्री शेख करीमुल्लाह को 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए)-2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ढ) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री ज्योत्सना घनशाम विटोरे को दिनांक 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए) -2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ण) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री बिजयानी घोष को दिनांक 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए)-2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(त) नाईपर-ए की पीएचडी स्कॉलर सुश्री परिताला श्री तेजा को दिनांक 22.9.2024 को द बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए) -2024 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2024-25 में नाईपर, अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रमों की फोटो और विवरण

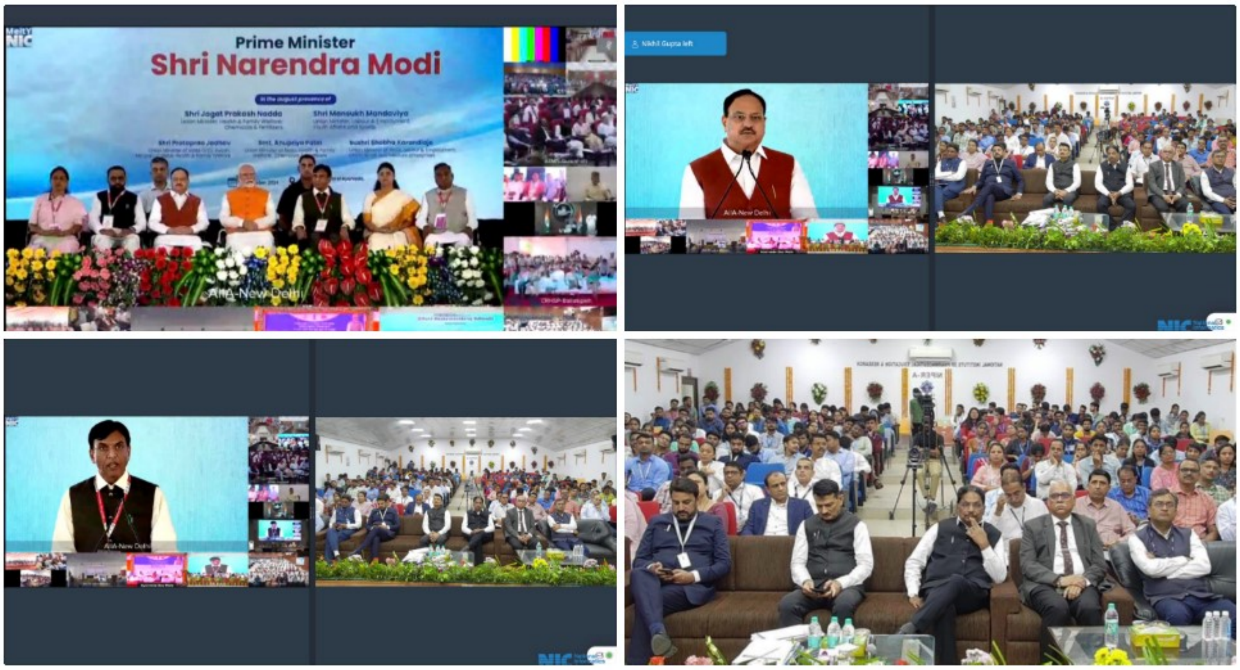

नाईपर, अहमदाबाद में चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला

एप्लाइड फार्मास्युटिकल एनालिसिस (एपीए) 2024, दिनांक 22.9.2024 को बोस्टन सोसाइटी और नाईपर अहमदाबाद द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

6.4 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) हैं:

(क) पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई हैं।

(ख) इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर किया गया है।

(ग) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) ने वर्ष 2013-14 से घाटा दर्ज किया है और यह प्रारंभिक रूप से रुग्ण है।

तालिका 6.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

(रुपए करोड़ में)

	एचएएल	आईडीपीएल	आरडीपीएल	बीसीपीएल	केएपीएल
स्थापना वर्ष	1954	1961	1978	1901	1981
वर्गीकरण	रुग्ण	पीएसयू (बंद होने की प्रक्रिया में)	प्रारंभिक रुग्ण	2016-17 से लाभ अर्जित कर रहा है	लाभ अर्जित कर रहा है
निवल मूल्य (करोड़ में)	-724.15	-7624.94	-102.46	183.18 (अनंतिम)	293.84
कुल कारोबार (करोड़ में)	155.98	38.87	शून्य	81.62 (अनंतिम)	268.01
परिचालन लाभ/हानि (करोड़ में)	5.10	40.57	-1.06	16.88 (अनंतिम)	16.85
देनदारियाँ (करोड़ में)	1274.85	332.58	142.03	69.01 (अनंतिम)	158.76
बीआईएफआर को रेफर किया गया	1997	1992	नहीं	1992	नहीं

कुल भूमि	260.07 एकड़	931.17 एकड़ (50 एकड़ नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरिक की गई)	9.37 एकड़	52.66 एकड़	क) पीन्या औद्योगिक क्षेत्र बेंगलुरु में 10 एकड़ भूमि ख) कडाबेगेरे, बेंगलुरु में 24 एकड़ 20 गुंटा ग) धारवाड़ में 6 एकड़ 14 गुंटा घ) डीएमआईसी विक्रम उदयपुरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में 50 एकड़ भूमि
लीज-होल्ड	शून्य	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शरू किया गया	शून्य	1.1 एकड़	डीएमआईसी विक्रम उदयपुरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में 50 एकड़ भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर।
फ्री-होल्ड	260.07 एकड़	931.17 एकड़ (50 एकड़ नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरिक की गई)	9.37 एकड़	51.56 एकड़	क) पीन्या औद्योगिक क्षेत्र बेंगलुरु में 10 एकड़ भूमि ख) कडाबेगेरे, बेंगलुरु में 24 एकड़ 20 गुंटा ग) धारवाड़ में 6 एकड़ 14 गुंटा

*टिप्पणियाँ:

1. आईडीपीएल के संबंध में कुल देनदारियां और अन्य सभी वित्तीय विवरण वर्ष 2018-19 के तुलन पत्र से लिए गए हैं

2. पट्टे वाली भूमि पहले ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा ले ली गई है और/या लिक्विडेटर (उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) - संयुक्त उद्यम) द्वारा ले ली गई है / पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है (ऋषिकेश)।

6.1.1 औषध पीएसयू पर निर्णय

मंत्रिमंडल और मंत्रियों की समिति (सीओएम) द्वारा फार्मा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) से संबंधित मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं:

I. दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिमंडल का निर्णय:

(क) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल), इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) और बंगाल केमिकल्स

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की अधिशेष भूमि का केवल उतना ही हिस्सा सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बेचा जाएगा, जितना देनदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा और बिक्री आय से बकाया देनदारियों को चुकाया जाएगा।

(ख) देनदारियों को पूरा करने, बैलेंस शीट को खाली करने और स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना (वीएसएस)/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करने के बाद इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को बंद कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को रणनीतिक बिक्री के तहत रखा जाएगा।

(ग) निजी भागीदारी के लिए इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) की सहायक कंपनियों को पृथक करने की संभावनाओं का पता लगाना।

(घ) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) में भारत सरकार की 100% इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश का निर्णय सीसीईए द्वारा दिनांक 01.11.2017 को निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा प्रस्तुत नोट में लिया गया था।

II. मंत्रिमंडल ने आगे समीक्षा की और दिनांक 17.07.2019 को निम्नानुसार निर्णय लिया:

(क) दिनांक 14.06.2018 के संशोधित लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री।

(ख) तीन पीएसयू- इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के भुगतान नहीं किए गए वेतन और वीएसएस/वीआरएस सहित कर्मचारियों की देनदारियों को पूरा करने के लिए 330.35 करोड़ रुपए के ऋण के रूप में बजटीय सहायता।

(ग) परिसंपत्तियों की बिक्री और बकाया देनदारियों के निपटान सहित बंद करने/रणनीतिक बिक्री करने से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन।

III. दिनांक 27.05.2021 को आयोजित मंत्रियों की समिति (सीओएम) की पहली बैठक के निर्णय:

(क) कर्मचारियों की लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ₹139 करोड़ (हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए ₹118 करोड़) और राजस्थान एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) के लिए ₹21 करोड़ की बजटीय सहायता।

(ख) ऋषिकेश में इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की 833.38 एकड़ लीजहोल्ड भूमि, जिसमें 1.01 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है, को उत्तराखंड सरकार को वापस करना तथा अन्य स्थानों पर इसकी परिसंपत्तियों की बिक्री आय से उत्तराखंड पावर

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को 46.39 करोड़ रुपये की सहमत बिजली बकाया धनराशि का भुगतान करना।

(ग) पुणे में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की 3.5 एकड़ भूमि को 42 करोड़ रुपये की तय की गई कीमत पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को बेचना।

(घ) इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) प्लांट साइट-I, हैदराबाद से 50 एकड़ भूमि को नियमित परिसर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), हैदराबाद को 889.50 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर हस्तांतरित करना, जिससे इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को भारत सरकार के ऋण/राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), हैदराबाद को दिए गए अनुमानित अनुदान के लिए बुक एडजस्टमेंट किया जा सके।

(ङ) कोलकाता के पानीहाटी में बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की 20.55 एकड़ भूमि को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), कोलकाता को नियमित परिसर स्थापित करने के लिए ₹345.24 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर हस्तांतरित करना तथा बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को भारत सरकार द्वारा दिए गए ₹193.71 करोड़ के सभी ऋण को उपार्जित ब्याज सहित माफ करना।

IV. दिनांक 22.6.2022 को आयोजित मंत्रियों की समिति (सीओएम) की दूसरी बैठक के निर्णय:

(क) राजस्थान एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) का राजस्थान सरकार को हस्तांतरण:

मंत्रियों की समिति (सीओएम) का निर्णय: समिति ने सैद्धांतिक रूप से राजस्थान एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करने तथा भारत सरकार (जीओआई) के ₹60.29 करोड़ के ऋण को माफ करने को मंजूरी दे दी तथा औषध विभाग (डीओपी) को एक मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करने की सलाह दी।

(ख) परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को रेफर करना:

मंत्रियों की समिति (सीओएम) का निर्णय: समिति ने गुरुग्राम, हैदराबाद में आईडीपीएल के संयंत्रों की फ्रीहोल्ड भूमि और अन्य अचल परिसंपत्तियों (प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भवनों और अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए किराये की आय निकालने को छोड़कर) को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को रेफर करने की सिफारिश की, ताकि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा स्थापित किए जा रहे एसपीवी के माध्यम से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सके। विभाग कंपनी को बंद करने में गतिशीलता लाने के लिए बजटीय सहायता की मांग कर सकता है।

(ग) रणनीतिक विनिवेश के लिए बीसीपीएल को निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करना:

मंत्रियों की समिति (सीओएम) का निर्णय: समिति ने रणनीतिक विनिवेश के लिए बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करने को मंजूरी दी।

(घ) रणनीतिक विनिवेश के लिए एचएएल को निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करना:

मंत्रियों की समिति (सीओएम) का निर्णय: समिति ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए इसकी अधिशेष भूमि की बिक्री सहित रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को संदर्भित करने को मंजूरी दी।

6.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

6.2.1 पृष्ठभूमि

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को 5 अप्रैल, 1961 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के संबंध में आत्मनिर्भरता सृजित करना, देश को आयात पर निर्भरता से मुक्त करना और लाखों लोगों को वहनीय कीमतों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराना था। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को मूल रूप से देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में परिकल्पित और स्थापित किया गया था और इसने भारतीय दवा उद्योग के आधार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) कॉम्प्लेक्स, डूंडाहेड़ा, गुड़गांव में स्थित है। कंपनी के तीन मुख्य संयंत्र ऋषिकेश (उत्तराखंड), गुरुग्राम (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना) में हैं और दो 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं, अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई (तमिलनाडु) और बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल) मुजफ्फरपुर (बिहार)। इसके अतिरिक्त, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे ओडिशा सरकार के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम लिमिटेड (आईपीआई सीओएल) के सहयोग से प्रवर्तित किया गया है, जिसका नाम ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) भुवनेश्वर है, जिसकी शेयरधारिता क्रमशः 51% और 49% हैं।

6.2.2 इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) का बंद होना:

(क) दिनांक 28.12.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, जिसे 17.07.2019 को संशोधित किया गया, में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को बंद करने का अधिदेश किया गया।

(ख) परिसंपत्तियों की बिक्री करके और देनदारियों को निपटाकर इसे बंद किया जाना है।

(ग) मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की स्थापना की गई; 8 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से अंतिम बैठक दिनांक 24.09.2024 को हुई।

इस समय, कंपनी में कोई नियमित कर्मचारी नहीं है क्योंकि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के सभी नियमित कर्मचारियों को दिनांक 14.06.2018 के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान कर दी गई है।

6.2.3 कंपनी की वर्तमान स्थिति

निदेशक मंडल:

(क) सुश्री विनोद कोटवाल, सदस्य सचिव- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक - आईडीपीएल

(ख) श्री अभिषेक कुमार सिंह, निदेशक औषध विभाग: सरकार द्वारा नामित निदेशक

(ग) सुश्री ऋचा पांडे मिश्रा: स्वतंत्र महिला निदेशक

6.2.4 आईडीपीएल को बंद करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में की गई विभिन्न कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं:

(क) आईडीपीएल और सहायक इकाइयों के सभी नियमित कर्मचारियों को जून 2020 में और संयुक्त उद्यम-ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) के कर्मचारियों को जून 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

(ख) मेसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को वर्ष 2019 में भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया, जिसने विभिन्न संयंत्रों की सभी फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यांकन किया है।

(ग) एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के संघ के साथ वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) किया गया और 356.44 करोड़ जारी किए गए।

(घ) आईडीपीएल और उसकी सहायक इकाइयों की सभी चल संपत्तियों का निपटान नामित अनुमोदित नीलामी एजेंसी अर्थात मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से किया गया।

(ङ) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल- तमिलनाडु) और बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल) की लीजहोल्ड भूमि को फिर से आगे बढ़ाया गया और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण में लिया गया। ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) को माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक (कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी, कटक) के माध्यम से परिसमापन के अधीन किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), ऋषिकेश संयंत्र की भूमि का पट्टा मई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया गया।

(च) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) द्वारा 34, कापसहेरा, दिल्ली स्थित मालगोदाम को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को हस्तांतरित कर दिया गया।

(छ) मुंबई में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के स्वामित्व वाले बारह फ्लैटों में से, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) नौ फ्लैटों को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को हस्तांतरित करेगा और हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जबकि शेष तीन को औषध विभाग के निर्देशानुसार भारतीय औषध और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) को हस्तांतरित किया जाएगा।

(ज) कंपनी को शीघ्र बंद करने के लिए वित्त मंत्रालय से बजटीय सहायता की मांग करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्म द्वारा प्रमाणित/सत्यापित देनदारियों की राशि।

6.2.5 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम की वर्तमान स्थिति

(क) बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर (बिहार)

बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर को वर्ष 1979 में बिहार सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई 65.12 एकड़ भूमि पर एक बल्क कार्बनिक रसायन विनिर्माण संयंत्र के रूप में निगमित किया गया था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा विधिवत अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल) प्लांट को दिनांक 04.03.1994 से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाया दिया गया था। इस प्लांट ने जून 1996 तक बल्क कार्बनिक रसायन और औषधि मध्यवर्ती सामग्रियों का निर्माण किया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के बोर्ड ने दिनांक 02.12.2019 को आयोजित अपनी 298वीं बैठक में, सैद्धांतिक रूप से, सहायक कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। इसके अनुसरण में, सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान कर दी गई, राज्य सरकार द्वारा लीजहोल्ड भूमि को वापस ले लिया गया और एमएसटीसी के माध्यम से प्लांट और मशीनरी का निपटान किया गया। बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल) पर लगभग 41.61 करोड़ रुपये की कुल देनदारी है, जिसकी सूचना औषध विभाग को वित्त मंत्रालय से बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा, विभाग से बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (बीडीओसीएल) को बंद करने के लिए वैकल्पिक तंत्र की स्वीकृति प्राप्त करने/संप्रेषित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ख) आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई:

आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई को सितंबर, 1965 में शुरू में एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट के रूप में निगमित किया गया था और बाद में इसे फॉर्मूलेशन के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। यह प्लांट तमिलनाडु सरकार द्वारा पट्टे पर ली गई 208.67 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया

था। तत्कालीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा विधिवत अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, आईडीपीएल (तमिलनाडु) प्लांट को दिनांक 11.03.1994 से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बना दिया गया था। आईडीपीएल (तमिलनाडु) एक अनुसूची-एम अनुपालक प्लांट है और सितंबर 2018 तक औषध फॉर्मूलेशनों के विनिर्माण से जुड़ा हुआ था।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के बोर्ड ने दिनांक 02.12.2019 को आयोजित अपनी 298वीं बैठक में, सैद्धांतिक रूप से, सहायक कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसरण में, सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान कर दी गयी, राज्य सरकार ने तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीआईडीसीओ) के माध्यम से लीजहोल्ड भूमि को वापस ले लिया और संयंत्र और मशीनरी को नामित एजेंसी मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से बेच दिया। इस समय, आईडीपीएल, तमिलनाडु के सभी रिकॉर्ड कॉर्पोरेट कार्यालय, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

(ग) उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) - संयुक्त उद्यम

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल), जो ओडिशा सरकार का उपक्रम है, द्वारा सह-प्रवर्तित किया गया था, जिसमें इसका 49% शेयर है और भारत सरकार के उपक्रम अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) का 51% शेयर है।

कंपनी को रुग्ण और घाटे में चल रही घोषित कर दिया गया और इसने उत्पादन और विपणन गतिविधियाँ बंद कर दीं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.7.2006 के आदेश के माध्यम से कंपनी को बंद करने और आधिकारिक परिसमापक (ओएल) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था, लेकिन एक निजी पक्ष द्वारा दायर आवेदन के अनुसरण में दिनांक 08.09.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.04.2018 के अपने आदेश के माध्यम से आधिकारिक परिसमापक (ओएल) को 4 सप्ताह के भीतर ओडीसीएल की परिसंपत्तियों को अपने अधीन करने का आदेश दिया। ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) द्वारा किए गए अनुरोध पर दिनांक 04.05.2018 को फिर से रोक लगा दी गई और उसे एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, दिनांक 17.09.2022 को आयोजित अपनी बैठक में ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर और इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)/औषध विभाग (डीओपी) और इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल)/ओडिशा सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद, परिसमापन कार्यवाही पर रोक हटाने की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया गया है।

सहायक कंपनियों को अलग करने और निजी भागीदारी की संभावना की खोज करने के लिए दिनांक 28.12.2016 के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)/औषध विभाग (डीओपी) ने इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल)/ओडिशा सरकार से ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) का अधिग्रहण करने/इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के शेयर खरीदने की मांग की थी, लेकिन दिनांक 16.11.2017 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल) का अधिदेश कंपनी का अधिग्रहण/संचालन करना नहीं था। इसके बाद, ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) बोर्ड ने दिनांक 12.12.2020 को आयोजित अपनी 132वीं बैठक में यह देखते हुए कि इंडियन एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) के सभी संयंत्रों और सहायक कंपनियों में उत्पादन गतिविधियां बंद हो गई हैं और इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल) ने कंपनी संचालित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जीएम प्रभारी को आगे कोई ऑर्डर नहीं लेने और कच्चे माल, तैयार माल, स्टॉक आदि के मौजूदा स्टॉक के परिसमापन के बाद उत्पादन गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। अप्रैल 2021 से कंपनी की सभी उत्पादन गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं और सभी नियमित कर्मचारी 30.6.2021 से या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पर कार्यमुक्त हो गए हैं। इस समय, ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल) माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक {कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), कटक} के माध्यम से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन है।

6.3 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

6.3.1 पृष्ठभूमि

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की स्थापना वर्ष 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद ने की थी। भारत सरकार ने वर्ष 1977 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया; बाद में, कंपनी को वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और वर्ष 1981 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के रूप में पंजीकृत किया गया था। कंपनी को वर्ष 1992 में रुग्ण घोषित किया गया था और वर्ष 1995 में तत्कालीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पुनरुद्धार के लिए योजना को मंजूरी दी गई थी।

6.3.2 निदेशक मंडल:

(क) श्री श्रीघोष चौधरी: निदेशक वित्त, बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)

(ख) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव, औषध विभाग: सरकारी नामित निदेशक

(ग) डॉ. संजय शामराव पाटिल: स्वतंत्र निदेशक

6.3.3 व्यापार का संचालन

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) कोलकाता की एक कंपनी है और औद्योगिक रसायन (फेरिक फिटकरी), ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, और कीटाणुनाशक जैसे फिनोल, नेफ़थलीन बॉल, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर के कारोबार में लगी हुई है। बंगाल केमिकल्स के एक प्रतिष्ठित ब्रांड कैंथरिडाइन हेयर ऑयल का विनिर्माण मानिकतला यूनिट में किया जा रहा है।

6.3.4 विनिर्माण स्थान

वर्तमान में, बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के तीन कारखाने हैं जो मानिकतला (कोलकाता), पानीहाटी (24 उत्तरी परगना) पश्चिम बंगाल और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

(क) मानिकतला इकाई :

यह इकाई वर्ष 1905 में स्थापित की गई थी और मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन का उत्पादन करती है जिसमें ब्रांडेड के साथ-साथ गैर-ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयां भी शामिल हैं। टेबलेट, कैप्सूल और मलहम का वाणिज्यिक उत्पादन चल रहा है। बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की मानिकतला इकाई कैंथराइडाइन हेयर ऑयल का भी उत्पादन करती है। बंगाल केमिकल्स ने कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के प्रकोप से बचाव के लिए 2 अगस्त, 2020 को अपना हैंड सेनिटाइज़र "बेन्सानी+" शुरू किया है।

(ख) पानीहाटी इकाई :

पानीहाटी इकाई की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी और यह उत्तर-24 परगना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीहाटी इकाई मुख्य रूप से औद्योगिक रसायन और कीटाणुनाशक जैसे फिनोल, नेफ़थलीन बॉल्स, ब्लीचिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर और फ़्लोर क्लीनर का उत्पादन करती है। महामारी के दौरान, बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने 30,000 बोतलों के औसत दैनिक उत्पादन के मुकाबले एक ही दिन में (26 सितंबर, 2020) फिनोल 450 एमएल की 60,680 बोतलों के विनिर्माण का अब तक का रिकॉर्ड बनाया है।

(ग) कानपुर इकाई:

कानपुर इकाई वर्ष 1949 में स्थापित की गई थी। यह मुख्य रूप से तीव्र विकारों के लिए गोलियां बनाती है।

(घ) मुंबई इकाई :

मुंबई इकाई की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी और वर्तमान में विकसित वाणिज्यिक स्थान (फरवरी 2000 में) को अतिरिक्त राजस्व स्रोत उत्पन्न करने के लिए पट्टे पर दे दिया गया है।

6.3.5 पिछली उपलब्धियां

कंपनी ने संकट की अवधि के दौरान भी घरेलू उत्पादों/कीटाणुनाशकों में अपनी ब्रांड स्थिति को बरकरार रखा है और अब इन ब्रांडों से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार है।

6.3.6 रुग्णता और पुनरुद्धार

कंपनी को वर्ष 1992 में पूर्ववर्ती बीआईएफआर को रेफेर किया गया था। बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के पुनरुद्धार पैकेज को दिसंबर, 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 440.60 करोड़ रुपए के अनुमोदित पैकेज में बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, पूंजी निवेश, विपणन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग और प्रचार के उपाय, वेतन संशोधन के लिए अनुदान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के कार्यान्वयन और गैर-सरकारी बकायों के भुगतान के लिए निधि शामिल थी। यहां तक कि वर्ष 2006 में कंपनी के पुनर्गठन के पश्चात भी, कंपनी को घाटा होना जारी रहा था और इसका परिचालन कार्यनिष्पादन वर्ष 2013-14 में तेजी से गिर गया था।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से, कंपनी ने वापसी की और ₹4.51 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹24.05 करोड़ का सकल मार्जिन दर्ज किया। लगातार वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 में भी, बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने ₹10.06 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। उसके बाद, कंपनी लगातार लाभ कमा रही है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹25.26 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹13.07 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹6.08 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹7.47 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹10.19 करोड़। बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 132.57 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कारोबार हासिल किया है, जो 18.08 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को ₹28 करोड़ का पूरा बैंक ऋण चुका दिया है (जो 1983 में पंजीकृत कार्यालय भवन को गिरवी रखकर लिया गया था) और अब बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) एक ऋण मुक्त कंपनी है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ₹23.73 करोड़ के ऋण चुकाने के बाद, अर्जित ब्याज सहित योजना ऋण और गैर-योजना ऋण में ₹193.71 करोड़ की राशि शेष थी। भारत सरकार ने फाइल संख्या 53017/08/2017-पीएसयू (भाग) दिनांक 09/09/2021 में आदेश के अन्तर्गत पानीहाटी कारखाने में भौतिक रूप से उपलब्ध 19.78 एकड़ अधिशेष भूमि को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

(नाईपर), कोलकाता को हस्तांतरित किए जाने पर भारत सरकार के ऋण और उपार्जित ब्याज की राशि ₹ 193.71 करोड़ माफ कर दी है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का ऋण शून्य है।

6.3.7 उत्पाद प्रोफ़ाइल और रेंज

इनमें से प्रत्येक व्यवसायिक खंड के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों का उल्लेख निम्नानुसार है:

तालिका 6.2
उत्पादों का विवरण

डिवीजन-I	डिवीजन-II		डिवीजन-III		
औद्योगिक रसायन	फार्मा जेनरिक	फार्मा ब्रांडेड	कीटाणुनाशक	केश तेल	अन्य उत्पाद
फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर	गोलियाँ, कैप्सूल, इंजेक्शन, मलहम, तरल पदार्थ, बाहरी तरल पदार्थ, बेन्सानी+	एक्वा पाइचोटिस, कालमेघ, यूथेरिया, बेनफ्लैम जेल	फिनोल , व्हाइट टाइगर, क्लिन टॉयलेट, लाइसोल	कैंथारिडीन केश तेल	नेफ़थलीन बॉल्स तरल साबुन अगुरु एसेंस

लोकप्रिय ब्रांड: लैम्प ब्रांड फिनोल, व्हाइट टाइगर, ब्लीचिंग पाउडर, नेफ़थलीन बॉल्स, कैंथारिडीन केश तेल, बेन्सानी + आदि।

6.3.8 जनशक्ति (श्रेणीवार-जनशक्ति)

तालिका 6.3
श्रेणीवार जनशक्ति विवरण

विवरण	जनशक्ति (30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)
कार्यकारी अधिकारी	43
पर्यवेक्षक	17
कर्मी	49
कुल	**109**

6.3.9 वितरण नेटवर्क

कंपनी के पास 10 डिपो और 6 समाशोधन और अग्रेषण (सी. एंड एफ.) एजेंसियों के साथ पूरे भारत में एक सशक्त वितरण नेटवर्क है। बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने कोलकाता में 3 और मुंबई में 1 एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर भी खोला है।

6.3.10 कार्यनिष्पादन

वर्ष 2021-22 से बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के उत्पादन, कारोबार और वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 6.4

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की वर्ष-वार वित्तीय-स्थिति

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2024-25 (दिनांक 31.03.2025 तक अनंतिम/अनुमानित)	2024-25 वाईटीडी (30.11.2024 तक अनंतिम)	2023-24	2022-23	2021-22
उत्पादन	130.00	86.04	148.94	137.13	84.73
बिक्री / कारोबार	121.55	81.62	132.57	112.82	72.05
समग्र मार्जिन	27.44	16.88	27.38	16.28	15.23
ब्याज और वित्तीय व्यय (वित्तीय लागत)	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03
मूल्यह्रास	5.99	3.90	5.95	5.90	6.15
कुल लाभ (हानि)	16.72	11.04	18.08	10.19	7.47
निवल मूल्य	198.37	183.18	181.65	163.74	153.55

6.3.11 डीपीई रेटिंग:

तालिका 6.5

वर्षवार डीपीई रेटिंग का विवरण

वर्ष	एमओयू आकलन	निगम से संबंधित अभिशासन प्रणाली
2016-17	"बहुत अच्छा"	"उत्कृष्ट"
2017-18	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"

2018-19	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2019-20	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2020-21	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2021-22	"लागू नहीं"	"उत्कृष्ट"
2022-23	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"
2023-24	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"
2024-25	"लागू नहीं"	आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार "उत्कृष्ट"

6.3.12 विपणन: संस्थानों एवं खुदरा का हिस्सा

तालिका 6.6

विपणन : संस्थानों और खुदरा का हिस्सा

क्र.सं.	डिवीजन और उत्पाद	मार्केट प्रोफाइल/प्रमुख ग्राहक
1.	डिवीजन-I -फेरिक फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), दुर्गापुर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (आईआईएससीओ), बोकारो रिफ्रेक्टरी यूनिट, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (आईआईएससीओ), चासनाला भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) (बोरा और ब्लॉक II) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) (फरक्का, डिसरगढ़) पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) (मालदा, सिलीगुड़ी) अन्य निजी पार्टियां और नगर निगम
2.	डिवीजन-II -जेनेरिक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा विभाग (एएफएमएसडी) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) रेलवे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा और अवसंरचना विकास निगम (एपीएमएसआईडीसी) तेलंगाना राज्य चिकित्सा सेवा अवसंरचना विकास निगम (टीएसएमएसआईडीसी) झारखंड चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना विकास और खरीद निगम लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल) अन्य राज्य सरकारें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)

		और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)
	डिवीजन-II -ब्रांड एक्वाप्टाइकोटिस, इयू-थेरिया, कालमेघ	खुदरा व्यापार के माध्यम से ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाइयों के रूप में बिक्री किया जाता है
3.	डिवीजन-III -कॉस्मेटिक और घरेलू उत्पाद	मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय (70-75%) और थोक सरकारी संस्थान व्यवसाय (25-30%)

6.3.13 भावी परियोजनाएँ

(क) फिटकरी संयंत्र का उन्नयन - पानीहाटी कारखाना:

कंपनी फेरिक फिटकरी के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है जिसका उपयोग कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/सरकारी संगठनों द्वारा पानी के उपचार के लिए किया जाता है जिसका उपयोग अंततः संबंधित नगरों/शहरों में पीने के उद्देश्य से किया जाता है। विषय की संवेदनशीलता और इससे जुड़े सुरक्षा के चरम तत्व को देखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) विनिर्देश के अनुसार बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा अपनाए गए कड़े गुणवत्ता मानक के कारण बीसीपीएल की फेरिक फिटकरी को अधिकांश संगठनों द्वारा व्याप्क रूप से स्वीकार किया जाता है। अब, बीसीपीएल अपने फेरिक फिटकरी व्यवसाय के विकास/विस्तार के लिए अपने फेरिक फिटकरी संयंत्र को ग्रेड-II से ग्रेड-IV और ग्रेड-V में अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेडेशन के बाद फिटकरी प्लांट प्रतिदिन 40 मैट्रिक टन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ग्रेड-IV फेरिक फिटकरी का उत्पादन करने में सक्षम होगा जिसका अर्थ है 12000 मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता।

(ख) स्नेक वेनम एंटी सीरम (एएसवीएस) परियोजना:

बीसीपीएल एंटी स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) के निर्माण के लिए नए सुविधाकेन्द्र को स्थापित करने की प्रक्रिया में है क्योंकि एंटी स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) की उपलब्धता मांग से कम है। माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने परियोजना स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी है और यदि यह स्थापित हो जाती है तो बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) को अपनी क्षमता पर काम करने में सहयोग मिलेगा।

दिनांक 13.12.2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में, एक तकनीकी सलाहकार समूह का गठन किया गया है। विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है।

एंटी स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) के निर्माण की तकनीक में अग्रणी, ब्राजील के इंस्टीट्यूटो वाइटल के साथ बातचीत शुरू की गई है। यह संगठन बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

(बीसीपीएल) में अत्याधुनिक एंटी स्नेक वेनम सीरम (एएसवीएस) विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में सहयोग करने के लिए तैयार है।

6.3.14 रणनीतिक बिक्री का निर्णय और उसकी स्थिति:

मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर 2016 को सरकारी एजेंसियों को खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अधिशेष भूमि की बिक्री से अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद कंपनी की रणनीतिक बिक्री करने का निर्णय लिया है। लेकिन किसी भी बोलीदाता ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, बंगाल केमिकल्स श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध दिनांक 20.06.2017 को कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और 6.2.2018 को इसकी सुनवाई समाप्त हुई। 13.2.2018 को, उपरोक्त रिट याचिका के संबंध में कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसने बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) की रणनीतिक बिक्री के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को खारिज कर दिया। इसके बाद, प्रशासनिक मंत्रालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजनल बेंच के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

6.3.15 अन्य कार्यकलाप:

(क) स्वच्छता पखवाड़ा दिनांक 1 से 15 सितंबर, 2024 तक मनाया गया। बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान के दौरान कार्यालय परिसर / फैक्ट्री परिसर, रिकॉर्ड रूम के आस-पास के क्षेत्र की सफाई में भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सफाई कार्य किया गया

(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक कॉरपोरेट ऑफिस, पानीहाटी फैक्ट्री, मानिकतला फैक्ट्री, कानपुर फैक्ट्री और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के मुंबई कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया गया, जिसका विषय था **"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"।**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान शपथ लेते अधिकारी

दिनांक 12.9.2024 को कोलकाता में मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री रमेशा जी द्वारा सतर्कता जागरूकता और प्रणालीगत सुधार उपायों पर कार्यशाला आयोजित की गई।

दिनांक 28.10.2024 को कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में सतर्कता जागरूकता/परिपत्रों/ मैनुअल/दिशानिर्देशों के अद्यतनीकरण पर कार्यशाला/सत्र आयोजित किया गया

(ग) हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) में 14 से 28 सितम्बर 2024 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। निबंध, कविता पाठ, एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया तथा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार वितरण

6.4 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

6.4.1 परिचय

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो जीवन रक्षक दवाइयों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है। एचएएल की स्थापना वर्ष, 1954 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/युनाइटेड नेशन्स इन्टरनैशनल चिल्ड्रन्स एमरजेंसी फंड (यूनिसेफ) की सहायता से की गई थी। एचएएल एंटीबायोटिक्स थोक दवाइयों जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन आदि का विनिर्माण करने वाली पहली फार्मेसी सीपीएसई है। एचएएल को दो नए अणुओं अर्थात हैमाइसिन और ऑरियोफुंगिन का आविष्कार करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है।

वर्तमान में, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, औषध और कृषि बाजार की विस्तृत श्रृंखला की पूर्ति करने करने के लिए औषध फॉर्मूलेशन और कृषि-फॉर्मूलेशन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एचएएल फार्मा उत्पादों में विभिन्न खुराक जैसे ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद, लिक्विड सिरप आदि के रूप शामिल हैं।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) उत्पादक और कुशल कार्य संस्कृति की ओर वापस लौट रहा है और कंपनी के लिए बेहतर टर्नओवर और लाभप्रदता हासिल करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

एचएएल - सेफलोस्पोरीन संयंत्र के भवन का सामने का दृश्य

6.4.2 उपलब्ध सुविधाओं का सार

वर्तमान में, औषधीय और कृषि-रसायन सहित विनिर्माण फॉर्मुलेशन क्षमताएं इस प्रकार हैं:

तालिका 6.7

विनिर्माण फॉर्मुलेशन क्षमताओं का विवरण

क्र.सं.	**उत्पादन सुविधाएं**	**क्षमता (विद्यमान) लाख संख्या/प्रति वर्ष**
क	**औषध संयंत्र:**	
1	सूखे पाउडर इंजेक्टेबल्स:	
क.	सेफैलोस्पोरिन	600
ख.	पेनिसिलिन	600
2	**गोलियां:**	
क.	पेनिसिलिन	8600
ख.	गैर-पेनिसिलिन	8600
3	**पेनिसिलिन कैप्सूल:**	1400
4	**इन्ट्रा-वीनस फ्लूइड:**	120
5	**तरल सिरप और बाहरी तैयारी:**	24
ख.	***कृषि-रसायन संयंत्र:***	
1	स्ट्रेप्टोसाइक्लिन	100
ग	**एल्कोहोलिक हाथ कीटाणुनाशक (एएचडी)**	12
घ	**एचएएल क्लाउड क्लिनिक संख्या में**	12000

6.4.3 कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

एचएएल की विनिर्माण सुविधाएं पिंपरी में लगभग 86.5 एकड़ भूमि पर स्थित हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

क) फार्मूलेशन सुविधा: एचएएल औषध उत्पादों में विभिन्न खुराक स्वरूप शामिल हैं जैसे कि ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल उत्पाद, टैबलेट, कैप्सूल, इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) उत्पाद, मलहम, लिक्विड सिरप आदि।

ख) एचएएल ने पूरी क्षमता के साथ अपने आईवीएफ उत्पादों का विनिर्माण और विपणन फिर से शुरू कर दिया है। यह औषध सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र इकाई है जिसके पास इंट्रा-वेनस फ्लूइड (आईवीएफ) लिक्विड के विनिर्माण की सुविधा है।

ग) अनुसंधान और विकास: एचएएल का अनुसंधान और विकास विभाग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यकताओं के अनुसार मानक आकार की नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट के विनिर्माण में जुड़ा हुआ है। एचएएल देश में इस उत्पाद का एकमात्र एक्सक्लूजिव विनिर्माता है।

घ) कंपनी ने लगातार विकास की दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाया है और भारत में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की औषध कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी विनिर्माण इकाइयां संचालित थीं और इससे कंपनी के कुल कारोबार को 207 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सहयोग मिला है।

ङ) वर्ष 2023-24 के दौरान, एचएएल ने अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फेक्टेंट (ब्रांड नाम हैलरब) के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा का संचालन जारी रखा और सभी सरकारी संस्थानों, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), सरकारी चिकित्सा स्टोर डीपो (जीएमएसडी) आदि को आपूर्ति कर रहा है।

च) वर्ष 2023-24 के दौरान, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने "क्लीनिक ऑन क्लाउड" - एक स्वास्थ्य कियोस्क को अपग्रेड किया - जो पूर्व में 5 मिनट में 23 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता था, अब यह 51 स्वास्थ्य मापदंडों को मापता है। यह एक तरह का हेल्थ एटीएम है, जो विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों की पहचान करता है, जिससे कोई अपनी शारीरिक फिटनेस की पहचान कर सकता है और उसके अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह हेल्थ कियोस्क व्यक्ति के डेटा को अपने क्लाउड स्टोरेज पर संग्रहीत करता है और स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी अस्पतालों आदि के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।

छ) स्टोर में प्राप्ति, उत्पादन जारी करना, कच्चे माल की खपत के साथ-साथ उत्पाद के लिए पैकेजिंग सामग्री, टाइम-ऑफिस के साथ कार्मिक रिकॉर्ड सहित सभी प्रणालियों को उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सिस्टम का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

ज) कंपनी ने पिछले पांच वर्षों से लगातार कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है।

झ) एचएएल ने पुणे के पिंपरी में एचएएल कैंपस में जन औषधि केंद्र को फिर से शुरू किया।

ञ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जाना।

ट) एचएएल ने एक कृषि उत्पाद ट्राइकोडर्मा के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास किया है, जो फंगल संक्रमण के विरुद्ध पौधों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जैविक कवकनाशी है। एचएएल ने केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबी) के साथ उत्पाद के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और सीआईबी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा।

6.4.4 पिछले कुछ वर्षों के लिए उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 6.8

उत्पादन, बिक्री कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन का मूल्य	बिक्री कारोबार	परिचालन लाभ	कुल लाभ (हानि)
2021-22	89.72	152.16	26.37	-16.21
2022-23	120.85	173.57	1.64	-53.88
2023-24	155.73	206.20	4.18	-36.13
2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक)	123.35	171.32	7.11	-16.27

6.4.5 जनशक्ति:

इस समय हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की जनशक्ति 362 है, जिसमें 85 अधिकारी और 277 गैर-अधिकारी/कर्मचारी हैं।

6.4.6 विपणन के लिए रणनीति

विपणन के लिए हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की रणनीति निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है:

(क) नई दवाओं, फॉर्मूलेशन आदि को प्रस्तुत करके अपनी उत्पाद श्रृंखला और ग्राहक आधार का विस्तार करना।

(ख) सरकार द्वारा शुरू की गई बल्क औषधि/सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में भाग लेना, जिससे इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

(ग) अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके, उत्तम विनिर्माण कार्यकलापों को अपनाकर और विभिन्न प्रमाणन और प्रत्यायन प्राप्त करके अपनी ब्रांड छवि और दृश्यता का संवर्धन करना।

(घ) अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठबंधन और साझेदारी करके अपने वितरण नेटवर्क और बिक्री बल को मजबूत करना।

(ङ) अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर अभिनव और लागत प्रभावी दवाएं और फॉर्मूलेशन विकसित करना, तथा औषध क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करना।

(च) अपने विनिर्माण और अन्य विभागों में मशीनीकृत प्रक्रियाओं और स्वचालन को शुरू करके अपनी परिचालन लागत और देनदारियों को कम करना।

6.4.7 भविष्य की योजनाएं

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की भविष्य की योजनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(क) मेरोपेनम विनिर्माण संयंत्र की स्थापना

(ख) आयुर्वेदिक उत्पाद विनिर्माण संयंत्र की स्थापना

(ग) एंटी स्नेक वेनम सीरम का विकास

(घ) एंटी-टीबी और उसके एपीआई का निर्माण

(ङ) 4 नए कृषि सूक्ष्म पोषक उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन

(च) अपनी संभावित सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाना, जो औषध क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत सरकार की पहल और उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अनुरूप होंगी।

(छ) लगभग 84 एकड़ के बराबर अपनी भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना।

6.4.8 निदेशक मंडल

(क)	सुश्री नीरजा सर्राफ	:	प्रबंधन निदेशक
(ख)	डॉ. रिचा पांडे	:	सरकार नामित निदेशक
(ग)	डॉ. कौशल पंवार	:	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

6.4.9 वर्ष 2024-25 के दौरान हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में मनाए गए/प्राप्त किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यकलाप / दिवस / पुरस्कार

(क) 26 जनवरी को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि कंपनी में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले

कर्मचारियों का सम्मान और अपनी सेवा के दौरान कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले कर्मचारियों को अनुकरणीय पुरस्कार दिए गए।

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में गणतंत्र दिवस समारोह

(ख) महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 8.3.2024 को एचएएल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

(ग) दिनांक 31.06.2024 को एचएएल के कर्मचारियों के लिए योग गुरु का सत्र आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के कर्मचारियों के लिए योग सत्र आयोजित किया गया

(घ) पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी के परिसर में वृक्षारोपण करके दिनांक 5.06.2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए शपथ भी ली गई।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

(ङ) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की है। परियोजना की क्षमता 1.0 मेगावाट है और यह नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्रतिदिन औसतन

4000 यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से आयात इकाइयों में कमी आएगी।

एचएएल में सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन

(च) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन

एम्स, दिल्ली में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन

(छ) 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान मनाया गया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया और अपने आस-पास की सफाई की।

स्वच्छ भारत अभियान के दौरान की गई स्वच्छता गतिविधियाँ

(ज) दिनांक 30.10.2024 से 6.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कंपनी द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अधिकारियों द्वारा ली गई शपथ

(झ) 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया गया। इस दिन कर्मचारियों द्वारा भारत की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया।

संविधान दिवस पर भारत की प्रस्तावना पढ़ते अधिकारी

संविधान दिवस का आयोजन

(ञ) 14 सितम्बर 2024 को एचएएल में हिन्दी पखवाड़ा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। एचएएल में हिन्दी पखवाड़ा मनाने के लिए निबंध, स्लोगन, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

(ट) 31.10.2024 को एचएएल में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कम्पनी के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। इसमें हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सभी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

एचएएल में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

(ठ) कंपनी में प्रतिवर्ष 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कंपनी के परिसर में सुरक्षा बिल प्रदर्शित किए जाते हैं और विभिन्न सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी के लिए रखे जाते हैं।

6.5 कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

6.5.1 पृष्ठभूमि

(क) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) लाभ अर्जन करने वाली एक संयुक्त क्षेत्र (भारत सरकार का 59% शेयर और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के माध्यम से कर्नाटक सरकार का 41% शेयर) की कम्पनी है जिसे वर्ष 1981 में निगमित किया गया था।

(ख) कंपनी का मूल उद्देश्य सरकार के अस्पतालों और अन्य संस्थाओं तथा साथ ही प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाना था।

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी 13.49 करोड़ रुपए है।

6.5.2 सुविधाएं:

(क) बैंगलोर संयंत्र में, औषधीय उत्पादों का विनिर्माण किया जा रहा है और कंपनी के पास निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित विनिर्माण सुविधाएं हैं;

(i) ड्राई पाउडर इन्जेक्शन्स – सेफालोस्पोरिन
(ii) ड्राई पाउडर इन्जेक्शन्स – पेनिसिलन
(iii) ड्राई पाउडर इन्जेक्शन्स – सामान्य
(iv) लिक्विड इन्जेक्शन्स
(v) नॉन-पेरेन्ट्रल
(vi) ओरल सोलिड डोसेजिज

(ख) कोटूर, धारवाड़, कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है।

(i) लिक्विड ओरल्स
(ii) पाउडर
(iii) तेल

(ग) भारत सरकार ने बल्क औषधि परियोजना 7-एसीए के लिए 'पीएलआई योजना' के तहत कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) को मंजूरी दे दी है।

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) विनिर्माण सुविधाओं के दृश्य:

पीन्या विनिर्माण इकाई

पीन्या विनिर्माण इकाई स्माल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स (एसवीपी)

पीन्या विनिर्माण इकाई पेनिसिलिन ब्लॉक

पीन्या विनिर्माण इकाई न्यू सेफलोस्पोरिन ब्लॉक

धारवाड़ आयुष संयंत्र

उज्जैन में प्रस्तावित बल्क औषधि विनिर्माण इकाई

6.5.3 कम्पनी की वर्तमान स्थिति

निदेशक बोर्ड:

(क) श्री हर्ष गुप्ता, आईएएस अध्यक्ष - कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)
(ख) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव: नामित निदेशक
(ग) डॉ. मधुचंदा कर: स्वतंत्र महिला निदेशक

6.5.4 उत्पादन और बिक्री कार्यनिष्पादन:

तालिका 6.9
उत्पादन और बिक्री का वर्ष-वार विवरण

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2021-2022	479.76	473.87
2022-2023	528.65	527.57
2023-2024	464.70	461.33

6.5.5 उपलब्धियां / प्रमुख पुरस्कार

(क) डब्ल्यूएचओ जीएमपी मान्यता प्राप्त कम्पनी
(ख) अखिल भारतीय उपस्थिति
(ग) आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)

(घ) आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)
(ङ) आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच एंड एसएमएस)
(च) आईएसओ 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएन एमएस)
(छ) औषधि निरीक्षण सहयोग योजना (पीआईसी/एस) प्रमाणन

6.5.6 प्रसिद्ध ब्रांड

औषध उत्पाद:

तालिका 6.10

औषध उत्पाद

क्र.सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम)	एकाधिकार
1	ग्रेनिल	एंटी माइग्रेन	नहीं	नहीं
2	कैप्टोसिन (ऑक्सीटोसिन)	हार्मोन	हाँ	नहीं
3	साइफोलैक	प्रोबायोटिक्स	नहीं	नहीं
4	रेमसीसी	सर्दी एवं खांसी	नहीं	नहीं
5	वर्क्लेव	एंटीबायोटिक	हाँ	नहीं
6	पीओपी ई	प्लेटलेट बूस्टर	नहीं	नहीं
7	ज़िन्फे	हेमेटिनिक	नहीं	नहीं
8	न्यूमोल	दर्द की दवाई	नहीं	नहीं
9	कैप्लीकोन	फंगलरोधी	नहीं	नहीं

आयुर्वेदिक उत्पाद:

तालिका 6.11

आयुर्वेदिक उत्पाद

क्र.सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार
1	पीओपी- ई	प्लेटलेट बूस्टर	नहीं	नहीं
2	एपिफेस्ट	क्षुधावर्धक	नहीं	नहीं
3	हस्की पाउडर	बाउल रेगुलेटर	नहीं	नहीं
4	एक्सोल	हेपाटो-पित्त संबंधी उत्तेजक	नहीं	नहीं
5	के-थ्रिन	थ्रोम्बोसाइटोपेनिया	नहीं	नहीं
6	न्यूमोल एच	दर्द प्रबंधन	नहीं	नहीं
7	अंताफ	एंटासिड- एंटीफ्लैटुलेंट	नहीं	नहीं
8	अप्पिकाप	ऐपेटाइजर	नहीं	नहीं

पशु चिकित्सा उत्पाद:

तालिका 6.12:
पशु चिकित्सा उत्पाद

क्र.सं.	उत्पाद	थेरेपी खंड	एनएलईएम	एकाधिकार
1	पेन्सबायोटिक	एंटीबायोटिक्स	नहीं	नहीं
2	जेन्टाबायोटिक	एंटीबायोटिक्स	नहीं	नहीं
3	सेट्रिएक्स	एंटीबायोटिक्स	नहीं	नहीं
4	के-फ्लोक्स	एंटीबायोटिक्स	नहीं	नहीं
5	कैल्विमिन ग्रुप	फ़ीड सप्लीमेंट	नहीं	नहीं
6	के-लाइव	हेपेटो-प्रोटेक्टिव	नहीं	नहीं
7	कैल-के	एक्टो-पैरासाइटिसाइड	नहीं	नहीं

6.5.7 वितरण नेटवर्क

औषध:

यह कम्पनी निजी चिकित्सा व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास के साथ खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार कर रही है। इस दिशा में कम्पनी समय-समय पर विभिन्न उपचारात्मक क्षेत्रों में नए उत्पाद शुरू करती रही है। इसका घरेलू परिचालन बेहद समर्पित पेशेवर क्षेत्रबल वाली जनशक्ति के साथ देश भर में फैला है जो एक सुनियोजित वितरण प्रणाली द्वारा समर्थित है जिससे कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) की उपस्थिति बड़े एवं साथ ही छोटे बाजारों में सुनिश्चित हो जाती है।

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) की शाखाएं सभी राज्य मुख्यालयों में स्थित हैं। इस कंपनी का बड़े शहरों में लगभग 18 शाखाओं के साथ एक उत्कृष्ट वितरण नेटवर्क है जो चैनल विपणन के माध्यम से संबंधित राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अनुमोदित स्टॉकिस्टों के माध्यम से इस व्यापार क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं, नर्सिंग होम एवं दवाई देने वाले चिकित्सकों और दर संविदा (आरसी) और गैर-दर संविदा (एनआरसी) क्षेत्र की संस्थाओं को सीधे आपूर्ति की जाती है।

6.5.8 विपणन

औषध:

यह कंपनी मुख्य रूप से नुस्खा लिखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी फार्मा कम्पनियों का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही यह कंपनी संस्थागत कारोबार संबंधी सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) पर भी निर्भर है जहां हमारा ध्यान सरकारी अस्पतालों, राज्य सरकार के अस्पतालों, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अस्पताल, रक्षा और बीमा पर है। इसमें इस व्यापार क्षेत्र में विस्तार करने और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अस्पतालों और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मात्रा में भी वृद्धि करने की क्षमता है।

पशु चिकित्सा:

पशु चिकित्सा उत्पादों और पूरक आहार के लिए पशु चिकित्सकों, किसानों, सभी राज्यों के पशुपालन विभाग और दुग्ध संघों के संबंध में पशु चिकित्सा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

6.5.9 नये उत्पाद (फार्मा और पशु चिकित्सा)

तालिका 6.13

नए उत्पादों का विवरण

क्र.सं.	**उत्पाद**	**उपचारात्मक श्रेणी**
औषध		
(क)	न्यूमोल 650 टैब	एंटी-पायरेटिक
(ख)	न्यूमोल 250 एमजी सप्स.	एंटी-पायरेटिक
(ग)	वरक्लेव डुओ	एंटीबायोटिक
(घ)	कैपिट्ज 100 एमजी / 200 एमजी	एंटी-फंगल
पशु चिकित्सा		
क्र.सं.	**उत्पाद**	**उपचारात्मक श्रेणी**
(क)	कैप-3	मल्टी-विटामिन
(ख)	कैपटिक	एक्टोपैरासिटीसाइड

कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का निर्माण और विपणन कर रही है।

6.5.10 निर्यात

केएपीएल उत्पाद इस समय मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, नामीबिया, युगांडा, म्यांमार, यमन, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, भूटान, सूडान, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे लगभग 17 देशों को निर्यात किए जाते हैं। कंपनी ने कंबोडिया, ब्राजील, पेरू, यूरोपीय संघ के देशों जैसे अतिरिक्त देशों में दवाओं का निर्यात करने की योजना बनाई है।

दिनांक 28.8.24 को औषध विभाग के अधिकारियों द्वारा पीन्या संयंत्र का दौरा

6.6 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) संयुक्त क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है, जिसकी कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी 4.98 करोड़ रुपये है, जहां भारत सरकार (जीओआई) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ, राजस्थान सरकार) के पास क्रमशः 51% और 49% शेयर हैं। इसे वर्ष 1978 में निगमित किया गया था और व्यावसायिक उत्पादन वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। कंपनी की विनिर्माण सुविधाएं और पंजीकृत कार्यालय विश्वकर्मा औद्योगिक (वीकेआई) क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान में है। अक्टूबर, 2016 से कंपनी में उत्पादन गतिविधियां बंद हैं।

6.6.1 निदेशक मंडल:

(क) सुश्री निरजा सराफ: प्रबंध निदेशक
(ख) श्री अभिषेक कुमार सिंह: सरकार द्वारा नामित निदेशक
(ग) सुश्री सुनैना प्रकाश अग्रवाल: स्वतंत्र महिला निदेशक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.12.2016 को यह निर्णय लिया कि राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) देनदारियों को पूरा करने हेतु इसकी अधिशेष भूमि की बिक्री करने के पश्चात् इसे बंद कर दिया जाएगा।

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) राजस्थान सरकार को हस्तांतरित होने की प्रक्रिया में है। दिनांक 24.7.2024 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा एक बैठक बुलाई गई और इसके वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि चूंकि आरडीपीएल को पुनर्जीवित करने का निर्णय मंत्रिमंडल में लिया गया था, इसलिए इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णय के पश्चात ही भारत सरकार को अंशों के हस्तान्तरण, देनदारियों के भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक को नामित किए जाने की कार्यवाही की जाए।

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
7.2 मूल्य निर्धारण
7.3 चिकित्सा उपकरणों का व्यापार मार्जिन युक्तिकरण
7.4 पुनरीक्षण आदेश
7.5 एनएलईएम, 2022 के तहत कैंसर रोधी औषधियों के मूल्य में संशोधन
7.6 उपभोक्ताओं को बचत
7.7 वर्ष 2020-21 से चिकित्सीय क्षेत्रों में वृद्धि
7.8 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधियों की उपलब्धता की निगरानी
7.9 दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी करना
7.10 मूल्य निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यकलाप
7.11 अधिप्रभारित धनराशि की वसूली
7.12 ई-पहल
7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी योजना का कार्यान्वयन
7.14 राजभाषा कार्यान्वयन
7.15 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2024
7.16 सतर्कता जागरूकता सप्ताह
7.17 राष्ट्रीय एकता दिवस
7.18 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0
7.19 एनपीपीए का द्विमासिक ई-समाचार पत्र : औषध संदेश
7.20 एनपीपीए द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

अध्याय 7

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

7.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग (डीओपी) के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159 दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित संकल्प के द्वारा किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, औषधि (मूल्य निर्धारण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।

सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अधिक्रमण में दिनांक 15.05.2013 को डीपीसीओ, 2013 को अधिसूचित किया।

7.1.1 औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः

क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) को अनिवार्यता अवधारित करने के लिए बुनियादी आधार के रूप में अपनाया गया है और इसे डीसीपीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है जो मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अनुसूचित दवाओं की सूची है।

ख. अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य 'बाजार आधारित आंकड़ों' के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

ग. मूल्य नियंत्रण, औषध (सक्रिय औषधीय घटक), सेवन मार्ग, प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट खुराक स्वरूप/क्षमता के संदर्भ में विशिष्ट फॉर्मूलेशनों पर लागू किया जाता है।

घ. राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2022 (एनएलईएम 2022) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, एनएलईएम 2022 को डीपीसीओ 2013 की पहली अनुसूची के रूप में दिनांक 11.11.2022 को औषध विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।

7.1.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के कार्य इस प्रकार हैं:

क. इसे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुसार मौजूदा डीपीसीओ के प्रावधानों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करना।

ख. औषधियों/फॉर्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना और/अथवा प्रायोजित करना।

ग. औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करना, कमियों, यदि कोई हों, का पता लगाना, और सुधारात्मक उपाय करना।

घ. बल्क औषधियों और फॉर्मूलेशनों के उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के बाजार शेयर, कंपनियों की लाभप्रदता इत्यादि से संबंधित आंकड़े एकत्र करना/उनका रख-रखाव करना।

ङ. प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों का निपटान करना।

च. औषध नीति में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।

छ. औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

7.2 मूल्य निर्धारण

7.2.1 मूल्य निर्धारण:

क. अधिकतम मूल्य

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। डीपीसीओ, 2013 के तहत अपनाए गए बाजार आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य, पहले, उस विशिष्ट फार्मूलेशन के एक प्रतिशत या अधिक की बाजार हिस्सेदारी वाले सभी ब्रांडेड-जेनरिक एवं जेनरिक रूपों के खुदरा विक्रेता को मूल्य (पीटीआर) का सरल औसत निकाल कर और उसमें 16 प्रतिशत अनुमानित खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उस विशिष्ट औषध फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), यथालागू करों सहित अधिसूचित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) 2022 को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, औषध विभाग ने

अधिसूचना सां.आ. 5249 (अ) दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से इसे डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें 34 दवाओं को जोड़ा गया है, जबकि पिछली सूची (एनएलईएम, 2015) से 26 दवाओं को हटा दिया गया है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के तहत दिनांक 26.11.2024 तक 926 फॉर्मूलेशन (एनएलईएम 2022 के तहत 742 फॉर्मूलेशन और पूर्व के एनएलईएम के तहत 184 फॉर्मूलेशन) का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है। विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में दिनांक 26.11.2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी अधिकतम मूल्यों का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1

दवाओं की श्रेणियां जिनके अंतर्गत एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं

	निर्धारित कुल अधिकतम मूल्य		एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम मूल्य	
चिकित्सीय श्रेणी	**औषधि**	**फॉर्मूलेशन**	**औषधि**	**फॉर्मूलेशन**
संक्रमण-रोधी औषधियां	71	194	62	169
कैंसर-रोधी औषधियां	62	131	59	120
न्यूरोलॉजिकल विकार औषधियां	18	63	18	59
मनोरोग विकार औषधियां	14	42	14	41
हृदय संबंधी औषधियां	26	65	25	59
एचआईवी प्रबंधन दवाएं	21	29	20	23
एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी औषधियां (एनएसएआईडी)	12	35	11	24
मधुमेह-रोधी औषधियां	8	11	8	11
हार्मोन, अन्य अंतःस्रावी दवाएं और गर्भनिरोधक	18	37	16	33
अन्य	158	319	106	204
अनोखी औषधियां/फॉर्मूलेशन	**388***	**926**	**321***	**742**

** कुछ दवाइयों को विभिन्न भागों में सूचीबद्ध किया जाता है। दवा को दोनों भागों में गिना जाता है, लेकिन फॉर्मूलेशन को केवल एक भाग में एक बार गिना जाता है।*

विभिन्न राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से मूल्य अधिसूचित किए जाते हैं जो एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकतम मूल्य उस तिथि से

कार्यशील एवं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होते हैं, जिस तिथि से मूल्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

ख. खुदरा मूल्य

एनपीपीए विनिर्माण/विपणन कंपनियों से प्राप्त फॉर्म-I आवेदनों के आधार पर दवा के खुदरा मूल्य को निर्धारित करता है। अधिसूचित खुदरा मूल्य केवल आवेदक विनिर्माण/ विपणन कंपनियों के लिए लागू होते हैं। दवा की खुदरा मूल्य भी उसी पद्धति पर निर्धारित की जाती हैं जिस पद्धति से अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दिनांक 26.11.2024 तक, लगभग 3046 'नई औषधियों' [डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(प) के अनुसार 'नई औषधियों' के रूप में अर्हता प्राप्त] के खुदरा मूल्य को अधिसूचित किया। विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है।

तालिका 7.2

डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य

चिकित्सीय समूह	नई औषधियों का खुदरा मूल्य
गैर-संचारी रोग	**1,807**
मधुमेह-रोधी औषधियां	1,096
हृदय संबंधी औषधियां	533
कैंसर रोधी औषधियां	178
अन्य	**1,239**
कुल	**3,046**

साथ ही, जनहित में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 22 मधुमेह और 84 हृदयवाहिका संबंधी दवाओं सहित 106 गैर-अनुसूचित दवाओं के फॉर्मूलेशनों के एमआरपी की जुलाई, 2014 में अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। फरवरी, 2019 में प्रायोगिक आधार पर चयनित 42 कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर 30 प्रतिशत तक की सीमा लगाई गई थी।

ग. चिकित्सा उपकरणों का मूल्य निर्धारण:

कोरोनरी स्टेंट:

कोरोनरी स्टेंट को दिसंबर 2016 में डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया था। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत दिनांक 13.02.2017 की अधिसूचना

सां.आ. 412(अ) के अंतर्गत कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य को अधिसूचित किया था। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अधिकतम मूल्यों में संशोधन किया गया। एनपीपीए ने दिनांक 26.03.2024 की अधिसूचना सां.आ. 1551(अ) के माध्यम से 2022 की इसी अवधि की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान डब्ल्यूपीआई @0.00551% पर विचार करते हुए अधिकतम मूल्यों को संशोधित किया है।

कंडोम:

सरकार ने एनएलईएम, 2011 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना संख्या 1791(अ) दिनांक 10.07.2014 के माध्यम से कंडोम के संबंध में अधिकतम मूल्य नियत किया था। कंडोम का वर्तमान अधिकतम मूल्य एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सां.आ. 1549 (अ) दिनांक 26.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

इन्ट्रा यूटरीन उपकरण:

सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 1334(अ) दिनांक 27.04.2017 और 1668(अ) दिनांक 24.05.2017 द्वारा इन्ट्रा यूटरीन उपकरण (आईयूडी) की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम मूल्य नियत किए थे। आईयूडी का वर्तमान अधिकतम मूल्य एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सां.आ.1547(अ) दिनांक 26.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण:

एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत अधिसूचना सां.आ. 2668(अ) के अंतर्गत दिनांक 16.08.2017 को पहली बार आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण, एक गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरण का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया। बाद में अधिकतम मूल्यों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया। हाल ही में, एनपीपीए ने अधिसूचना सां.आ. 3869 (अ) दिनांक 10.09.2024 के माध्यम से आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्यों की प्रयोज्यता को दिनांक 15.09.2025 तक बढ़ा दिया है।

7.3 चिकित्सा उपकरणों का व्यापार मार्जिन युक्तिकरण

नैदानिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के मूल्यों को विनियमित करने के उद्देश्य से, सामान्य रूप से और विशेष रूप से कोविड-19 प्रबंधन के लिए, एनपीपीए ने नीति आयोग की वहनीय दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों पर समिति (सीएएमएचपी) की सिफारिश पर दिनांक 03.06.2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से वितरक को मूल्य (पीटीडी) स्तर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए व्यापार मार्जिन को 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। एनपीपीए ने

अधिसूचना सां.आ. 1519 (अ) दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के लिए व्यापार मार्जिन की कैपिंग को अंतिम बार दिनांक 30.06.2023 तक बढ़ा दिया था।

इसी प्रकार, अधिसूचना सां.आ. 2808(अ) दिनांक 13.07.2021 द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेब्युलाइज़र और डिजिटल थर्मामीटर पर व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा भी 70 प्रतिशत निर्धारित की गई है। एनपीपीए ने अधिसूचना सां.आ. 1518(अ) दिनांक 29.03.2023 के द्वारा इन पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार मार्जिन की सीमा को अंतिम बार दिनांक 30.06.2023 तक बढ़ा दिया था। उपरोक्त चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार मार्जिन की कैपिंग को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि स्थिति पूर्व-महामारी स्तर पर वापस चली गई है। तथापि, इनके मूल्यों की निगरानी डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

7.4 पुनरीक्षण आदेश

एनपीपीए के आदेशों से परेशान कोई भी कंपनी डीपीसीओ, 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत औषध विभाग को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकती है। सुनवाई के पश्चात विभाग अपेक्षित पुनरीक्षण निदेश देता है और एनपीपीए पात्रता के आधार पर पुनरीक्षण निदेशों को लागू करता है। वर्ष 2024-25 (26.11.2024 तक) के दौरान, विभाग ने 38 पुनरीक्षण आदेश जारी किए हैं और 24 पुनरीक्षण आदेशों में, एनपीपीए द्वारा मूल्य निर्धारण को बरकरार रखा गया था।

7.5 राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची, 2022 के अंतर्गत कैंसर रोधी दवाओं के मूल्य में संशोधन

दिनांक 26.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 131 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशनों (प्रशामक देखभाल सहित) के अधिकतम मूल्य प्रभावी हैं। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत 120 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन (प्रशामक देखभाल सहित) का अधिकतम मूल्य नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएलईएम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित 11 फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य भी प्रभावी है। एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य नियत करने के कारण लगभग 294.34 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई है।

7.6 उपभोक्ताओं को बचत

एनएलईएम 2022 (संशोधित अनुसूची-I) में सूचीबद्ध अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से उपभोक्ताओं को 3740 करोड़ रुपये की बचत (दिनांक 26.11.2024 की स्थिति के अनुसार) हुई है। हालांकि, गणना की गई कुल बचत अतिरिक्त बचत की प्रकृति की है

क्योंकि कई अनुसूचित दवाओं का मूल्य ऐतिहासिक रूप से मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। उपरोक्त अनुमानित बचत में केवल एनएलईएम 2011, एनएलईएम 2015, एनएलईएम 2022 के अंतर्गत उच्चतम मूल्य निर्धारण और कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण, एंटी-डायबिटिक/हृदय रोग के मूल्य निर्धारण, स्टेंट के अधिकतम मूल्य निर्धारण और घुटने के प्रत्यारोपण के मूल्य निर्धारण जैसे अन्य विशिष्ट उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुसूचित दवाओं के एमआरपी में वार्षिक वृद्धि पर 10% की सीमा के कारण भी उपभोक्ताओं को लाभ होता है। इसलिए, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत मूल्य विनियमन के कारण कुल बचत उपरोक्त अनुमान से कहीं अधिक होने की संभावना है।

7.7 वर्ष 2020-21 से चिकित्सीय क्षेत्रों में वृद्धि

भारतीय औषध उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक औषधियां, काउंटर के ऊपर (ओटीसी) दवाएं, बल्क औषधि, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2020-21 से 2023-24 और वर्ष 2024-25 (अक्टूबर तक) में, हृदयवाहिका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, संक्रमण-रोधी और विटामिन/खनिज/पोषक तत्व चिकित्सीय खंडों की औषधियों ने क्रमशः 8.38 प्रतिशत, 10.18 प्रतिशत, 7.29 प्रतिशत और 8.41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ उच्च बिक्री दर्ज की है (तालिका 7.3)।

तालिका 7.3

विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न चिकित्सीय खंडों में वृद्धि

श्रेणी	**बिक्री वर्ष 2020-21**	**बिक्री वर्ष 2023-24**	**सीएजीआर % वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक**	**बिक्री वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक)**
मधुमेह-रोधी	15,131.88	19,060.51	5.94%	11,857.05
मलेरिया-रोधी	534.39	587.87	2.41%	384.24
एंटी-इन्फेक्टिव्स	**18,659.23**	**24,722.58**	**7.29%**	**15,461.06**
एंटी-नियोप्लास्टिक्स	2,722.52	4,581.44	13.90%	2,847.59
रक्त संबंधी	5,090.69	6,336.92	5.63%	4,224.67
हृदय संबंधी	**19,834.58**	**27,366.34**	**8.38%**	**17,532.63**
त्वचा संबंधी	9,796.14	12,944.38	7.22%	8,367.92
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल	**16,685.63**	**24,587.02**	**10.18%**	**16,238.81**
स्त्री रोग संबंधी	4,522.62	6,856.85	10.96%	4,200.45
हार्मोन	2,481.62	3,326.53	7.60%	2,075.82
न्यूरो/ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र	9,556.75	13,807.90	9.64%	8,720.88

(सीएनएस)				
नेत्र/ऑटोलॉजिकल्स	2,386.70	4,064.49	14.24%	2,502.46
अन्य	1,345.80	2,801.67	20.12%	1,971.07
दर्द/दर्दनाशक	9,617.93	14,512.98	10.83%	9,233.97
श्वसन	9,936.94	16,326.59	13.22%	8,759.11
सेक्स स्टिम्यूलेन्ट/रिजुविनेटर	713.50	1,064.31	10.51%	669.11
स्टोमेटोलोजिकल्स	896.85	1,384.66	11.47%	877.71
यूरोलॉजी	2,360.72	3,193.77	7.85%	2,161.23
टीके	1,923.00	1,887.96	-0.46%	1,143.97
विटामिन/खनिज/पोषक तत्व	**13,559.05**	**18,730.97**	**8.41%**	**11,979.31**
कुल	**1,47,756.53**	**2,08,145.76**	**8.94%**	**1,31,209.05**

स्रोत: फार्माट्रैक मार्केट डाटाबेस (अक्तूबर, 2024)

#टीकों की आपूर्ति ज्यादातर संस्थानों को की जाती है और इसलिए 0.46% का नकारात्मक सीएजीआर दिखाने वाले टीके सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि फार्माट्रैक बाजार डेटाबेस संस्थागत बिक्री को दर्ज नहीं करता है।

उपरोक्त तालिका में वित्त वर्ष 2023-24 के बिक्री आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि विगत कुछ वर्षों में औषध बाजार में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, अधिकतम बिक्री हृदयवाहिका संबंधी श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई है, इसके उपरांत संक्रमण-रोधी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल औषधियों की बिक्री हुई है।

विभिन्न चिकित्सीय खंडों के अंतर्गत वर्तमान बाज़ार संरचना नीचे दर्शायी गयी है:

चार्ट 7.1

विभिन्न चिकित्सीय श्रेणी के अंतर्गत बिक्री

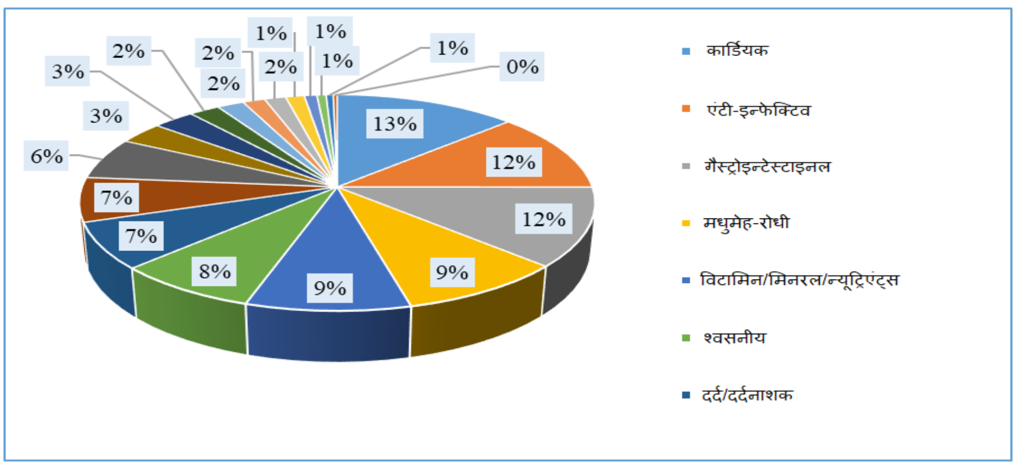

स्रोत: फार्माट्रैक मार्केट डाटाबेस (अक्तूबर, 2024)

वित्त वर्ष 2023-24 के बिक्री आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया कि सभी श्रेणियों में बड़ी, मध्यम और छोटी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 76 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थी (तालिका 7.4)। संक्रमण-रोधी, मलेरिया-रोधी, मधुमेह-रोधी और हार्मोन्स, में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी अधिक (85 प्रतिशत से अधिक) रही जबकि एंटी-नियोप्लास्टिक्स, डर्मा, स्टोमेटोलॉजिकल में मध्यम कंपनियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक थी।

तालिका 7.4

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दवा-समूह और कंपनी-वार बाजार हिस्सेदारी

श्रेणी	बिक्री वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपए में)	कंपनियों के % में बाज़ार हिस्सेदारी		
		बड़ी	मध्यम	छोटी
मधुमेह-रोधी	19,060.51	85%	13%	2%
मलेरिया-रोधी	587.87	86%	5%	9%
एंटी-इन्फेक्टिव्स	24,722.58	88%	10%	3%
एंटी-नियोप्लास्टिक्स	4,581.44	65%	34%	2%
रक्त संबंधी	6,336.92	69%	25%	6%
हृदय संबंधी	27,366.34	85%	13%	2%
त्वचा संबंधी	12,944.38	63%	31%	7%
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल	24,587.02	80%	16%	4%
स्त्री रोग संबंधी	6,856.85	68%	27%	5%
हार्मोन	3,326.53	86%	11%	3%
न्यूरो/सीएनएस	13,807.90	82%	12%	6%
नेत्र/ऑटोलॉजिकल्स	4,064.49	60%	34%	7%
अन्य	2,801.67	23%	32%	45%
दर्द/दर्दनाशक	14,512.98	68%	27%	5%
श्वसन	16,326.59	85%	12%	3%
सेक्स रिस्टम्यूलेन्ट रिजुविनेटर	1,064.31	83%	14%	3%
स्टोमेटोलोजिकल्स	1,384.66	56%	37%	7%
यूरोलॉजी	3,193.77	80%	17%	2%
टीके	1,887.96	53%	37%	10%
विटामिन/खनिज/पोषक तत्व	18,730.97	61%	30%	9%
कुल	**2,08,145.76**			

स्रोत: फार्माट्रैक मार्केट डाटाबेस (अक्तूबर, 2024)

नोट: कंपनियों को 1,000 करोड़ रूपये और उससे अधिक के घरेलू कारोबार के आधार पर क्रमशः 100 करोड़ रूपये से 1,000 करोड़ रूपये और 100 करोड़ रूपये तक के हिसाब से बड़े, मध्यम और छोटे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

7.8 साप्ताहिक सर्वेक्षण के माध्यम से औषधि की उपलब्धता की निगरानी

देश भर में विभिन्न स्थानों पर केमिस्ट की दुकानों पर मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए नियमित उपलब्धता सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।

7.9 दवाओं की उपलब्धता की निगरानी

सरकार डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी कर रही है और राज्य औषधि नियंत्रकों/व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों/शिकायतों, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों और बाजार आधारित डेटाबेस से रिपोर्ट और शिकायत निवारण वेबसाइटों, 'फार्मा जन समाधान' और 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)' के माध्यम से रिपोर्ट की गई शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिप्रभारण करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है।

चार्ट 7.2

शिकायतें प्राप्त करने के माध्यम

फार्मेट्रैक डाटा और प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर, फार्मूलेशन के मूल्य में स्वीकार्य सीमा से अधिक वृद्धि की निगरानी भी की जाती है।

जब भी कंपनियां एनपीपीए द्वारा अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित फॉर्मूलेशन की बिक्री करती पायी जाती हैं, तो डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और अधिप्रभारित राशि, ब्याज सहित कंपनी से वसूली जाती है। जब कभी यह पाया जाता है कि कंपनियों ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुमेय से अधिक मूल्य में वृद्धि की है, तो भी कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार, वे कम्पनियां, जो गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों की बिक्री उस औषधि के विगत बारह महीनों में व्याप्त एमआरपी के 10 प्रतिशत से अधिक के मूल्य पर करती हैं, और अनुसूचित फार्मूलेशनों के मामले में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से अधिक की वृद्धि करती हैं, डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अधिप्रभारण के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

एनपीपीए औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, कमियां, यदि कोई हैं, की पहचान करता है, और उपभोक्ताओं को औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। जब और ज्यों किसी विशिष्ट औषध (औषधियों) की देश के किसी भी भाग में कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को प्रभावित क्षेत्रों में उन औषधियों को तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है।

7.10 मूल्य निगरानी और प्रवर्तन कार्यकलाप

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को अधिसूचित मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध हों, एनपीपीए प्रवर्तन कार्यकलापों के लिए राज्य औषध नियंत्रकों के साथ मिलकर काम करता है। खुले बाजार से नियमित रूप से दवाओं के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीजों को दवाएं किस मूल्य पर बिक्री की जाती हैं। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2024-25 (22.11.2024 तक) प्रवर्तन कार्यकलापों का विवरण तालिका 7.5 में दिया गया है।

तालिका-7.5

एकत्र किए गए नमूनों की संख्या तथा उल्लंघन

वर्ष	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	प्रथम दृष्टया संसूचित उल्लंघन
2010-2011	553	225
2011-2012	559	156
2012-2013	626	165
2013-2014	993	389
2014-2015	3,898#	1,020
2015-2016	2534#	613

वर्ष	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	प्रथम दृष्टया संसूचित उल्लंघन
2016-2017	1,817[#]	930
2017-2018	2,418[#]	1,032
2018-2019	1,391[#]	324
2019-2020	938[#]	350
2020-2021	1,073[#]	537[#]
2021-2022	907[#]	391[#]
2022-2023	1,081[#]	455[#]
2023-2024	2,284[#]	888[#]
2024-2015 (22.11.2024 तक)	1,418[#]	613[#]

[#]राज्य औषध नियंत्रकों और पीएमआरयू से संदर्भित अधिप्रभारन के मामले 'संग्रहीत नमूने' के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

7.11 अधिप्रभारित राशि की वसूली

अधिप्रभारित की गई राशि को दवा कंपनी से ब्याज और जुर्माने के साथ डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाता है। ऐसी कंपनियां जो इन मांग नोटिसों का पालन नहीं करती हैं उनके मामलों को अधिप्रभारित राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाता है और वे आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन की भागी भी हो सकती हैं।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए के पास अधिप्रभारन के करीब 2499 मामले हैं तथा डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1987, डीपीसीओ 1995 एवं डीपीसीओ 2013 के अंतर्गत औषध कम्पनियों से 1398.30 करोड़ रूपये (लगभग) की राशि वसूल की गई है। अधिप्रभारित धनराशि और उस पर लगे ब्याज की वसूली करने हेतु कार्रवाई करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एनपीपीए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठनीय डीपीसीओ 1979, डीपीसीओ 1987, डीपीसीओ 1995 एवं डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

7.12 ई-पहल

एनपीपीए ने आम जनता की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई-पहल भी की हैं:

क. फार्मा सही दाम और फार्मा जन समाधान ऐप

फार्मा जन समाधान (पीजेएस) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ई-गवर्नेंस टूल के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता, दवाओं के अधिप्रभारण, पूर्व मूल्य अनुमोदन (डब्ल्यूपीए) के बिना 'नई दवाओं' की बिक्री, और दवाओं की आपूर्ति या बिक्री से इनकार के संबंध में एक त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना है। शिकायतें एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध पीजेएस लिंक के अंतर्गत या फार्मा सही दाम ऐप पर और टोल फ्री नंबर 1800111255 और ईमेल- monitoring-nppa@gov.in पर भी दर्ज की जा सकती हैं।

पीजेएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता संगठन या स्टॉकिस्ट/ वितरक/ विक्रेता/रिटेलर या राज्य औषधि नियंत्रक एनपीपीए को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीजेएस के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर पूरी जानकारी के साथ एनपीपीए द्वारा 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाती है।

फार्मा सही दाम ऐप 2.0 में दवाओं के मूल्यों (ब्रांड के अनुसार या फॉर्मूलेशन के अनुसार) के साथ-साथ अनुसूचित दवाओं के नवीनतम अधिकतम मूल्यों आदि की खोज करने जैसी विशेषताएं हैं। उपयोगकर्ता एक ही फार्मूलेशन के विभिन्न ब्रांडों के मूल्यों की तुलना कर सकते हैं; और मेसेज आदि पर मूल्य विवरण साझा कर सकते हैं। ऐप या सर्च मेडिसिन सुविधा उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है कि क्या दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बिक्री की जा रही हैं और साथ ही यह औषध कंपनी/ केमिस्ट द्वारा अधिप्रभारन के मामले का पता लगाना सुगम करता है।

उपयोगकर्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं या शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, जो पहले दर्ज की गई थी (ओटीपी प्रमाणीकरण)। यदि अधिकतम मूल्य सीमा का कोई उल्लंघन होता है, तो खरीददार फार्मा जन समाधान/फार्मा सही दाम (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html) के माध्यम से कंपनी/केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएंगे।

ख. एकीकृत औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत औषध डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली को वर्ष 2015 में एनपीपीए द्वारा शुरू किया गया था जिसे बाद में और अधिक गतिशील, क्लाउड-आधारित संस्करण, आईपीडीएमएस 2.0 के रूप में उन्नत किया गया था तथा दिनांक 29.08.2022 को शुरू किया गया था। यह देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और चिकित्सा

उपकरणों के मूल्यों की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन सूचना संग्रह, प्रसंस्करण और संचार पोर्टल के लिए एक प्रणाली है। मार्च 2017 से मार्च 2024 तक आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या को चार्ट 7.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 7.3

आईपीडीएमएस में पंजीकृत कंपनियों की संख्या

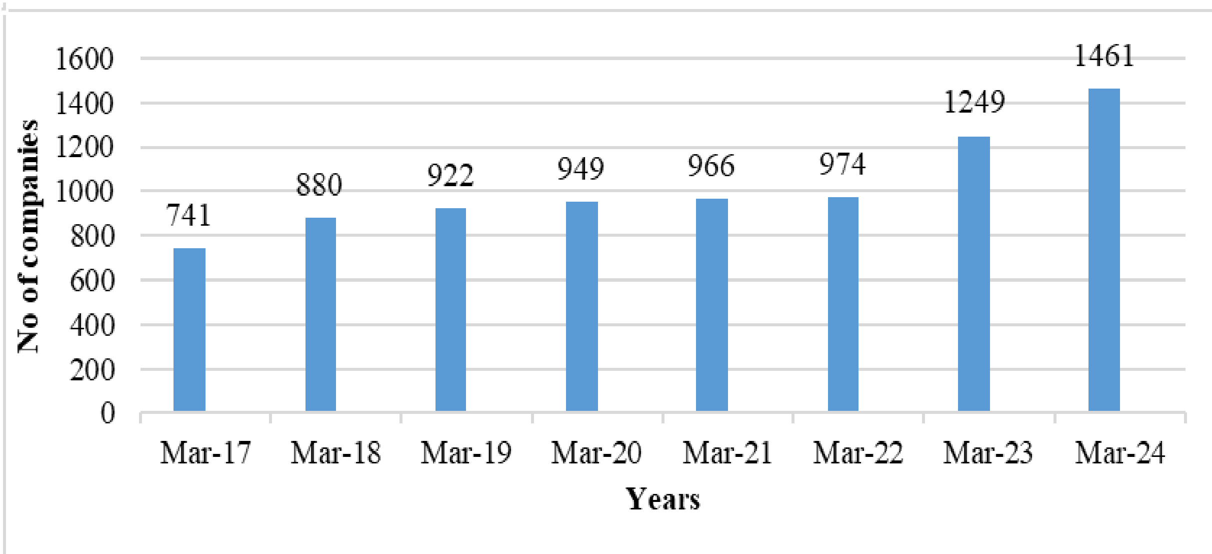

नोट: अक्टूबर, 2024 तक पंजीकृत कंपनियों की संख्या 1585 है।

7.13 उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी योजना का कार्यान्वयन

एनपीपीए की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) के दो घटक हैं, अर्थात (i) राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए सहायता, और (ii) सीएपीपीएम हेतु विज्ञापन और प्रचार। पीएमआरयू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटियां हैं जिनका अपना संस्थापन प्रलेख/उपनियम है और वे एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करते हैं। इस योजना के अंतर्गत पीएमआरयू को उनके आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए 100% निधियां प्रदान की जाती है।

एनपीपीए सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए प्रक्रियाधीन है। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों नामतः केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड,

मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, असम, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में पीएमआरयू स्थापित किए गए हैं। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत-एनपीपीए और पीएमआरयू दोनों उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ प्रशिक्षण, सेमिनार, प्रचार, वेबिनार, अभियानों जैसी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों का संचालन करते हैं।

7.14 राजभाषा कार्यान्वयन

एनपीपीए में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) एनपीपीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करती है और एनपीपीए के सभी अन्य अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं। समिति एनपीपीए के कार्यालय में आयोजित अपनी तिमाही बैठकों में दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करती है। समिति के सदस्य अपने-अपने प्रभागों में प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देते हैं। समिति राजभाषा नीति के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है और ऐसा परिवेश बनाने की दिशा में कार्य करती है, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करे।

7.15 राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2024

एनपीपीए में दिनांक 14.09.2024 से 30.09.2024 तक हिंदी प्रोत्साहन पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विभाग में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करना है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें नियमित के साथ-साथ संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 08.10.2024 को सदस्य सचिव और सलाहकार, एनपीपीए द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में, आधिकारिक संचार और दस्तावेज़ीकरण में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए, हिंदी प्रोत्साहन योजना के विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए।

राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2024 के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताएं

राजभाषा प्रोत्साहन पखवाड़ा 2024 के विजेताओं को पुरस्कार वितरण

7.16 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनपीपीए में दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीवीसी के निर्देश को एनपीपीए के अधिकारियों के बीच परिचालित किया गया और उनसे अत्यधिक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के संबंध में सभी अधिकारियों द्वारा नैतिक प्रथाओं और अपने कर्तव्यों में पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा भी ली गई। सप्ताह के दौरान, भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन को बढ़ावा देने में सतर्कता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रतिज्ञा लेते हुए एनपीपीए के अधिकारी

7.17 राष्ट्रीय एकता दिवस

दिनांक 30.10.2024 को एनपीपीए के कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया और सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली। प्रतिज्ञा में राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में एकता, अखंडता और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया गया, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई गई और राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रतिज्ञा लेते हुए एनपीपीए के अधिकारी

7.18 स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा अभियान और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 4.0

(i) स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024:

एनपीपीए ने दिनांक 17.09.2024 से 01.10.2024 तक स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान, 2024 के साथ 'स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता' विषय पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के अवसर पर माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री का संदेश एनपीपीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया ताकि उन्हें स्वच्छता पखवाड़ा-2024 की सफलता में और अधिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस अवधि के दौरान, कर्मचारियों और अधिकारियों को व्यक्तिगत कार्यालय परिसर और अपने आसपास सहित कार्यालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा, 2024 के बारे में जागरूक किया गया। पखवाड़े के दौरान पुराने एवं अनुपयोगी फर्नीचर, रद्दी वस्तुओं और ई-कचरे की प्रक्रियानुसार निस्तारण हेतु पहचान की गई। एक हजार तीन सौ सतहत्तर फाइलों की पहचान की गई और उनकी समीक्षा की गई।

एसएचएस अभियान के तहत, इंटरैक्टिव फोटो अवसरों के माध्यम से स्वच्छता में सार्वजनिक भागीदारी और गौरव को प्रोत्साहित करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए के सभी अधिकारियों ने दिनांक 19.09.2024 को स्वच्छता शपथ ली। शपथ में कार्यस्थल और समुदाय दोनों में स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया और

स्वच्छता एवं सफाई को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अभियान के भाग के रूप में, स्वच्छता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान, जागरूकता सत्र और अपशिष्ट प्रबंधन पहल जैसे विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए गए।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान लगाया गया सेल्फी पॉइंट

स्वच्छता की आदत विकसित करने और एनपीपीए के अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए, "सफाई और स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है?" विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। यह प्रतियोगिता 30.09.2024 को आयोजित की गई थी।

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता

एसएचएस अभियान के दौरान, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित किया गया था, जहां एनपीपीए के परिसर की सफाई के लिए तैनात सफाई कर्मियों को वन-टाइम डिस्पोजेबल बहुउपयोगी दस्ताने और मास्क प्रदान किए गए थे।

एनपीपीए के अधिकारियों ने दिनांक 01.10.2024 को "एक पेड़ मां के नाम" पहल के तहत देशी पेड़ और छोटे पौधे भी लगाए, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और स्वच्छता और प्रकृति की देखभाल के मूल्यों के अनुरूप, आसपास के क्षेत्र में हरित आवरण में योगदान करना है।

"एक पेड़ माँ के नाम" पहल के दौरान किया गया वृक्षारोपण

(ii) लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 4.0:

(क) एनपीपीए में 2-31.10.2024 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 4.0 आयोजित किया गया था। इस दौरान लंबित मामलों जैसे पीजी पोर्टल अपील; भौतिक फ़ाइलों/ई-फ़ाइलों की समीक्षा की गई/बंद किया गया/हटाया गया; व्यवसाय करने में सुगमता के लिए कार्यालय नियम/प्रक्रिया/प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया; निपटान के लिए रद्दी की पहचान की गई; रद्दी के निपटान से राजस्व सृजन आदि की समीक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप कार्रवाई की गयी। इस अवधि के दौरान, 1418 भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 258 फाइलों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए पहचान की गयी। इसके अतिरिक्त, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत कार्यालय परिसर और बाहरी स्थलों के भीतर 29 सफाई स्थलों की पहचान की गई।

(ख) इस अवधि के दौरान, एससीडीपीएम 4.0 के तहत, एनपीपीए ने कार्यालय परिसर के भीतर परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए तीन सर्वोत्तम पद्धियां अपनाई गईं:

(I) ई-कचरे के निपटान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया गया, जिससे पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उचित रीसाइक्लिंग सुनिश्चित हुई।

(II) भौतिक फ़ाइलों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया गया, जिससे रिकॉर्ड-कीपिंग को सुव्यवस्थित किया गया और भौतिक भंडारण आवश्यकताओं को कम किया गया।

(III) अप्रयुक्त और अनावश्यक फाइलों को हटाकर, कार्यालय स्थान को अनुकूलित करके और रिकॉर्ड के समग्र संगठन में सुधार करके जगह बनाई गई थी।

इन पहलों ने अभियान के दौरान एनपीपीए के सुचारू और प्रभावी कामकाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

7.19 एनपीपीए का द्विमासिक ई-समाचार पत्र : औषध संदेश

वर्ष के दौरान, नवंबर 2024 तक ई - समाचारपत्र के चार अंक जारी किए गए हैं। इसमें एनपीपीए की नियामक गतिविधियों सहित भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर औषध क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन अंकों में फार्मा विशेषज्ञों के लेख भी शामिल हैं और इन चार अंकों में निम्नलिखित विशिष्ट लेख शामिल किए गए हैं:

तालिका 7.6

एनपीपीए द्वारा जारी ई-समाचारपत्र का विवरण

माह	लेख के विषय
अप्रैल, 2024	रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)- स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एक गंभीर चुनौती
जून, 2024	भारत में उभरती बीमारी प्रोफ़ाइल पर महामारी विज्ञान परिप्रेक्ष्य
अगस्त, 2024	अंग दान और प्रत्यारोपण की मूल बातें समझना
अक्टूबर, 2024	औषध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

7.20 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

(क) एनपीपीए द्वारा दिनांक 21.06.2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें एनपीपीए के अधिकारियों ने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग दिवस का विषय "स्वयं और समाज के लिए योग" था।

10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करते एनपीपीए के अधिकारी/कर्मचारी

(ख) अवसान/अप्रयुक्त दवाओं के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इस वर्ष भी एनपीपीए ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी)/अस्पताल, दिल्ली और मेडिफ्लो के सहयोग से वाईएमसीए, सांस्कृतिक केंद्र भवन में एनपीपीए के कार्यालय परिसर में अवसान/अप्रयुक्त दवाओं के संग्रह और उनके पश्चात के उचित निपटान के लिए एक बॉक्स रखने की पहल को जारी रखा।

एनपीपीए परिसर में बची हुई दवाओं के लिए स्थापित किया गया बॉक्स

(ग) 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आह्वान पर, एनपीपीए के अधिकारियों ने दिनांक 12.08.2024 को नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑनलाइन ई-प्रतिज्ञा में भाग लिया।

(घ) स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के एक भाग के रूप में, 'हर घर तिरंगा' अभियान आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारियों और आगंतुकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी देशभक्ति की भावना साझा करके भारत की स्वतंत्रता के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक सेल्फी बूथ स्थापित किया गया था।

(ड.) एनपीपीए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 14 - 18.10.2024 तक यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित औषधि विनियामक प्राधिकरणों (आईसीडीआरए) के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रदर्शक के रूप में भाग लिया। विभिन्न देशों के विनियामकों, विनिर्माताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों, विनिर्माताओं, विपणक, छात्रों, शोधकर्ताओं और समाचार मीडिया के प्रतिनिधियों जैसे लगभग 100 प्रतिनिधियों ने एनपीपीए स्टॉल का दौरा किया।

औषधि विनियामक प्राधिकरणों (आईसीडीआरए) के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एनपीपीए स्टॉल पर माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी का स्वागत

अध्याय 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

8.1 संयुक्त कार्य समूह की बैठकें

8.2 जी20 बैठकें/विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकें

8.3 समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक (आईपीईएफ) समझौता

8.4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम/बैठकें

8.5 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा/औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

8.6 वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियाँ/समझौते

8.7 विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण, क्षमता विनिर्माण और कार्यशालाओं में सहभागिता

अध्याय 8

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

औषध विभाग (डीओपी) का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग औषध और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग से संबंधित मामलों को देखता है। द्विपक्षीय सहयोग में मुख्य रूप से राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) के माध्यम से संस्थागत सहयोग को सुगम बनाना, बाजार पहुंच के मुद्दों का समाधान खोजना और द्विपक्षीय निवेश के लिए वेबिनार आयोजित करना शामिल है। इन पर औषध विभाग के नेतृत्व में औषध पर संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) के साथ-साथ जेडब्ल्यूजी से स्वतंत्र रूप से आयोजित अन्य द्विपक्षीय बैठकों में विचार किया जाता है; और अंतर-मंत्रालयी द्विपक्षीय बैठकें, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में जेडब्ल्यूजी, वाणिज्य विभाग (डीओसी) के नेतृत्व में संयुक्त व्यापार समितियां/कार्य समूह, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के नेतृत्व में निवेश समितियां और विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा आयोजित बैठकें। यह प्रभाग बीस देशों के समूह (जी20), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड), विश्व आर्थिक मंच के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से संबंधित मामलों को भी देखता है। वर्ष 2024 में, औषध और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए।

8.1 औषध विभाग द्वारा संयुक्त कार्य समूह की बैठकें:

(i) औषध पर भारत-यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह: औषध पर भारत-यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक 9 और 14 अगस्त, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार, की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री इहोर कुज़िन, उप मंत्री, मुख्य राज्य सेनेटरी डॉक्टर, सुश्री मैरीना स्लोबोडनिचेंको, स्वास्थ्य उप मंत्री, यूक्रेन और यूरोपीय एकीकरण ने किया था। बैठक में व्यापार को संवर्धन, विनियामक ढांचे में हाल के बदलावों, अनुसंधान और क्षमता विनिर्माण कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाओं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) की स्थिति और यूक्रेन की दवा और औषधि नियंत्रण (एसएमडीसी) पर राज्य सेवा के यूक्रेनी औषध गुणवत्ता संस्थान द्वारा भारतीयों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्ति (जीएमपी) प्रशिक्षण के संचालन पर चर्चा हुई थी।

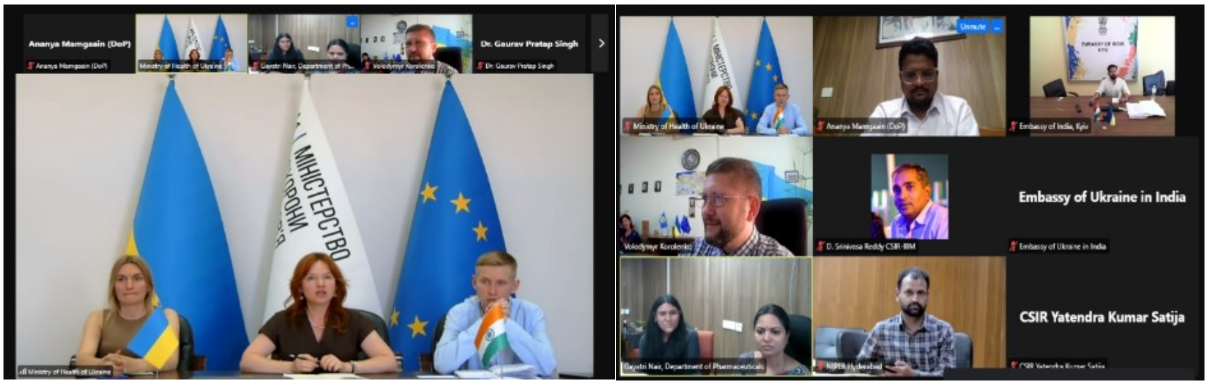

औषध पर भारत-यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह की बैठक

(ii) औषध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह: औषध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक दिनांक 7.10.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री गायत्री नायर, आर्थिक सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग भारत सरकार, द्वारा किया था और रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री डेनिसोवा एलेना व्लादिमीरोवना, उप निदेशक, फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उद्योग विकास विभाग, रूसी संघ उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने किया था। कार्य समूह ने प्रत्येक देश में इस क्षेत्र की स्थिति और व्यापार को प्रभावित करने वाली बाधाओं, विनियामक ढांचे, भारतीय फार्माकोपिया आयोग और रूसी वैज्ञानिक केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाओं और प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के बारे में चर्चा की।

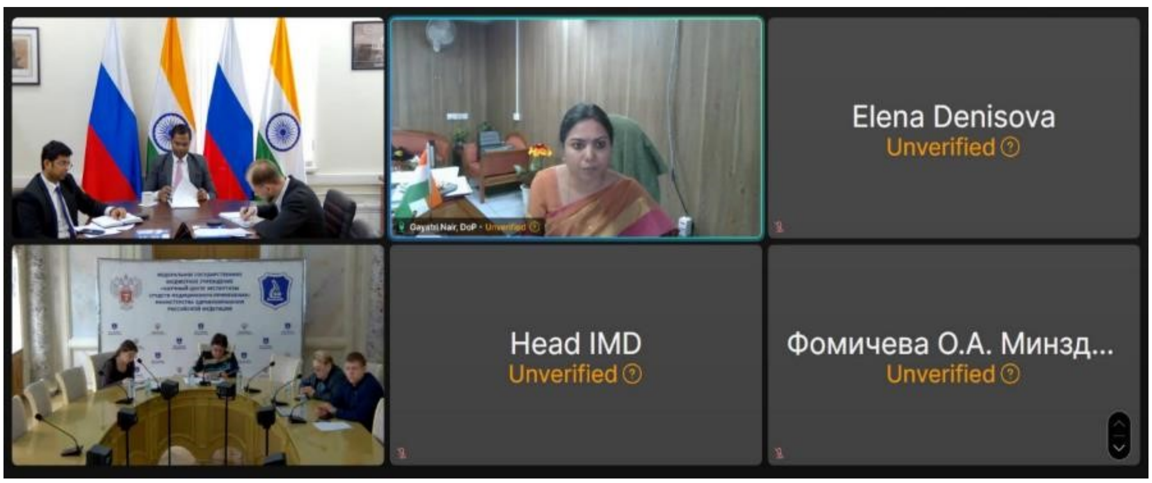

औषध पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह की बैठक

8.2 बीस का समूह (जी20) बैठकों/विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकों में औषध विभाग के अधिकारियों की भागीदारी:

(क) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 10.4.2024 को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन (जीएवीआई) द्वारा आयोजित जी20 ब्राजील प्रेसीडेंसी 2024 के "टीकों, चिकित्सा विज्ञान और निदान (वीटीडी) के स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन के लिए

प्रमुख सफलता कारक" विषय के तहत सह-ब्रांडेड कार्यक्रम में भाग लिया तथा और "स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन का औचित्य और लाभ" शीर्षक सत्र में पैनेलिस्ट के रूप में भाग लिया।

जी-20 ब्राजील प्रेसीडेंसी के सह-ब्रांडेड कार्यक्रम में भागीदारी

(ख) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 1 से 3 सितंबर, 2024 तक नटाल, रियो ग्रांडे डो नॉर्ट, ब्राजील में ब्राजील के जी-20 प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित 4वें स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के "स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन और नवाचार के लिए वैश्विक गठबंधन" सत्र में भाग लिया।

(ग) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 15 और 16 अक्टूबर, 2024 को आयोजित जी-20 ब्राजील प्रेसीडेंसी के तहत जी-20 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणा के मसौदे पर वार्ता के लिए वर्चुअल रूप से भाग लिया, जिसमें स्थानीय उत्पादन और नवाचार तथा न्यायसंगत पहुंच के लिए वैश्विक गठबंधन से संबंधित पैराग्राफों पर चर्चा की गई।

(घ) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 29 अप्रैल-10 मई, 11 मई-29 मई और 9 सितंबर-20 सितंबर, 2024 के दौरान जिनेवा में आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी), विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकों में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जहां महामारी उपकरण/समझौते/ अनुबंध के विषय पर चर्चा हुई थी।

8.3 समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक (आईपीईएफ) समझौते में औषध विभाग की भागीदारी:

भारत, समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक (आईपीईएफ) का सदस्य है, जो 14 देशों का बहुपक्षीय समूह है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है।

आईपीईएफ के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। समझौते के चार स्तंभ हैं, जिनमें से एक आपूर्ति श्रृंखला समझौता है। नवंबर, 2023 में हस्ताक्षरित आपूर्ति श्रृंखला समझौता दिनांक 24.2.2024 को लागू हुआ। आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते के तहत, चार क्षेत्रों (सेमी कंडक्शन, महत्वपूर्ण खनिज, रसायन और हेल्थकेयर/ औषध) में कार्य योजना दल बनाए गए हैं और इनका नेतृत्व विभिन्न सदस्य देश कर रहे हैं। हेल्थकेयर/औषध पर कार्य योजना दल का नेतृत्व भारत कर रहा है। औषध विभाग इस कार्य योजना दल में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

8.4 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/बैठकों में औषध विभाग के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी:

(क) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 6.5.2024 को विश्व व्यापार संगठन की "बाजार पहुंच समिति की आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन" पर दूसरे विषयगत सत्र (वर्चुअल) में भाग लिया। सत्र में "आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण में लचीलापन-अनुभवों और पद्तियों का आदान-प्रदान" पर प्रस्तुति दी गई।

(ख) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 28.10.2024 को तीसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच (डब्ल्यूएलपीएफ) पर वर्चुअल सूचना सत्र में भाग लिया। इस सत्र में चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि तीसरा डब्ल्यूएलपीएफ, नवंबर, 2023 में नीदरलैंड में दूसरे डब्ल्यूएलपीएफ की सिफारिशों पर कैसे काम करेगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए मिलकर समाधान तैयार करना है।

8.5 औषध विभाग द्वारा आयोजित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा/औषध विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठकें:

(क) श्री सोरेन ट्रैनबर्ग हेन्सन, विज्ञान और नवाचार वाणिज्यदूत/ मिशन उप प्रमुख, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, भारत, बैंगलोर में डेनमार्क के महावाणिज्य दूतावास ने दिनांक 10.5.2024 को आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग से मुलाकात की, जिसमें नाईपर और डेनमार्क में विश्वविद्यालयों के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा की गई।

(ख) सचिव, औषध की अध्यक्षता में दिनांक 24.6.2024 को श्री अब्दुल्ला अजीजोव, निदेशक, उज्बेकिस्तान औषध उद्योग विकास एजेंसी और महामहिम श्री सरदोर रुस्तम्बेव, राजदूत उज्बेकिस्तान गणराज्य के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उज्बेकिस्तान के औषध बाजार में निवेश के अवसरों, उज्बेकिस्तान में औषध मुक्त

आर्थिक क्षेत्रों (एफईजेड) के लाभों, उज्बेकिस्तान के औषध उद्योग विकास एजेंसी के अवलोकन और संयुक्त कार्य समूह की सक्रियता पर भी चर्चा की गई थी।

(ग) दिनांक 13.8.2024 को सचिव, औषध और भारत के स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते के मसौदे सहित भारतीय औषध क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

(घ) विभाग द्वारा श्री सोरेन ट्रैनबर्ग हैनसेन, विज्ञान और नवाचार वाणिज्यदूत, मिशन फरोम इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, उप प्रमुख, भारत और प्रोफेसर पी.वी. भारतम, औषधीय रसायन विभाग, नाईपर मोहाली के बीच दिनांक 14.8.2024 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नाईपर मोहाली का डेनिश विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग पर चर्चा की गई थी।

(ङ) सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22.9.2024 को महामहिम हलीमा अलीमा दाउद, स्वास्थ्य उप मंत्री, मलावी गणराज्य के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जन औषधि योजना के लाभों पर चर्चा की गई थी।

सचिव, औषध और महामहिम हलीमा अलीमा दाउद, स्वास्थ्य उप मंत्री, मलावी गणराज्य के बीच बैठक

(च) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 24.10.2024 को नई दिल्ली में नीदरलैंड दूतावास के स्वास्थ्य, कल्याण और खेल परामर्शदाता से मुलाकात की, जिसमें भारत और नीदरलैंड के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन की स्थिति पर चर्चा की गई थी।

8.6 औषध सहयोग के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग/उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त कार्य समूह/व्यापार समितियों/समझौतों की बैठकों में विभाग की भागीदारी:

(क) औषध विभाग ने दिनांक 9.4.2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) के 18वें सत्र में भाग लिया, जिसमें औषध, टीकों और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग पर चर्चा की गई थी।

(ख) औषध विभाग ने दिनांक 10.4.2024 को भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में भाग लिया, जिसमें भारत और पेरू के बीच फार्मा अनुबंध के मसौदे पर चर्चा की गई थी और उसका सारांश प्रस्तुत किया गया था।

(ग) औषध विभाग ने दिनांक 12.4.2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा औषधि प्रशासन, वियतनाम के बीच तकनीकी बैठक में भाग लिया, जहां वियतनाम की औषध खरीद नीति पर परिपत्र संख्या 15, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के अनुरोध, औषध उत्पादों के भारतीय प्रमाणपत्रों (सीओपीपी) के सत्यापन पर चर्चा की गई थी।

(घ) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 26 अप्रैल-27 अप्रैल, 2024 को सचिव, वाणिज्य की अध्यक्षता में न्यूजीलैंड में भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) में भाग लिया, जिसमें औषध के बाजार पहुंच के मुद्दे, न्यूजीलैंड और भारत के बीच औषध पर संयुक्त कार्य समूह का गठन, नाईपर के साथ संभावित सहयोग, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश के अवसर और भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की मान्यता और स्वीकृति पर चर्चा की गई थी।

(ङ) औषध विभाग ने दिनांक 13.5.2024 को नई दिल्ली में भारत-जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के तीसरे सत्र में भाग लिया, जिसमें औषध, टीके और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग पर चर्चा की गई थी।

(च) औषध विभाग ने 13 जून, 2024 को एस्वातिनी के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक (वर्चुअल) में भाग लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

(छ) औषध विभाग ने दिनांक 17.6.2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के स्तर पर महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी (आईसीईटी) वार्षिक समीक्षा बैठक में भाग लिया, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी और बायोफार्मास्यूटिकल्स आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई थी।

(ज) औषध विभाग ने दिनांक 19.6.2024 को नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर संयुक्त भारत-कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई) की दूसरी बैठक में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त सचिव, डीओसी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नाईपर और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ अनुसंधान में सहयोग पर चर्चा की गई थी।

(झ) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 10.7.2024 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी की सह-अध्यक्षता में आयोजित भारत-ताइवान औद्योगिक सहयोग कार्य समूह की बैठक में भाग लिया, जिसमें सीएसआईआर के साथ सहयोग की संभावनाओं सहित औषध और मेडिटेक क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई थी।

(ञ) उप सचिव (शैक्षणिक और अनुसंधान प्रभाग), औषध विभाग ने दिनांक 10.7.2024 को दोहा, कतर में कतर राज्य और भारत गणराज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य (जेडब्ल्यूजी) पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया, जिसमें औषध और टीकों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों, वैक्सीन कच्चे माल में प्रतिगामी संयोजन को मजबूत करने, भारत से कतर तक किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली औषध की अधिक सोर्सिंग की सुविधा के लिए बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) बैठकों के आयोजन पर चर्चा की गई थी।

(ट) उप निदेशक, (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) औषध विभाग ने 16-17 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक के छठे सत्र में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार ने किया था और मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महामहिम श्री याहया एल्वाथिक बेल्लाह, उप मंत्री और मिस्र वाणिज्यिक सेवा, अध्यक्ष, अरब गणराज्य मिस्र ने किया था, जिसमें दोनों पक्षों ने मार्च, 2025 तक औषध पर अगली जेडब्ल्यूजी बैठक आयोजित करने की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अलावा, नाईपर के साथ संभावित सहयोग और औषध क्षेत्र में बाजार पहुंच के मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी।

(ठ) औषध विभाग ने दिनांक 27.9.2024 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में भाग लिया। बैठक की सह-अध्यक्षता श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने की थी तथा म्यांमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री माइंट थुरा, महानिदेशक, व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय ने किया था, जिसमें नाईपर के साथ संभावित सहयोग, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता तथा औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर चर्चा की गई थी।

(ड) निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), औषध विभाग ने दिनांक 7.10.2024 को मुंबई, भारत में आयोजित 12वीं भारत-संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय निवेश कार्य बैठक में भाग लिया। इसकी सह-अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार और महामहिम शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान, प्रबंध निदेशक, निवेश प्राधिकरण अबू धाबी (एडीआईए) ने की थी।

(ढ) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 15.10.2024 को भारत द्वारा आयोजित औषधि विनियामक प्राधिकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीआरए) के अवसर पर आयोजित उज्बेकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. रंगा चंद्रशेखर, संयुक्त औषधि नियंत्रक, सीडीएससीओ, भारत ने किया था और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अलीशेर टेमिरोव, निदेशक, औषध उत्पाद सुरक्षा केंद्र उज्बेकिस्तान ने किया था। बैठक में दोनों देशों के बीच विनियामक सहयोग के मामलों पर चर्चा की गई थी।

आईसीडीआरए के अवसर पर उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

(ण) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 5.11.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्र में बाधाओं और प्रतिबंधों को समाप्त करने पर कार्य उप-समूह के चौथे सत्र में भाग लिया। बैठक की सह-अध्यक्षता श्री पावेल कलमयचेक, निदेशक, द्विपक्षीय सहयोग विकास विभाग, रूसी संघ आर्थिक विकास मंत्रालय और श्री मनीष चड्ढा संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ने की थी जिसमें भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाले बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

(त) उप निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), औषध विभाग ने दिनांक 21.11.2024 को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत गणराज्य और मलावी के बीच दूसरे संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में वर्चुअल मोड में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अतिरिक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

(थ) सचिव, औषध विभाग ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर 25वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की दिनांक 12.11.2024 को आयोजित बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता डॉ. एस जयशंकर, विदेश मंत्री और महामहिम श्री डेनिस मंटुरोव, प्रथम उप प्रधान मंत्री,

रूस ने की, जिसमें दोनों पक्षों ने दिनांक 7.10.2024 को औषध पर तीसरे जेडब्ल्यूजी बैठक में हुई चर्चाओं को स्वीकार किया और इस संबंध में आगे कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।

(द) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने दिनांक 11.12.2024 को नई दिल्ली में सुश्री वी हेकाली झिमोमी, अतिरिक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के नेतृत्व में स्वास्थ्य सहयोग पर इंडिया-गल्फ कोआपरेशन काउंसिल की पहली तकनीकी बैठक (वर्चुअल) में भाग लिया। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, चिकित्सीय दवाओं के संयुक्त विकास और औषध क्षेत्र में व्यापार बाधाओं को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

8.7 विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण, क्षमता विनिर्माण और कार्यशालाओं में सहभागिता

(क) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने 16 और 17 मई, 2024 को नीमराणा फोर्ट होटल, नीमराणा, राजस्थान में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चिंतन शिविर में भाग लिया, जिसका आयोजन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यापार और निवेश कानून केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, भारत के सहयोग से किया गया था। आर्थिक सलाहकार ने "क्षमता विनिर्माण और एफटीए संसाधन प्रबंधन" शीर्षक सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लिया।

(ख) उप निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग), औषध विभाग ने 6 नवंबर से 8 नवंबर, 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में दक्षिण-पूर्व एशियाई सदस्यों और पर्यवेक्षकों के लिए व्यापार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) आर्थिक सलाहकार, औषध विभाग ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सार्वजनिक-स्वास्थ्य-उन्मुख बौद्धिक संपदा लाइसेंसिंग समझौतों में क्षमता विनिर्माण के लिए 19 नवंबर से 21 नवंबर, 2024 के दौरान तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

अध्याय 9

राजभाषा का कार्यान्वयन

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2024

9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

अध्याय 9

राजभाषा का कार्यान्वयन

9.1 सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 के साथ-साथ राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 और उसके तहत जारी आदेशों सहित भारत संघ की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त पत्रों और हिंदी में हस्ताक्षरित अभ्यावेदनों आदि के उत्तर राजभाषा (संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग) नियम, 1976 (1987 में यथासंशोधित) के नियम 5 और नियम 7 (2) के प्रावधानों के अनुसार हिंदी में दिए गए।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति समय-समय पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की समीक्षा करती है और सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देती है। संघ का सरकारी कामकाज हिंदी में करने के संबंध में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा की गई।

9.3 हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा, 2024

विभाग में 14 से 29 सितम्बर, 2024 तक हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्देश्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विभाग में हिंदी के प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करना था।

हिंदी पखवाड़े के दौरान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में संवर्धन करने के उद्देश्य से सचिव (औषध) की ओर से हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य पर संदेश जारी किया गया। इस संदेश को हिन्दी के प्रगामी प्रसार के उद्देश्य से विभाग के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विभाग के नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं साथ ही संविदात्मक कर्मियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

9.4 विभाग के अधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा

वर्ष 2024-25 के लिए हिंदी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में विभाग के अधीन कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की आवधिक समीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्टों के माध्यम से की गई। राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समय-समय पर सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान कार्यालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके किया गया।

अध्याय 10

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अध्याय 10

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

10.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, विभाग के समन्वय प्रभाग में एक आरटीआई सेल की स्थापना की गई है जो विभाग के सभी आरटीआई से संबंधित मामलों के लिए नोडल सेल के रूप में कार्य करता है। आरटीआई आवेदन/अपील आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को हस्तांतरित की जाती है। यह प्रकोष्ठ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का भी समन्वय करता है और रिटर्न जमा करता है। विभाग में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों की सूची विभाग की वेबसाइट अर्थात् http://pharma-dept.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। विभाग की वेबसाइट पर *स्वत:* प्रकटीकरण के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत पारदर्शिता के लिए सक्रिय कार्रवाई की जाती है। आरटीआई अधिनियम के तहत सक्रिय प्रकटीकरण की ऑडिट रिपोर्ट भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

विभाग ने आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में निम्नलिखित उपाय किए हैं।

क) अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के अनुसार, आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

ख) निदेशक/उप-सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके तहत सीपीआईओ के रूप में काम करने वाले अवर सचिवों/अनुभाग अधिकारियों के संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ग) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति की सुविधा के लिए, विभाग के केंद्रीय रजिस्ट्री सेल में आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आरटीआई सेल द्वारा संबंधित सीपीआईओ/सार्वजनिक प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाता है।

घ) विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट (http://rti.gov.in) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई एमआईएस) सॉफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन और अपील का पंजीकरण प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अर्थात दिनांक 31.12.2024 तक, इस विभाग में कुल 310 आरटीआई आवेदन और 19 आरटीआई प्रथम याचिकाएं प्राप्त हुई थी। आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इन्हें तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों/सीपीआईओ को हस्तांतरित/अग्रेषित किया गया।

अध्याय 11

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

11.1 लोकल एरिया नेटवर्क

11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

11.3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुविधा

11.5 कार्यप्रवाह स्वचालन

11.6 ई-गवर्नेंस

11.7 साइबर सुरक्षा

अध्याय 11

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत, औषध विभाग ने सूचना और सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस को अपनाने की दिशा में विभिन्न पहल की हैं। इससे पारदर्शिता, सेवाओं की आसान पहुंच, आंतरिक प्रक्रियाओं में दक्षता और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता के संदर्भ में लाभ हुआ है।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा स्थापित आईटी-आधारित कम्प्यूटर केन्द्र कार्यरत है। एनआईसी तकनीकी सहायता/सलाह, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन का विकास और कार्यान्वयन, इंटरनेट और ई-मेल, डाटा आधार प्रबंधन और प्रशिक्षण जैसी मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनआईसी की उपस्थिति और विशेषज्ञता के साथ, विभाग निम्नलिखित आईटी/ई-गवर्नेंस पहलों को आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है।

11.1 लोकल एरिया नेटवर्क

विभाग में सभी कार्यस्थल लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े हुए हैं जो पहले से ही इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 (आईपीवी6) के अनुरूप है और इसे ई-मेल, इंट्रानेट/इंटरनेट और डेटाबेस एक्सेस परिचालनों हेतु चौबीसों घंटे सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आईपीवी6 के अनुरूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) हार्डवेयर सभी अधिकारियों/डिवीजनों/अनुभागों को उनके डेस्कटॉप पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। शास्त्री भवन के वाइड एरिया नेटवर्क के दो लिंक हैं अर्थात 10 गीगाहर्ट्ज का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और 1 गीगाहर्ट्ज का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का एक और लिंक।

11.2 वेबसाइट और सोशल मीडिया

विभाग की द्विभाषी वेबसाइट http://pharma-dept.gov.in को एनआईसी क्लाउड में रखा गया है ताकि नागरिकों को सूचना की सुरक्षा एवं अधिकतम पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह वेबसाइट एनआईसी द्वारा विषय-वस्तु प्रबंधन ढांचे का उपयोग करके विकसित की गई है और भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। यह विभाग की संगठनात्मक ढ़ांचे, इसके कार्य, अधीनस्थ कार्यालयों, नीतियों, प्रकाशनों तथा कार्यशील मानदंडों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े/सूचना का ब्यौरा प्रदान करती है। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र (एसटीक्यूसी) प्रमाणन पूरा हो गया है, जो दिनांक 27.04.2026 तक वैध है।

विभाग ने वेबसाइट को जीआईजीडब्ल्यू 3.0 के अनुरूप बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के निर्देशों का पालन करने के लिए पहल की है, जो साइबर सुरक्षा के मामले में अधिक उन्नत है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है।

सोशल मीडिया के पास लोगों तक पहुंचने की अपार क्षमता है। यह विभाग जागरूकता सृजित करने और सूचना प्रसारित करने के लिए फेसबुक और एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो का उपयोग करता है। विभाग द्वारा किए गए क्रियाकलापों और निर्णयों के बारे में जागरूकता सृजित करने से संबंधित लेख इस विभाग के फेसबुक और एक्स पेजों पर पोस्ट किए जाते हैं।

11.3 वीडियो कान्फ्रेंसिंग

विभाग के सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की गई है। विभाग के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) ने भी अपने-अपने कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की हैं। इस सुविधा से दूरस्थ समीक्षाओं और बैठकों के अलावा, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के भाग के रूप में सेमिनार और बातचीत आयोजित करने में भी मदद मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निगरानी उपकरण प्रगति की बैठक हर महीने आयोजित की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सभी सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करते हैं।

विभाग ने एनआईसी नेटवर्क/सुविधाओं से रहित उद्योग संघों और संगठनों के साथ सम्मेलन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की खरीद की है।

11.4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुविधा

कोविड महामारी के दौरान अधिकारियों को घर से काम करने और सरकारी काम को सुचारू रूप से करने के लिए प्रदान की गई वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सुविधा को तत्काल सरकारी मामलों के निपटान की सुविधा के लिए जारी रखा गया है।

11.5 कार्य प्रवाह स्वचालन

विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए की गई एक अन्य पहल विभाग के अंदर कार्य प्रवाह के स्वचालन का कार्यान्वयन है। ई-ऑफिस एक मानक उत्पाद है जो इस समय ई-फाइल, ई-यात्रा, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) और व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस), कॉलेबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस (सीएएमएस) से मिलकर बना है तथा इसका

उद्देश्य कार्यप्रवाह का प्रयोग, नियम-आधारित फाइल की रूटिंग, फाइलों एवं कार्यालय आदेशों का शीघ्र पता लगाना एवं इसकी पुनः प्राप्ति, प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, फॉर्म और रिपोर्टिंग घटकों का प्रयोग बढ़ाना है। ई-ऑफिस को कार्य के दोहराव को कम करने, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने तथा कार्यालय की बहुमूल्य जगह बचाने के लिए लागू किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा और लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम) के दौरान भौतिक फाइलों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करके पर्याप्त कार्य किया गया है। विभाग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भौतिक फाइलों को ई-फाइल और ई-ऑफिस प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए फाइल प्रबंधन प्रणाली एससीडीपीएम अभियान 1 से 4 का मुख्य क्षेत्र था।

11.6 ई-अभिशासन

नवीनतम आईसीटी सक्षम उपकरणों का लाभ उठाते हुए, औषध विभाग ने एनआईसी के सहयोग से सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत और गतिशील करने तथा प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए एनआईसी द्वारा विभिन्न एप्लीकेशनों का विकास और क्रियान्वयन किया गया है।

(क) स्मार्ट परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो): स्पैरो एप्लीकेशन, जो अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अन्य केंद्रीय सेवाओं और केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) कैडर के अधिकारियों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करती है, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

(ख) आगंतुक प्रबंधन प्रणाली: ई-विजिटर सिस्टम आगंतुक प्रबंधन के लिए एक वेब-आधारित पद्धति है। यह नागरिकों द्वारा विजिट और गेट पास के अनुरोधों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

(ग) विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्बस): लिम्बस विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सरकार के विभिन्न न्यायालय मामलों की निगरानी और निपटान के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरणों से संबंधित मामलों को संबंधित विभागों द्वारा अपलोड किया जा रहा है। यह अधिकारियों को उपयोगी रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।

(घ) ऑनलाइन आरटीआई-एमआईएस: आरटीआई आवेदनों को कुशलता से निपटाने और उनकी निगरानी करने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आरटीआई-एमआईएस का प्रयोग करने की पहल की है। आरटीआई-एमआईएस का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए संबधित कर्मचारियों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(ङ) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण मॉनीटरिंग व्यवस्था (सीपीग्राम्स): ऑनलाइन प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का न्यूनतम विलंब से समाधान करने के लिए विभाग तथा सभी संबद्ध कार्यालयों में सीपीग्राम्स को क्रियान्वित किया गया है।

(च) निविदाओं का ई-प्रकाशन: निविदाओं का ई-प्रकाशन केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (पीपीपी) पोर्टल/सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर निविदाओं को अपलोड करके कार्यान्वित किया जाता है। इससे निविदाओं की पहुंच में सुधार हुआ है।

(छ) इलेक्ट्रॉनिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस): यह औषध विभाग में कार्यान्वित एक वेब आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (https://ehrms.gov.in/) है। सभी कर्मचारियों के कार्मिक डेटा अपलोड कर दिए गए हैं। सेवा पुस्तिका विवरण, अवकाश और अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए मॉड्यूल पूर्णतः क्रियाशील हैं।

(ज) सुप्रीमो: सुप्रीमो (https://supremo.nic.in) भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है। यह भारत सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एकल उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अंतर्गत आने वाले कर्मियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

(झ) ई-समीक्षा**:** यह सूचनाओं के आसान, त्वरित और सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसे ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, जो भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के लंबित कार्य-बिंदुओं/प्रस्तावों/मुद्दों/परियोजनाओं/योजनाओं/लक्ष्यों आदि के अनुपालन को तेजी से ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है।

इसके अलावा, ई-गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) योजनागत स्कीम "औषधीय और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)" के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए सॉफ्टवेयर का विकास। पीएमपीडीएस का उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, निर्यात के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत से प्रतिनिधिमंडल भेजकर, विकास की सुविधा, निर्यात और क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए अध्ययन/परामर्श आयोजित करके औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का संवर्धन और विकास करना है । पीएमपीडीएस पोर्टल (http://ngogrant.pharma-dept.gov.in) विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए एक एमआईएस विकसित किया गया है और इसे एनआईसी क्लाउड (http://nipermis.pharma-dept.gov.in/) पर होस्ट किया गया है।

(ग) नाईपर अनुसंधान पोर्टल को एनआईसी-डीओपी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, ताकि सार्वजनिक डोमेन में अनुसंधान सूचना के प्रसार के लिए सभी नाईपरों द्वारा किए गए सभी अनुसंधान क्रियाकलापों को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर लाया जा सके। पोर्टल का वेब लिंक (https://research.pharma-dept.gov.in/) है। नाईपर हैदराबाद को नाईपर रिसर्च पोर्टल के प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पोर्टल को नाईपर हैदराबाद ने अपने अधीन ले लिया है और क्लाउड स्पेस, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज आदि जैसे आवश्यक संसाधन एनआईसी भुवनेश्वर से खरीदे गए हैं। एनआईसी, डीओपी के सहयोग से वेबसाइट की स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन और तैनाती पूरी हो चुकी है। एनआईसी भुवनेश्वर क्लाउड से वेबसाइट होस्ट करने के लिए, नाईपर हैदराबाद को एक सार्वजनिक आईपी एड्रैस की खरीद करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक आईपी की खरीद के लिए एक नए GOV.IN डोमेन नाम की आवश्यकता है। नाईपर हैदराबाद ने एक नया डोमेन नाम खरीदने की कोशिश की, जिसे एनआईसी ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि GOV.IN शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित नहीं किया गया है। नाईपर हैदराबाद ने विभाग से मौजूदा डोमेन नाम को नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। औषध विभाग से डोमेन नाम (https://research.pharma-dept.gov.in/) के हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक आईपी एड्रैस की खरीद प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही डोमेन नाम नाईपर हैदराबाद को हस्तांतरित हो जाएगा, पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में होस्ट कर दिया जाएगा।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (http://fdi.pharma-dept.gov.in/) पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। जिन औषध कंपनियों और मेडिटेक कंपनियों ने सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिए अनुमोदन लिया है, उनके लिए अनुमोदन खंडों के अनुपालन की नियमित रिपोर्टिंग के लिए पोर्टल में पंजीकरण करना आवश्यक होगा। पोर्टल के माध्यम से इक्विटी हस्तांतरण, उत्पादन, निर्यात, अनुसंधान और विकास की निगरानी की जा रही है।

(ङ) स्टेशनरी एमआईएस (http://10.21.81.76/store) अधिकारियों/अनुभागों से अनुरोध के लिए एमआईएस है, जिससे भौतिक कागजात की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। स्टेशनरी वस्तुओं का स्टॉक रखा जाता है, और इस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं का निर्गमन गतिशील रूप से परिलक्षित होता है।

(च) राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति रणनीति निगरानी पोर्टल (https://nmdp.pharma-dept.gov.in) विकसित किया गया है और कार्यान्वयन की प्रक्रियाधीन है। यह पोर्टल राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के तहत परियोजनाओं के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन अनुसूची की निगरानी में मदद करता है।

(छ) कोविड औषधि मॉनिटरिंग सिस्टम (सीडीएमएस) पोर्टल (https://cdms.pharma-dept.gov.in/): यह पोर्टल देश में महामारी की अवधि के दौरान कोविड के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली कोविड दवाओं की उपलब्धता की निगरानी के लिए विकसित किया गया था। उसी पोर्टल का विस्तार किया गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की उपलब्धता की निगरानी करने में सक्षम बनाया गया है।

(ज) मेडी-टेक: यह एप्लीकेशन अभी विकास के चरण में है। इस एप्लीकेशन को भारत में फार्मा-मेडीटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया जा रहा है। सुरक्षा ऑडिट के बाद, एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा।

(झ) फार्मा मेडीटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन (पीआरआईपी): देश में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके भारतीय औषध और मेडिटेक क्षेत्रों को लागत आधारित से नवाचार आधारित वृद्धि में परिवर्तित करने के लिए, भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन (पीआरआईपी)। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औषध में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, जिसे उद्योग द्वारा विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ नाईपरों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से अपनाया जाएगा। इस योजना के प्रबंधन के लिए एक एमआईएस विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति/उद्योग इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है और निधि के लिए आवेदन कर सकता है।

(ञ) औषध विपणन पद्धतियों के लिए एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी): औषध विभाग ने हाल ही में औषध विपणन पद्धतियों के लिए एकसमान संहिता यूसीपीएमपी 2024 की घोषणा की है, जो कि औषध कंपनियों और स्वास्थ्य व्यवसायियों के बीच बातचीत को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसका संकेन्द्रण प्रिस्क्रिप्शन पद्धतियों पर अनुचित प्रभाव को रोकने पर है। कोई व्यक्ति या कंपनी एसोसिएशन के पोर्टल पर किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकती है। एसोसिएशन को शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे का समाधान करना अपेक्षित होता है। यूसीपीएमपी एक संहिता है जो भारत में उद्योग और स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों (एचसीपी/डॉक्टरों) के बीच बातचीत को नियंत्रित करता है। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है, तो वह औषध विभाग के यूसीपीएमपी पोर्टल पर अपनी अपील दर्ज कर सकता है। इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है।

11.7 साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, औषध विभाग ने सीईआरटी-इन द्वारा उपलब्ध कराए गए मसौदा ढांचे के अनुसार साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की थी। इस योजना को सीईआरटी-इन द्वारा इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि प्रभावी साइबर संकट प्रबंधन के

संदर्भ में इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। साइबर संकट से संबंधित मुद्दों की निगरानी विभाग के उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) को सौंपी गई है और साइबर संकट प्रबंधन समूह में समय-समय पर मुद्दों को उठाने का काम सौंपा गया है।

अपनी तत्परता के उपायों के एक भाग के रूप में, सभी एंडपॉइंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) और अन्य सॉफ्टवेयर के नवीनतम पैच के साथ अद्यतन किया गया है, तथा अप्रयुक्त/पैच रहित सॉफ्टवेयर को हटा दिया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रैस के साथ मैप किए गए सभी एंडपॉइंट्स के मीडिया एक्सेस कंट्रोल (एमएसी) एड्रैस और नेटवर्क सेग्रीगेशन (नेटवर्क का विभाजन) पहले से ही विभाग स्तर पर किया जाता है। सभी एंड-पॉइंट्स पर एंडपॉइंट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स (ईडीआर) (एंटीवायरस या मैलवेयर प्रोटेक्शन प्रोग्राम) चल रहा है और यह हमेशा नवीनतम सिग्नेचर के साथ अपडेट रहता है। सभी एनआईसी ईमेल अकाउंट पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) के रूप में कवच सक्षम है। प्रशासनिक विशेषाधिकार और पेन ड्राइव का प्रयोग करना उपयोग के आधार पर प्रतिबंधित है। साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण/कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डाइजेस्ट को विभाग में सभी उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम कार्यकलापों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए परिचालित किया जाता है।

अध्याय 12

विभाग के अन्य कार्यकलाप

12.1 विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों का अवलोकन

अध्याय 12

विभाग के अन्य कार्यकलाप

12.1 विभाग द्वारा किए गए कार्यकलापों का अवलोकन:

वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' और नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों के अंतर्गत कई कार्यकलाप किए हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत वार्षिक क्षमता निर्माण योजना पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), कर्मयोगी भारत के एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफार्म पर शामिल करके उनकी क्षमता का निर्माण करना था। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और क्षमता निर्माण आयोग है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता' के थीम के तहत स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा था, इसके बाद लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान (एससीडीपीएम 4.0) चलाया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा (ग्रामीण) का समन्वय किया था, जबकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा (शहरी) का समन्वय किया था। एससीडीपीएम 4.0 के मामले में, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) नोडल विभाग है।

अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों में भागीदारी भी वर्तमान वर्ष के क्रियाकलापों का हिस्सा थी जैसे

- (क) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सरकारी वेबसाइटों के लिए जारी डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल (डीबीआईएम);
- (ख) आयुष मंत्रालय द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस;
- (ग) सभी संबद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त कार्यालयों/निकायों में ई-ऑफिस लाइट (ई-फाइल) प्रणाली का कार्यान्वयन;
- (घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 'रूफ टॉप सोलर' परियोजनाएं;
- (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) द्वारा 'अंगदान जन जागरूकता अभियान;
- (च) "विकसित भारत: सुरक्षित और सतत ई-सेवा वितरण" विषय पर डीएआरपीजी का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन;
- (छ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'नशा मुक्त भारत अभियान'।

उपरोक्त के अलावा, विभाग ने शपथ का साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, स्वतंत्रता दिवस - 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम', राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया।

12.1.1 मिशन कर्मयोगी - वार्षिक क्षमता निर्माण योजना

औषध विभाग ने अपनी वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। वर्ष के दौरान,

विभाग अपने सभी कर्मचारियों, जिनमें सलाहकार और यंग प्रोफेशनल भी शामिल हैं, का पंजीकरण 'कर्मयोगी भारत' के आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर कराने में सफल रहा, जो क्षमता निर्माण आयोग द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसवीपी) है, जिसे सरकार में प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता निर्माण के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सक्षम करने हेतु बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने दिनांक 17.5.2024 को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में स्थित औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए 22-22 अधिकारियों के दो बैचों में इन्डस्ट्री इमर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस टीम में सचिव, औषध सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

12.1.2 कर्मयोगी भारत के आईजीओटी पोर्टल पर पंजीकरण

औषध विभाग के लिए अंतिम रूप दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कैलेंडर के अनुसार, विभाग के सभी नियमित कर्मचारियों को कुछ अनिवार्य और कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए आईजीओटी पोर्टल पर पंजीकृत होना था। विभाग में यह प्रक्रिया सितम्बर 2024 माह में पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग में तैनात तकनीकी सलाहकार एवं यंग प्रोफेशनल को भी क्षमता निर्माण क्रियाकलापों के लिए पोर्टल पर पंजीकृत किया गया।

12.1.3 राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का अवलोकन - 19 अक्तूबर - 25 अक्तूबर, 2024

विभाग ने दिनांक 19 - 25.10.2024 तक चलने वाले सप्ताह के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों के साथ-साथ अन्य संगठनों के लाभ के लिए 'भारत में औषधि मूल्य निर्धारण के लिए विनियामक ढांचा' और 'औषधीय विपणन पद्धतियों संबंधी एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) 2024' विषय पर दो वेबिनार व्याख्यान भी आयोजित किए थे।

12.1.4 आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने के लिए डोमेन मॉड्यूल का विकास

समग्र क्षमता निर्माण योजना के भाग के रूप में, औषध विभाग ने अपने तीन राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर (क) अपने मंत्रालय/विभाग को जानें; (ख) औषध में उभरती हुई तकनीकें; और (ग) चिकित्सा उपकरणों में उभरती हुई तकनीकें; पर मॉड्यूल तैयार किए। क्षमता निर्माण आयोग ने इन मॉड्यूल को स्वीकार कर लिया है और इसे आईजीओटी प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्ड-रेडी बनाने हेतु डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक आदेश जारी कर दिये गए हैं।

12.1.5 स्वच्छता पखवाड़ा - 1 सितम्बर - 15 सितम्बर, 2024

पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों के कैलेंडर के अनुसार, औषध विभाग में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान मनाया गया; इसके साथ ही इसके 12 संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) ने भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री और माननीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री का स्वच्छता संदेश, कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सफाई गतिविधियां, पैम्फलेट के वितरण के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता सृजन आदि, अभियान के कार्यकलापों के भाग थे।

जगत प्रकाश नड्डा
JAGAT PRAKASH NADDA

सत्यमेव जयते

मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
व रसायन एवं उर्वरक
भारत सरकार
Minister
Health & Family Welfare
and Chemicals & Fertilizers
Government of India

MESSAGE

I am pleased to know that the Department of Pharmaceuticals is observing Swachhata Pakhwada from September 1st to September 15th, 2024.

Since the launch of the Swachh Bharat Mission by our Hon'ble Prime Minister on October 2nd, 2014, sanitation has been at the forefront of the Government's development agenda. Each year, all Ministries and Departments of the Government of India, along with the organizations under their administrative jurisdiction, diligently observe Swachhata Pakhwada to maintain a clean and hygienic workplace.

I encourage all officers and staff of Department of Pharmaceuticals to contribute their best efforts during Swachhata Pakhwada and beyond towards this objective. Let us work together to instill the necessary discipline in ourselves and others so that we can achieve our ultimate goal of a Swachh Bharat!

(Jagat Prakash Nadda)

कार्यालय: 315, ए–स्कंध, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001 • Office 315, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
दूरभाष / Tele.: (O) +91-11-23383559, 23782959 • टेलीफैक्स / Telefax : 23386519 • ई–मेल / E-mail : min-cnf@gov.in

राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
व रसायन एवं उर्वरक
भारत सरकार

MINISTER OF STATE
HEALTH & FAMILY WELFARE
AND CHEMICALS & FERTILISERS
GOVERNMENT OF INDIA

अनुप्रिया पटेल
ANUPRIYA PATEL

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते

MESSAGE

Inspired by the Hon'ble Prime Minister's vision to engage all Union Ministries/Departments in cleanliness activities, the Swachhata Pakhwada was launched in April, 2016 under the Swachh Bharat Mission with the objective of bringing a fortnight of intense focus on the issues and practices of Swachhata.

The year 2024 marks the 9th consecutive year of the Government's "Swachhata Pakhwada" programme. This initiative has led to a significant improvement in the ambience and working environment of Central Government offices, enhancing employee satisfaction and efficiency.

I am pleased to note that the Department of Pharmaceuticals, along with organizations under its jurisdiction, is observing "Swachhata Pakhwada" during September 1-15, 2024.

I urge all officers and members of the staff to wholeheartedly participate in the swachhata campaign and bring qualitative swachhta improvements in their jurisdiction. I extend my best wishes for the success of the campaign.

(Anupriya Patel)

August 13, 2024
New Delhi

कमरा सं. 650, छठा तल, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, फोन : +91-11-23061998, 23062427
Room No. 650, 6th Floor, 'A' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, Tele : +91-11-23061998, 23062427
E-mail: mosap-mohfw@gov.in

सचिव (औषध), वरिष्ठ अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाते हुए

स्वच्छता पखवाड़ा के नोडल अधिकारी और उप-नोडल अधिकारी विभाग के अभियान का नेतृत्व करते हुए

REDMI 12 5G

ATAKA ANTIBIOTICS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
GSTIN : 29AAACK5675N1ZU
Shot on OnePlus

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-हाजीपुर
NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH (NIPER) - HAJIPUR
औषध विभाग
Department of Pharmaceuticals
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वच्छता पखवाड़ा
Swachhata Pakhwada
1st-15th September- 2024
FOR HEALTH AND HYGIENE PRACTICE
PROPER WASTE MANAGEMENT

12.1.6 स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक

विभाग ने दिनांक 17.9.2024 से 1.10.2024 तक 'स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता' विषय पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी भाग लिया और इसके उपरांत दिनांक 2.10.2024 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया। यह अभियान 'संपूर्ण समाज दृष्टिकोण' पर आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों की भागीदारी और स्वच्छता को हर किसी का दायित्व बनाने पर जोर दिया गया था। विभाग ने शास्त्री भवन और जनपथ बाजार में एक सेल्फी-पॉइंट भी लगाया, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियों के संचालन के अतिरिक्त, स्वच्छता शपथ लेने के लिए कई लोगों को आकर्षित किया।

सचिव, औषध द्वारा 'एक पेड़ मां के नाम' का पौधारोपण किया गया

औषध विभाग द्वारा दिनांक 2.10.2024 को स्वच्छ भारत दिवस समारोह

इस कार्यक्रम के तहत, विभाग ने अपने सभी संगठनों के साथ अभियान की अवधि के दौरान 68 कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अद्यतित किया गया है।

नाईपर, एसएएस नगर, मोहाली में वृक्षारोपण अभियान

12.1.7 लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 4.0

मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ इनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों में दक्षता बढ़ाने के लिए लंबित मामलों को कम करने की भारत सरकार की नीति को जारी रखते हुए और मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने वर्ष 2024 के दौरान एससीडीपीएम 4.0 के रूप में अभियान जारी रखने का निर्णय लिया था। भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिनांक 29.9.2024 को मंत्रालयों/विभागों के संपर्क अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने वाले एक समर्पित पोर्टल के साथ विशेष अभियान 4.0 की शुरूआत की। विशेष अभियान 4.0 के दो चरण थे (i) प्रारंभिक चरण दिनांक 16.9.2024 से 30.9.2024 तक और (ii) कार्यान्वयन चरण दिनांक 2 - 31.10.2024 तक। औषध विभाग ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं, जैसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संगठनों को परिपत्र जारी करना, दिन-प्रतिदिन की समीक्षा के लिए संपर्क अधिकारी और उप संपर्क अधिकारी को नामित करना और विशेष अभियान 4.0 में डीएआरपीजी द्वारा शामिल प्रत्येक मानदंड की प्रगति की निगरानी करना।

महत्वपूर्ण क्षेत्र - दिनांक 30.9.2024 की स्थिति के अनुसार पहचान किए गए लंबित विषय

(क) संसद सदस्यों के संदर्भ

(ख) संसदीय आश्वासन

(ग) अंतर मंत्रालयी परामर्श के विषय (मंत्रिमंडल प्रस्ताव)

(घ) राज्य सरकार के विषय

(ड.) लोक शिकायत

(च) प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ

(छ) लोक शिकायत अपील

(ज) नियमों/प्रक्रियाओं को सुगम बनाना

रिकॉर्ड प्रबंधन (फ़ाइल)

(क) भौतिक फाइलें (भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) को समीक्षा/अंतरण के लिए भेजी गईं/अभियान अवधि के दौरान हटाई/निकालने के लिए पहचानी गई)

(ख) समीक्षा/बंद करने के लिए रखी गई ई-फाइलें।

(ग) स्वच्छता अभियान

(घ) अर्जित किया गया ई-फाइलें

(ड.) खाली किया गया स्थान

(च) सूचना दी गई सर्वोत्तम पद्धतियां

(छ) सोशल मीडिया अभियान

(ज) प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के बयान जारी किए गए।

स्व-मूल्यांकन प्रपत्र प्रस्तुत करना

इस वर्ष भी विशेष अभियान का ध्यान क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों जैसे संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर था ताकि पुराने रिकॉर्ड/फाइलें, स्क्रैप और अनुपयोगी उपकरण/मशीनरी, प्लास्टिक और अन्य कचरे को खत्म करके, अपने आस-पड़ोस को स्वच्छ और हरा-भरा रखने की आवश्यकता के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई करके संतृप्ति प्राप्त की जा सके। तदनुसार, शास्त्री भवन, जनपथ भवन और उद्योग भवन में विभाग के कार्यालयों के अतिरिक्त; राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, मोहाली, हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों); हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बेंगलुरु, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता और भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) ने विशेष अभियान 4.0 में भाग लिया।

विभाग ने इस संबंध में डीएआरपीजी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन किया है और संसदीय आश्वासनों को छोड़कर, अपने अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। अभियान के दौरान विभाग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं:

(क) सफाई के लिए पहचाने गए अभियान स्थलों की रिकॉर्ड संख्या (11,127 साइटें)

(ख) 5,667 भौतिक फाइलों की समीक्षा और 1,224 भौतिक फाइलों को छांटना

(ग) अभियान के दौरान चार सर्वोत्तम पद्धतियां रिपोर्ट की गई

(घ) स्क्रैप का निपटान और 44,573 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया

(ड.) 21 लोक शिकायतों और 25 लोक शिकायत याचिकाओं का निपटान किया गया

अभियान की उपलब्धियों का विवरण और औषध विभाग द्वारा संचालित सफाई अभियान की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

तालिका 12.1

दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार एससीडीपीएम 4.0 के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम संख्या	महत्वपूर्ण क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	संसद सदस्य संदर्भ	5	5
2.	संसदीय आश्वासन	9	0
3.	राज्य सरकार का संदर्भ	1	1
4.	लोक शिकायतें	21	21
5.	प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भ	शून्य	
6.	आईएमसी के विषय	शून्य	
	रिकार्ड प्रबंधन		
7.	समीक्षा के लिए कुल भौतिक फ़ाइलें	4,805	5,667
8.	समीक्षा के लिए कुल ई-फ़ाइलें	4,671	4,671 समीक्षा की गई 26 बंद की गई
9.	सफाई अभियान	11,046	11,127
10.	कुल लोक शिकायत अपीलें	25	25
11.	पहचाने गए नियमों/प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की कुल संख्या	2	2
12.	अर्जित राजस्व	-	44,573 रुपए
13.	स्थान खाली किया गया	-	12,934 वर्ग फुट
14.	प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के जारी बयान		चार
15.	एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर सोशल मीडिया पोस्ट एससीडीपीएम 4.0 पोर्टल में पोस्ट किए गए		पचास
16.	डीएआरपीजी की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल पर पुराने रिकॉर्ड/कागजातों को हटाने से पहले/बाद की तस्वीरें अद्यतित की गईं		आठ
17.	सर्वोत्तम पद्धतियाँ: नाईपर हाजीपुर, नाईपर एसएएस नगर, नाईपर अहमदाबाद और एचएएल, प्रत्येक द्वारा 1		चार

विभिन्न भाग लेने वाले संगठनों से उनके संबंधित कार्यकलापों पर प्राप्त कुछ तस्वीरें नीचे संलग्न हैं:

एससीडीपीएम 4.0 के तहत खाली किए गए स्थान का उपयोग

चित्र (अभियान से पहले) | **चित्र (अभियान संचालन के बाद)**

नाईपर एसएएस नगर में भौतिक फाइलों की समीक्षा और छंटनी

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे में अभियान कार्यकलाप

नाईपर हाजीपुर द्वारा किया गया रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालय स्थान खाली करने के कार्यकलाप

हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के पार्किंग क्षेत्र की सफाई

नाईपर गुवाहाटी द्वारा प्रयोगशालाओं की सफाई और खाली किया गया स्थान

12.1.8 योग दिवस समारोह:

औषध विभाग ने जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ दिनांक 21.6.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। संबद्ध कार्यालय (एनपीपीए), स्वायत्त निकाय (नाईपर), पीएसयू (एचएएल, केएपीएल, बीसीपीएल) और पीएमबीआई ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कर्मचारियों को आईडीवाई 2024 लोगो वाली टी-शर्ट और कैप वितरित की गई।

12.1.9 राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह:

विभाग ने दिनांक 31.10.2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और कर्मचारियों ने माई भारत पोर्टल पर ऑनलाइन प्रतिज्ञा ली।

12.1.10 संविधान दिवस समारोह:

मंत्रिमंडल सचिव से प्राप्त निर्देशों के अनुसार औषध विभाग ने संविधान दिवस मनाया और सभी अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

12.1.11 सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह:

औषध विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2024 मनाया और इस कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यकलाप आयोजित किए। इस वर्ष, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर दिनांक 28.10.2024 से 3.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया। वीएडब्ल्यू 2024 की भूमिका के रूप में, आयोग ने दिनांक 16.8.2024 से 15.11.2024 तक 3 महीने के अभियान के दौरान की जाने वाली कुछ गतिविधियों की भी रूपरेखा तैयार की थी। 3 महीने के अभियान में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ निवारक सतर्कता पर जोर दिया गया:

(क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
(ख) प्रणालीगत सुधार उपायों के कार्यान्वयन की पहचान करना
(ग) परिपत्रों / दिशानिर्देशों / नियमावली का अद्यतनीकरण
(घ) दिनांक 30.6.2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान
(ङ.) गतिशील डिजिटल उपस्थिति

कार्यक्रम के भाग के रूप में, विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

(क) दिनांक 11.11.2024 को नैतिकता और अभिशासन एवं आचरण नियम

(ख) दिनांक 11.11.2024 को खरीद प्रक्रिया

(ग) दिनांक 12.11.2024 को संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ तथा साइबर स्वच्छता और सुरक्षा

सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) के संकाय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वीएडब्ल्यू के महत्व को ध्यान में रखते हुए और प्रचारित करने के भाग के रूप में, विभाग के विभिन्न कार्यालयों में बैनर लगाए गए थे। विभाग से संबंधित संगठन (एनपीपीए), नाईपर और पीएसयू ने सहर्ष वीएडब्ल्यू में भाग लिया।

विभाग ने पांच निवारक सतर्कता उपायों, जो अभियान अवधि के दौरान प्रमुख क्षेत्र थे, पर सीवीसी पोर्टल पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी अद्यतित की।

दिनांक 28.10.2024 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ लेते विभाग के अधिकारी

दिनांक 11.11.2024 को "नैतिकता और अभिशासन तथा आचरण नियम" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते हुए विभाग के अधिकारी/कर्मचारी

दिनांक 12.11.2024 को "संगठन की प्रणाली और प्रक्रियाएं तथा साइबर स्वच्छता और सुरक्षा" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते विभाग के अधिकारी/कर्मचारी

अध्याय 13

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अनुलग्नक - II-क पीएसयू की सूची

अनुलग्नक - II-ख पीएसयू के अध्यक्षों का पता और नाम

अनुलग्नक - II-ग दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

अनुलग्नक - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट

अध्याय 13

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

तालिका 13.1
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्र.सं.	रिपोर्ट संख्या एवं वर्ष	अध्याय संख्या	पैरा संख्या	विषय	संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	पोर्टल पर ऑडिट पैरा/रिपोर्ट की नवीनतम अद्यतन स्थिति अपलोड करने की तिथि
1	वर्ष 2023 की 21	4	4.7 चित्र 4.9 क्र.सं. 1	प्रावधानों को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता	10/08/2023	21/11/2024
2	वर्ष 2023 की 21	4	4.16	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	10/08/2023	02/01/2025
3	वर्ष 2023 की 21	3	3.3.1 (चित्र 3.3) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	इक्विटी शेयर और होल्डिंग्स के प्रतिशत की जानकारी में भिन्नता	10/08/2023	30/08/2024
4	वर्ष 2023 की 21	3	3.2.1.क	गारंटी शुल्क की गैर/कम वसूली	10/08/2023	08/05/2024

अनुलग्नक-II-क

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), डुंडाहेरा इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, डुंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा।

ख. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र।

ग. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल), बैंगलोर, कर्नाटक।

घ. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

ङ. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), रोड नं. 12, वीकेआई एरिया, जयपुर, राजस्थान।

अनुलग्नक-II-ख

पीएसयू के अध्यक्षों के नाम और पता:-

तालिका-13.2

औषध विभाग के अधीन पीएसयू के अध्यक्षों का नाम और पता

क्र. सं.	संगठन और उसका पता	नाम	पदनाम
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव - 122016	सुश्री विनोद कोतवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र - 411018	सुश्री नीरजा सराफ	प्रबंध निदेशक
3.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), जयपुर, राजस्थान -302013	रिक्त	-
4.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700013	रिक्त	-
5.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) बंगलौर, कर्नाटक - 560010	रिक्त	-

अनुलग्नक-II-ग

दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

तालिका-13.3

दायित्व केन्द्रों और अधीनस्थ संगठनों की सूची

क्र. सं.	नाईपर के निदेशक	कार्यालय दूरभाष	ईमेल	मोबाइल नं.	पता
1	डॉ. शैलेंद्र सराफ, नाईपर अहमदाबाद	079-66745555	director@niperahm.ac.in	9826150327	पलाज, एयरफोर्स स्टेशन मुख्यालय के सामने, गांधीनगर-382355, गुजरात
2	डॉ यूएसएन मूर्ति, नाईपर गुवाहाटी	0361-2132751	director@niperguwahati.ac.in	9127060998	सिला कटमूर (हलुगुरिसुक) पी.ओ.: चांगसारी,

					जिला: कामरूप, असम, पिन: 781101, असम, भारत
3	डॉ. शुभिनी सराफ, (अतिरिक्त प्रभार), नाईपर हाजीपुर	0612-2631565	director@niperhajipur.ac.in	9628176500	ई.पी.आई.पी. कैम्पस, इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर-844102, बिहार
4	डॉ. शुभिनी सराफ, नाईपर रायबरेली	0535-2700851	director@niperraebareli.edu.in	9628176500	बिजनौर - सिसेंदी रोड, सरोजनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के नजदीक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - 226002
5	डॉ यूएसएन मूर्ति, (अतिरिक्त प्रभार) नाईपर कोलकाता	033-24995803 033-23200086	director@niperkolkata.edu.in	9127060998	चुन्नीलाल भवन, 168, मानिकतला मेन रोड, कोलकाता-700054, पश्चिम बंगाल
6	डॉ. शैलेंद्र सराफ (अतिरिक्त प्रभार), नाईपर हैदराबाद	040-23073741	director.niperhyd@gov.in	9826150327	नाईपर, हैदराबाद आईडीपीएल टाउनशिप, बालानगर, हैदराबाद, तेलंगाना-500007
7	प्रो. दुलाल पांडा, नाईपर मोहाली	0172-2214690 0172-2214697	director@niper.ac.in	9820391591	एसएएस नगर, नाईपर मोहाली, पंजाब - 160062

अनुलग्नक - III एनपीपीए का संगठनात्मक चार्ट